

अनुसूची- २

(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-१ सँग सम्बन्धित)



पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ख

संख्या: ८

मिति: २०७५/०३/०४

भाग २

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी
निर्देशिका, २०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति : २०७५/३/०४

प्रस्तावना : नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेखित स्थानीय तहले आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी, निजि, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई यस पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्र भित्र स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, यस पथरी शनिश्चरे नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको निर्देशिका बनाएको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस दस्तावेजको नाम “स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” रहेको छ।
- परिभाषा** : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थनलागेमा यस निर्देशिकामा :-

- (क) “अनुगमन समिति” भन्नाले पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले गठन गर्ने अनुसूची १ बमोजिमको समिति सम्झनुपर्छ ।
- (ख) “पथरी शनिश्चरे नगरपालिका” भन्नाले दफा ३ मा उल्लिखित पथरी शनिश्चरे नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
- (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
- (घ) “प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना” भन्नाले प्रदेशमा रहने स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय वा विभाग सम्झनु पर्छ ।
- (ङ) “अस्पताल” भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, सामुदायिक अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल वा सहकारी अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
- (च) “आयुर्वेद अस्पताल” भन्नाले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा आधारित भईस्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका नर्सि होम, पोली क्लिनिक, पञ्चकर्म अस्पताल समेतलाई जनाउँछ ।
- (छ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मुनाफारहित उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नअनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ज) “डाईग्नोस्टिक सेन्टर” भन्नाले निदानात्मक सेवाहरु जस्तै: प्रयोगशाला सेवा, रेडियो ईमेजिङ जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्न कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
- (झ) “निजी अस्पताल वा नर्सिङ होम” भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल वा नर्सिङ होम सम्झनु पर्छ ।
- (ञ) “पोली क्लिनिक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भईएकै संस्थाबाट कम्तिमा पाँच वटा सेवा जस्तै बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ, फिजियोथेरापी, परिवार नियोजन, खोप सेवा आदि जस्ता बहुसेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
- (ट) “कन्सल्टेन्ट” भन्नाले सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि डिग्री वा डिप्लोमा प्राप्त गरेका वा तोकिए बमोजिमका विशेषज्ञ तालीम प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सक सम्झनुपर्छ ।
- (ठ) “सरकारी अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहनेगरी सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भएका वा हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
स्पष्टीकरण : यस खण्डका प्रयोजनका लागि “आंशिक स्वामित्व” भन्नाले नेपाल सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत लगानीलाई सम्झनु पर्छ ।
- (ड) “सहकारी अस्पताल” भन्नाले सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम सदस्य समेत लाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ढ) “सामुदायिक अस्पताल” भन्नाले सम्बन्धित सरकारी निकायमा संस्था दर्ता भई सामुदायिक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी मुनाफा रहित उद्देश्य लिई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नअनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
- (ण) “स्वास्थ्य क्लिनिक” भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच गर्ने, उपचार सम्बन्धी आवश्यक परामर्श, एक स्थानबाट पाँचवटा भन्दा कम सेवा जस्तै बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ, फिजियोथेरापी, खोप सेवा, परिवार नियोजन जस्ता सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेतलाई जनाउँदछ ।
- (त) “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नअनुमति प्राप्त अस्पताल, पोली क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक,

प्रयोगशाला जस्ता सेवाहरु सञ्चालन गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयुर्वेद अस्पताल समेतलाई जनाउँछ ।

- (थ) “संस्था दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति लिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्ने निकाय सम्झनुपर्छ ।
- (द) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मुनाफा रहित उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भै पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ध) “भवन संहिता” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ कोदफा ३ कोउपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनुपर्छ ।
- (न) “भवन निर्माण मापदण्ड” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेखित मापदण्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य सम्बन्धी भवनकोलागि छुट्टैमापदण्ड नभएको स्थानकोहकमा अनुसूची-२ मा उल्लेखित भवन निर्माण मापदण्ड समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद २

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया

३. **स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाहरु :** (१) देहाय बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न देहायका निकायले अनुमति दिन सक्नेछ :-
- (क) स्वास्थ्य क्लिनिक, डाईग्नोस्टिक सेन्टर, पोली क्लिनिक तथा पच्चीस शैया सम्मका जनरल अस्पतालका लागि सम्बन्धित पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ।
- (ख) आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुका हकमा दश शैया सम्मका अस्पतालका लागि सम्बन्धित पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ।
- (ग) पच्चीस शैया देखि माथिका अस्पतालहरु र विशेषज्ञ अस्पताल दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालय बाट ।
- (घ) पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता वा स्तरोन्नति भए पछि सो को विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनालाई दिनु पर्नेछ ।
४. **पूर्वाधार निर्माण मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने:** (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची ३ बमोजिमका ढाँचामा मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र कार्यदिन भित्र देहायका विवरणहरु परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउन सक्नेछ :-
- (क) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाको व्यावसायिक कार्ययोजना,
- (ख) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्था रहने स्थानको उपयुक्तता र जग्गाको पर्याप्तता,
- (ग) प्रारम्भिक वातवारणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,
- (घ) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुऱ्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्र को जनसंख्या/जनघनत्व,
- (ब) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुऱ्याउने क्षेत्रमा अन्य अस्पतालहरुको अवस्थिति र प्रस्तावित अस्पतालले पुऱ्याउने थप योगदान,
- (३) अनुगमन समितिले उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयहरुको विश्लेषण गरी स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन तीस कार्य दिनभित्र पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखिएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र कार्य दिनभित्र पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले बढीमा तीन वर्षसम्मको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि निवेदकलाई मनसायपत्र (Letter of Intent) प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र मनासिव कारण परी पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको भनी समयावधि थपका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरेमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले त्यस्ता अस्पताललाई बढीमा दुई वर्षमा नबढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयावधि थप गर्नसक्नेछ ।

५. **सञ्चालन अनुमति दिन सकिने:** (१) दफा ४ बमोजिम पूर्वाधार निर्माण कार्यसम्पन्न भए पछि सो पूर्वाधार तयार भएको व्यहोरा सहित सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर स्वास्थ्य क्लिनिक, रेडियो ईमेजिङ सेवा तथा पोलि क्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमतिको लागि अनुसूची ५ बमोजिमका ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले निवेदन प्राप्त गरेको मितिले सात दिन भित्र अनुगमन समिति खटाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम खटिएको अनुगमन समितिले पन्ध्र कार्य दिन भित्र स्थलगत निरीक्षण गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त भए नभएको राय सहितको प्रतिवेदन पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधार र यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिन भित्र निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्नेछ ।

(६) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर दफा (५) बमोजिम अनुमतिको लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची- ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त दुइ गुणा बढी दस्तुर लिईएक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।

(७) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्नेनिकायमा दर्ता भई अनुमतिकोलागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची -६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत बढि दस्तुर बुझाएमा एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।

(८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिको लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धमा सम्बन्धित माथिल्लो निकायले उपदफा (२), (३) र (५) मा तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिन सक्नेछ ।

६. **थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गर्न अनुमति लिनुपर्ने :** स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवाको अतिरिक्त थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुमति प्रदान गर्नेनिकायबाट यस निर्देशिका बमोजिमका प्रकृया पूरा गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

७. **पुनः अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने :** (१) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालन स्वीकृत लिएका स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको पूर्वाधार तथा मापदण्ड कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि यो निर्देशिका प्रारम्भ भए पछि तोकिएको अवधिभित्र पूर्वाधार तयारी योजना (भवन प्रबलीकरण वा नयाँ निर्माण योजना) सहित सम्बन्धित पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई यस निर्देशिका बमोजिम तोकेको पूर्वाधार पुरा गर्नका लागि तीन वर्ष र मापदण्ड कायम गर्नका लागि एक वर्षको समयवधि दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समयवधि थप भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक छ/छ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) प्रबलिकरण हुने अस्पताल वा नयाँ निर्माण गर्न अनुमति लिई साविकको भवनबाट सेवा दिईरहेका स्वास्थ्य संस्थाले निर्माण अवधि भरका लागि भवनको कारण वा अस्पतालको औजार उपकरणले हुनसक्ने दुर्घटनाको लागि शैया क्षमता बराबरका संख्यामा प्रति व्यक्ति एकलाख रुपैया बराबरका सामुहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिमका प्रकृया पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई दफा ५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन नदिने, निवेदन दिए पनि अनुमति नपाउने वा निर्धारित अवधि भित्र पूर्वाधार वा मापदण्ड कायम नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले रद्द गर्नेछ ।

८. **अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने** : स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको अनुमति दस्तुर पथरी शनिश्चरे नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेछ ।

९. **नवीकरण गराउनुपर्ने** : (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त हुने मिति भित्र पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र आवश्यक जाँच बुझ गरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई तीन वर्षका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुन अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षका लागि अनुमति नवीकरण गरि दिनु सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका अवधि भित्र मनासिब कारण परी निवेदन पेश गर्न नसकेको भनी कारण खुलाई थप तीन महिना भित्र निवेदन पेश गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्तुरलिई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरि दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ र सोको जाकारी प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनामा समेत दिनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएता पनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अनुमति नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको समयभित्र अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा अनुसूची -६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एक पटककोलागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो अनुमति नवीकरण गरिदिन सकिनेछ ।

१०. **गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरुको यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष परीक्षण (स्व:मूल्यांकन) गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सो प्रतिवेदन पेश गर्न पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना र मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार जोखिम, भौगोलिक अवस्थिति, विरामीको

चाप, शल्यक्रियाको संख्या, वित्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर तथा यस निर्देशिकाको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएका भए तापनि प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना तथा मन्त्रालयले जुन सुकै निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था र पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएका गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेकोपाईए मा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिईसुधारको मौका दिन सकिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, यस निर्देशिका बमोजिमका गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने वा गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरि आएको सेवा पूर्ण वा आंशिकरूपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई मनासिब माफिकको सफाइ पेश गर्न मौका दिनुपर्नेछ ।

(८) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिने अनुगमनलाई वा व्यवस्थाले सीमित गर्नेछैन ।

(९) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति लिने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेका स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स, वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न पाउने छैन । कुनै चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्तो संस्थामा क्लिनिकल प्राक्टिस गरेमा निजलाई कारवाहीको लागि सम्बन्धित परिषदमा लेखी पठाईनेछ ।

११. **निवेदन दिन सक्ने** : (१) दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम दिएका आदेश वा अनुगमन समितिले यस निर्देशिका बमोजिम पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन उपर चित्त नबुझे स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएकोमितिले १५ दिन भित्र चित्त नबुझ्नुको स्पष्ट आधार र कारण सहित पुनरावलोकनको लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएकोनिवेदन उपर पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको प्रतिक्रिया समेत लिई प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनाले छानविन गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्नेछ, र सो सम्बन्धमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

१२. **स्वास्थ्य संस्था गाभिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने** : स्वास्थ्य सेवालार्ई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा सुविधायुक्त बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सेवा सञ्चालन गर्न पथरी शनिश्चरे नगरपालिका समक्ष त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुले संयुक्त रूपमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

१३. **अनुमति खारेजी तथा कारवाही सम्बन्धि व्यवस्था** : (१) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति लिन वा अनुमति नवीकरण गर्नको लागि एक पटकको लागि निश्चित समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नसक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति नलिने स्वास्थ्य संस्थाको र दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति नवीकरण नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ ।

परिच्छेद ३

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धी व्यवस्था

१४. **स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन** : (१) यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई कसैले पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुहुदैन ।

(२) कसैले यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य रोक्न तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोभै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्नेगरी अभिलेख समेत राखिनेछ ।

(३) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र क्षमता अनुसार पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाबाट अनुमति लिई देहायका सेवाको समुचित व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नसक्नेछ :-

- (क) आकस्मिक सेवा,
- (ख) बहिरंग सेवा,
- (ग) अन्तरंग सेवा,
- (घ) निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ आदि),
- (ङ) शल्यक्रिया सेवा,
- (च) सघन उपचार सेवा,
- (छ) प्रबर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा,
- (ज) विशेषज्ञ सेवा,
- (झ) फार्मसी सेवा,
- (ञ) रक्त सञ्चार सेवा,
- (ट) फिजियोथेरापी सेवा,
- (ठ) शवगृह व्यवस्था,
- (ड) अस्पताल व्यवस्थापन,
- (ढ) वातावरण व्यवस्थापन,
- (ण) स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहरमैला व्यवस्थापन ।

१५. **गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड** : (१) स्वास्थ्य संस्थाले दफा ३ बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायका उल्लिखित मापदण्डहरूको समेत पालना गरेको हुनुपर्नेछ :-

- (क) बहिरंग विभागमा आउने बिरामीको चापका आधारमा बिरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, निदानात्मक सेवाहरू र औषधी कक्षमा छिटोछरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
- (ख) स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संक्रमण नियन्त्रण (Infection Prevention) कोव्यवस्था हुनुपर्नेछ र सोको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न ईकाईबाट प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू स्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका (Standard Operating Manual) तयार गरी लागु गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) स्वास्थ्य संस्थाले बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरू उपलब्ध हुने समय तालिका (दिन र बार खुल्न गरी) सवैले देख्न ठाउँमा राखिएको हुनुपर्नेछ ।
- (ङ) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने भनिएको विशेषज्ञ सेवा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
- (च) बिरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- (छ) बिरामी वा बिरामीको रेख देख गर्ने व्यक्तिलाई रोग र उपचार पद्धतिबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (ज) अस्पताल परिसर तथा सेवा दिने कक्षहरू नियमित रूपमा सफा सुगन्ध राखिएको हुनुपर्नेछ ।
- (झ) सवैले देख्ने स्थानमा उजुरी पेटिका राखिएको हुनुपर्नेछ ।

- (अ) जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्री जनगुन असो तथा पर्न आएका उजुरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ । साथै समाधान हुन नसक्नेभएमा सोको कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
- (ट) बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्नेशुल्क, प्रकृया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र (Patient Charter) अस्पतालमा नेपाल सरकारले अनुसूची ७ ढाँचामा तयार गरी सबैले देखिने गरी राख्नुपर्नेछ र सोही अनुरूप सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
- (ठ) अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आवश्यक पर्ने जानकारी गराउन सोधपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिन व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।
- (ड) सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि विभिन्न सरुवा रोग विरुद्धका खोप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।
- (ढ) हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाएको हुनुपर्नेछ ।
- (ण) स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका प्रोटोकल/मापदण्ड/निर्देशिका अनिवार्य रूपमा पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।
- (त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा चिकित्सक तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट आकस्मिक सेवा दिएको हुनु पर्नेछ ।
- (थ) अस्पतालमा रहेको आकस्मिक शैया क्षमताको आधारमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ र सोको विवरण अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्ने ठाँउमा राख्नुपर्नेछ ।
- (द) आकस्मिक विभागबाट बिरामी भर्नागर्ने, रिफर गर्ने, बिरामीको रेफरल प्रकृया र बिरामी सार्ने पद्धति स्पष्ट परिभाषित भएको हुनु पर्नेछ र सोको व्यवहारा बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्ने ठाँउमा राख्नु पर्नेछ ।
- (ध) अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्टयाई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
- (न) खण्ड (ध) बमोजिम उपलब्ध गराएका उपचार सेवाको अभिलेख राखी सोको प्रतिवेदन पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।
- (प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई विशेष किसिमका सुविधाका व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक मात्रामा शैया छुट्टयाउनुपर्नेछ ।
- (फ) स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिने भवन र अन्य पूर्वाधार भवन संहिता र सम्बन्धित क्षेत्र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्नेछ ।
- (ब) अस्पतालले विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएको हुनुपर्नेछ । सोकार्यका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्री सोको जानकारी पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा दिनु पर्नेछ ।
- (भ) अस्पतालले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद ४

अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरु

१६. अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्डहरु : (१) अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पताल रहने स्थान धुँवाँ, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको ।
- (ख) अस्पताल रहने क्षेत्र र हाताभित्र उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था भएको ।
- (ग) अस्पताल स्थापना हुने स्थान सडक यातायातको पहुँच भएको ।
- (घ) पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको ।
- (ङ) सवारी साधन पार्किङका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएको ।

- (च) अस्पताल परिसरमा स्वस्थकर वातावरणका लागि बृक्षारोपण तथा बगैचाको व्यवस्था भएको ।
- (छ) जोखिमपूर्ण फोहरव्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यवस्था गर्नुका साथै फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० बमोजिम फोहरव्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था मिलाएको ।
- (२) आकस्मिक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) कुल शैया क्षमताको कम्तिमा दश प्रतिशतका दरले आकस्मिक कक्षमा शैयाहरू उपलब्ध हुनु पर्नेछ । आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याएको शैयालाई देहाय अनुरूप वर्गीकरण गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:-
- (१) Red (R) = अति सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैया बराबर एक प्रतिशत,
- (२) Yellow (Y) = सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैया बराबर दुई प्रतिशत,
- (३) Green (G) = सामान्य बिरामीको सेवा दिने शैया बराबरतीन प्रतिशत,
- (४) Black (B) = मृत्यु भईसकेका बिरामीलाई राख्ने शैया बराबर एक प्रतिशत,
- (५) Observation Room/Bed बराबर तीन प्रतिशत, दश प्रतिशत भन्दा बढी शैया छुट्याएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएका वर्गीकरणको अनुपातमा शैयाको बाँडफाँड हुनु पर्नेछ ।
- (ख) आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्दा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इमेजिङ सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य वार्डहरूमा समेत सजिलै बिरामी ल्याउन लैजान सकिने (व्हिलचेर/ट्रली, स्टेचर) गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) आकस्मिक कक्षमा प्रतिकालय, शौचालय, ट्रायज (Triage Room)चेन्जिङ रुम, Medico-legal Case जस्तै Rape victim आदिको लागि गोपनीयता सुनिश्चित हुने कोठाको समेत व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) पच्चीस शैया क्षमताका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी चौबीसै घण्टा र चिकित्सक अनकल (on call)मा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । साथै पच्चीस शैया वा सो भन्दा माथिको क्षमता भएका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा कक्षमा चौबीसै घण्टा चिकित्सक सेवा उपलब्ध हुनुका साथै सम्बन्धित विषयको कन्सल्ट्याण्ट चिकित्सक अनकलमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (च) आकस्मिक विभागबाट बिरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्ने बिरामीको रेफरल प्रकृया तथा बिरामी सार्ने पद्धति स्पष्टरूपमा परिभाषित रहेको हुनु पर्नेछ ।
- (छ) प्रकोपजन्य रोगहरू, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता पक्षहरूलाई विचार गरी आकस्मिक उपचार सेवाका लागि संस्थाले विपत-व्यवस्थापन योजना बनाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ज) आकस्मिक सेवामा काम गर्ने जनशक्ति कम्तिमा Basic Life Support (BLS)/Primary Trauma Care (PTC)/Advance Cardiac Life Support (ACLS)/ Advance Trauma Life Support (ATLS)आदि सम्बन्धी तालिम लिएको हुनु पर्नेछ ।
- (३) बहिरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पतालबाट प्रदान हुने प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाका लागि ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था मिलाएको ।
- (ख) अस्पतालका लागि सामान्यतया सामान्य चिकित्सा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसूती सेवा हुनुपर्ने तथा पूर्वाधार पूरा गरी हाड जोर्नी, नाक कान घाँटी, छाला तथा यौनरोग, आँखा, दन्त सेवा जस्ता सेवाको लागि स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने ।
- (ग) उपलब्ध भएका चिकित्सकहरू मध्ये सेवाग्राहीले उपलब्ध भएसम्म रोजेको चिकित्सकसँग परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था भएको ।
- (घ) पचास शैया वा सो भन्दा माथिका अस्पतालले एम.सी.एच. क्लिनिकको अलग्गै व्यवस्था गरेको।
- (४) अन्तरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पतालमा शल्यक्रिया पश्चात पनि बिरामीको अवस्था स्थिर नभएसम्म उक्त शल्यक्रिया गर्ने समूह तथा सर्जन चिकित्सक र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अस्पतालमा रहिरहनु पर्ने र तत्पश्चात पनि सर्जरीको प्रकृति हेरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- (ख) नर्सिङ ड्यूटी स्टेशनबाट प्रत्येक बिरामीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने । उक्त सुविधा नभएमा प्रत्येक बिरामीको शैयामा कल बेल राख्नु पर्ने ।
- (ग) एक कन्सल्ट्याण्टको मातहतमा स्वास्थ्य सेवाको कुनैपनि युनिटमा पच्चीस शैया भन्दा बढी शैया राख्न नपाइने ।

- (५) एलाईड हेल्थ तथा निदानात्मक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेकोहुनु पर्नेछ :-
- (क) प्रत्येक किसिमका परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति अनुरूपको प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (ख) रेडियो डाइग्नोसिस, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे फिल्म लोडिङ, अनलोडिङ तथा प्रोसेसिङ लगायतका इमेजिङ सेवा कक्षहरू ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वार्डहरूलाई समेत सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने (व्हीलचेयर/ट्रली, स्टेचर) गरी संचालनमा ल्याएको हुनुपर्ने ।
- (ग) यस्ता सेवा प्रदान गरिने कोठाहरूमा प्रतिकालय, शौचालय, चेन्जिङ रुमको समेत व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (६) शल्यक्रिया गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी पाँचदेखि दश प्रतिशत सघन उपचार सेवाका High dependency Unit/ आई. सि. यु. शैयाहरू रहनु पर्नेछ ।
- (७) अस्पतालमा पोषण, खोप, आमा र वच्चाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरूको नेपाल सरकारको नीति बमोजिम प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (८) अस्पतालमा कम्तीमा वच्चा तथा आमाको लागि विशेषज्ञ सेवा र विशेषज्ञ अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृति अनुसारको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- (९) औषधि पसल (Pharmacy) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पताल हाता भित्र औषधि पसलको व्यवस्था अस्पताल फार्मसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) चौबिसै घण्टा फार्मसी सञ्चालनका लागि फार्मसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ग) फार्मसी कक्षमा औषधिको गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । साथै ताप संवेदनशील औषधि तथा भ्याक्सिनको भण्डारण तोकिएको तापक्रममा भण्डारण हुनुपर्ने ।
- (घ) उपचारमा प्रयोग गरिने लागू औषधहरू (Narcotic drugs) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सकको लिखित प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ । साथै औषधिको आम्दानी तथा वितरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
- (ङ) म्याद नाघेका औषधिहरू नियमित रूपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको Hospital Waste Management Guideline मा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएको खण्डमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका बमोजिमको विधि अपनाई नष्ट गर्नु पर्नेछ ।
- (च) आकस्मिक सेवाका लागि चाहिने आवश्यक औषधिहरू चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (छ) अस्पतालले बाह्य व्यक्ति वा संस्थालाई फार्मसी सेवा संचालन गर्न दिएको अवस्थामा सो व्यक्ति वा संस्थाले पनि अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने माथि उल्लेख भएका सम्पूर्ण शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने ।
- (ज) औषधीको खुद्रा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।
- (झ) भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड अनुरूप औषधि पसल सञ्चालन हुने भवन निर्माण भएको हुनु पर्ने ।
- (१०) रक्त सञ्चार सेवा (Blood Bank) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने । सो नभएमा विरामीको लागि आवश्यक पर्ने ब्लड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुनु पर्ने ।
- (ख) ब्लड बैंकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति अनुरूपको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (११) पचास शैया भन्दा माथि क्षमताको अस्पतालमा फिजियोथेरापि सेवा अनिवार्यरूपमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (१२) अस्पतालमा रहेका विरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई असहज नहुने गरी अलग्गै चिस्यान कक्ष वा शवगृहको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (१३) अस्पताल व्यवस्थापन (Hospital Management) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

(क) सोधपूछ तथा गुनासो सुनुवाई कक्ष :

- (१) सेवाग्राहीहरूको सुविधाको लागि आवश्यक कर्मचारी सहितको सोधपूछ कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (२) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्ने उचित प्रवन्ध मिलाइएको हुनु पर्ने ।

(ख) सूचना संप्रेषण :

- (१) अस्पतालभित्र प्रभावकारी सूचना संप्रेषणका लागि आन्तरिक टेलिफोन कल (Intercom) को व्यवस्थाका साथै आवश्यक आधुनिक संयन्त्रको समुचित प्रयोग हुनुपर्ने ।
- (२) अस्पतालहरूमा सार्वजनिक संचार सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (३) प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकस्मिक सेवाका टेलिफोन नम्बरहरू स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्ने ।

(ग) पानी वितरण :

- (१) अस्पतालमा विरामी र अन्य व्यक्तिहरूका लागि चौबीसै घण्टा शुद्ध पानी विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेअनुरूपको आपूर्ति हुनु पर्ने ।
- (२) अस्पतालद्वारा वितरण हुने पानीको गुणस्तर परिक्षण ४/४ महिनामा गराई अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने । बहिरंग, नर्सिङ्ग कक्ष, अन्तरंग, अपरेशन थिएटर र आपतकालीन कक्षहरूमा पानी व्यवस्था हुनु पर्ने ।

(घ) विद्युत आपूर्ति :

- (१) अस्पताल क्षेत्रभित्र र सबै विभागहरूमा चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने । साथै लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न अटोमेटिक ब्याक अप सिस्टम स्थापना गरेको हुनुपर्ने ।
- (२) ओ.टी., आई.सि.यू., सि.सि.यू., इमर्जेन्सी कक्ष लगायतका संवेदनशील कक्षहरूमा आपतकालीन विद्युत ब्याक-अप सिस्टम राखेको हुनुपर्ने ।

(ङ) सरसफाई तथा शौचालय व्यवस्था :

- (१) अस्पतालको सम्पूर्ण क्षेत्र सधैं सफा राख्नु पर्नेछ ।
- (२) अस्पतालमा देहाय बमोजिमको सेवा दिइने कक्षहरू वा क्लिनिकमा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :-
 - (क) आकस्मिक कक्ष
 - (ख) लेवर रुम
 - (ग) प्याथोलोजी सेवा
 - (घ) बहिरंग विभाग (आवश्यकता अनुसार महिला र पुरुषका लागि अलग अलग)
 - (ङ) प्रति छ, बेडको जनरल सेवामा एक
 - (च) महिला तथा अपाङ्गका लागि अलगै
 - (छ) क्याविन तथा डबल रुमका लागि (एटेच भएको(ज) डाक्टर तथा स्टाफका लागि (आवश्यकतानुसार)
- (३) अस्पताल हाताभित्र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायकका लागि पर्याप्त पानी र साबुन सहितको शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (४) शौचालय सधैं सफा राख्ने व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (५) मर्मत सम्भार व्यवस्था :
 - (क) अस्पतालले प्रयोग गर्ने उपकरण तथा औजारहरू समयमानै मर्मतको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । साथै ठूला र गम्भीर प्रकृतीका औजार उपकरणहरूको कम्पनीले निर्दिष्ट गरेको मर्मत अवधि अनुसार मर्मत सम्भार कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार मर्मत गरेको हुनु पर्नेछ ।
 - (ख) अस्पतालको भवन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, यन्त्र, उपकरण, विद्युतीय उपकरण र अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको नियमित मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (६) विरामी कुरुवालाई सुविधा : अस्पतालको वार्ड तथा अन्य उपचार दिने स्थानमा आवश्यकता अनुसार विरामीको साथमा रहने एक जना कुरुवालाई बस्न सक्ने प्रवन्ध हुनु पर्नेछ ।
- (७) क्यान्टिन सुविधा : स्वास्थ्य संस्था हाता भित्र खाना पकाउने (Kitchen) र खाना खाने (Dining) अलग-अलग ठाउँ सहितको सफा र सुविधायुक्त क्यान्टिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (८) लण्डी व्यवस्था :

- (क) अस्पतालमा प्रयोग हुने एप्रोन, पन्जा, टोपी, जुत्ता, तन्ना, तकिया, खोल, रुमाल जस्ता लुगा कपडा धुनको लागि लण्डीको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (ख) अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको लुगा धुने सुविधाको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (९) भण्डार (Store) व्यवस्था :
- (क) आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको अलगगै भण्डार कक्ष हुनुपर्ने । यस्तो भण्डारमा कम्तिमा एक महिनाको लागि अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (ख) अस्पतालको लागि आवश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, उपकरण तथा औषधिको न्यूनतम मौज्जात रहनु पर्ने र सो सामग्रीहरूको उपयुक्त भण्डारणको (Refrigerator, Ventilation, A/C आदि)व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।
- (१०) सुरक्षा व्यवस्था :
- (क) अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा गार्डको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।
- (ख) आपत्कालीन अवस्थाको लागि तत्काल सेवा प्रदान गर्न राज्यका सुरक्षा निकायसँग समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने ।
- (११) एम्बुलेन्स सञ्चालन : अस्पतालमा मेडिकल एटेण्डेण्ट सहितको १ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने र अस्पतालले त्यस्ता मेडिकल एटेण्डेण्टलाई Basic Emergency Medicine Training दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन नीति, २०६० बमोजिम एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (१२) यातायातको व्यवस्था :अस्पतालले कम्तिमा रात्रीकालिन समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आउन जान यातायातको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पर्नेछ ।
- (१३) स्थान तथा जग्गा पूर्वाधार :
- (क) अस्पताल रहने स्थान (Location) : अस्पताल रहने स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रको छनौट गर्न पर्नेछ । छनौट गरिएको स्थान त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानको कम्तिमा एक किलोमीटर टाढा हुनु पर्नेछ । विशिष्ट प्रकृतिको बहुसेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल, आयुर्वेद, होमीयोप्याथिक जस्ता फरक प्रकृतिका अस्पतालको हकमा र जनघनत्वको आधारमा अस्पतालको शैया आवश्यक देखिएमा यो बन्देज लागू हुनेछैन ।
- (ख) अस्पताल सञ्चालनको लागि आफ्नै स्वामित्वको पर्याप्त जग्गा हुनु पर्नेछ । आफ्नो जग्गा नभएको हकमा कम्तिमा पन्ध्र वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई सो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । पच्चिस शैया भन्दा माथि क्षमता बिस्तार गर्दा वा पचास शैया भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै भवन हुनु पर्नेछ ।
- (ग) आफ्नो जग्गा नभएका पच्चिस शैयाका अस्पतालले कम्तिमा पन्ध्र वर्षका लागि घर जग्गा भाडा (लिज) मा लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर भाडामा लिईएको भवन, भवन सहिताका मापदण्ड अनुरूप निर्माण भएको हुनु पर्छ ।
- (घ) शिक्षण अस्पतालको हकमा मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार हुनु पर्नेछ ।
- (१४) अस्पतालको भवन (Building) :
- (क) अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवनको नक्सा र डिजाइन भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुरूप स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । नेपाल सरकारले अस्पतालका सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड तोकेको भएमा सोही बमोजिम र उपत्यकाको हकमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी योजना स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । भवन संहिता तथा सम्बन्धित नगरपालिका वा नगर विकास समितिले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम सो भवन निर्माण भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) भवनमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि Disaster Management Plan तयार गरी सुरक्षा सम्बन्धी संकेत चिन्हहरू उपयुक्त स्थानमा प्रस्ट देखिने गरी राखिएको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) अस्पतालको कोठाहरू उपयुक्त भेन्टीलेसन वा वातानुकूलित यन्त्र राखिएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) अस्पतालमा प्रशासनिक कार्यालय, ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, वार्ड, फार्मसी, क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (ङ) अस्पतालमा व्हिलचेयर तथा टूलिको सहज आवागमनको व्यवस्थाका लागि लिफ्ट/ल्याम्पको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।

- (च) प्रतिक्षालयमा आवश्यकतानुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना-पाटी, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ ।
- (छ) अस्पतालको कुल निर्माण क्षेत्रफल, प्रति शैया ५५ वर्ग मीटरका दरले हुनु पर्नेछ । उक्त क्षेत्र भित्र सोधपुछ, दर्ता कक्ष, प्रतिक्षालय, प्रवेशद्वार सहितको हलको क्षेत्र समावेश भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेक भान्सा घर, लुगाधुने कोठा, जेनरेटर कक्ष, कर्मचारी आवास तथा भण्डार कक्ष, मर्मत सम्भार कक्ष आदिका लागि थप व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।
- (ज) आफ्नो जग्गा नभएका पच्चिस शैयाका अस्पतालले घर जग्गा भाडामा लिई सेवा सञ्चालन गर्दा सो घर भूकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भनि सहरी विकास तथा भवन विभाग/डिभिजन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । पच्चिस शैया भन्दा माथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैया भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा भवन निर्माण स्विकृति लिदा प्रयोजनमा अस्पताल सेवा संचालनका लागि भनी स्पष्ट खुलेको हुनु पर्नेछ ।
- (झ) शिक्षण अस्पतालको हकमा कुल निर्माण क्षेत्रफल नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोके बमोजिम र नतोकेको भएमा न्यूनतम प्रति शैया नव्वेवर्गमीटर हुनु पर्नेछ ।
- (ञ) बहिरंग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तिमा चौध वर्ग मीटर हुनुपर्नेछ । शौचालय, प्रतिक्षालय, विशेषज्ञको सहयोगी रहने कक्षका लागि पर्याप्त स्थान हुनु पर्नेछ ।
- (ट) बिरामीको चापको अनुपातमा पर्याप्त र सुविधाजनक हुने गरी फर्निचर सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
- (ठ) अस्पताल भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने अलग-अलग प्रवेश द्वारा र बहिर्गमन द्वार हुनुपर्नेछ ।
- (ड) आपतकालीन सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू अस्पतालको आपतकालीन कक्ष र अन्य अत्यावश्यक ठाउँमा सहज रूपमा जान सक्ने गरी अलग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ण) सेवाग्राही र अस्पताल कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र एम्बुलेन्स दमकल जस्ता सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । न्यूनतम पार्किङ कूल जग्गाको पच्चीस प्रतिशत वा प्रति तीन शैयाका लागि एउटा कार पार्किङ गर्न मिल्ने स्थल मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अनुसार हुनु पर्नेछ ।
- (त) अस्पताल जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपांगमैत्री हुनु पर्नेछ ।
- (थ) व्हिलचेयर, ट्रिलि, स्ट्रैचरको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्ता सामग्री राख्ने ठाउँ र चलाउने सकिने पर्याप्त ठाउँ र चलाउने मानिसको समेत व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (१५) वातावरण व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) पचास शैया र सो भन्दा माथिको अस्पतालले सेवा संचालन गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिनु पर्नेछ ।
- (ग) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रस्ताव भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (१६) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० ले तोके बमोजिम हुनुपर्ने ।
- (ख) अस्पतालबाट निष्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहरमैला प्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुट्याउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- (ग) अस्पतालबाट सृजित संक्रमणजन्य फोहरलाई निःसंक्रमण गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- (घ) अस्पतालमा मर्करीयुक्त उपकरणको सट्टा डिजिटल प्रविधियुक्त उपकरण प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

१७. **अस्पताल सम्बन्धी अन्य मापदण्ड:**दफा १६ मा उल्लिखित मापदण्डका अतिरिक्त देहायका शैया क्षमताका अस्पतालहरूले देहाय बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

- (क) पचास शैया भन्दा बढी एक सय क्षमता सम्मको अस्पतालको लागि :
- (१) भवन मापदण्ड :

- (क) भौगोलिक विषमताको आधारमा भवनको हरेक तलाको उचाई मानव स्वास्थ्यलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको हुनु पर्नेछ । सामान्यतः कोठाको उचाई कम्तिमा तराईका लागि ३.६ मिटर र अन्य क्षेत्रका लागि ३ मिटर हुनु पर्नेछ ।
- (ख) अस्पतालको गुर्योजना (Master Plan) तयार गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) अस्पतालको भवनमा एक तला भन्दा बढी तला भएको भवन वा अस्पताल सेवा प्रदान गर्नुपर्दा Ramp/Lift को अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) अस्पतालमा प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै विभाग हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) प्रशासनिक कार्यालयमा बैठक कोठा र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
- (च) बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर र प्रशासनिक कार्यालय जस्ता सेवाग्राही र विरामीले हिँडडुल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा सहज आवागमन गर्न सकिने गरी व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (छ) अस्पतालमा आउने विरामी, कुरुवा र भिजिटर्सका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरू पार्किङको लागि अस्पतालले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (ज) आकस्मिक अवस्थामा बर्हिगमन द्वारको आवश्यक व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (झ) आगलागी भएको बेलामा बारुणयन्त्रको लागि अस्पताल हाताभित्र पर्याप्त स्थानमा पानी भर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ञ) प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा बारुणयन्त्र आवागमनमा सहज हुने गरी भवन निर्माण भएको हुनुपर्ने, पर्याप्त संख्यामा अग्नि समनयन्त्र (Fire Extinguisher) जडान भएको हुनु पर्ने साथै आकस्मिक संकेतका लागि साईरनको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (२) अन्तरंग सेवा (Indoor service) :
- (क) अस्पतालको शैया क्षमताको आधारमा डाक्टरको ड्युटी रुम, पेन्ट्री (दराज, च्याक, खाना राख्ने ठाउँ आदि), आइसोलेसन रुम, ट्रिटमेण्ट रुम, शौचालय आदिको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) शैया बीचको दूरीको सम्बन्धमा साधारण शैया (General) बीचको दूरी कम्तिमा ४ फिट हुनुपर्ने र साथै भित्ताबाट कम्तिमा एक फिटको दूरीमा शैया राख्नु पर्नेछ ।
- (ग) अस्पतालमा बच्चा, सुत्केरी, अब्जभँसन तथा सरुवा रोगका लागि छुट्टाछुट्टै वार्डको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) जनरल शैयाको हकमा ४ देखि ६ शैयाको अनुपातमा १ स्टाफ नर्स व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) लेबर रुमको छुट्टै व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ साथै लेबर रुमका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (३) सघन उपचार सेवा (आई.सि.यू., सि.सि.यू., एन. आई. सि.यू.) :
- (क) चौबिसै घण्टा सघन उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रत्येक अस्पतालमा आकस्मिक कक्षसँगै Observation Ward र Minor OT/Major OT बाट सहज पहुँच पुग्ने आई. सि. यू. (इन्टेन्सिभ-केयर युनिट) कक्ष हुनु पर्नेछ ।
- (ग) कुल उपलब्ध वेडको पाँच प्रतिशतको अनुपातमा आई. सि. यू. वेड व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) आई.सि.यू. कक्षमा प्रति दूई शैयाका लागि एक भेन्टिलेटर हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) तुरुन्तै असर गरिहाल्ने (Acute) रोगीहरूको लागि आवश्यक मात्रामा अलग्गै शैया छुट्याउनु पर्नेछ ।
- (च) आई.सि.यू., सि.सि.यू., एन.आई.सि.यू. जस्ता सघन सेवा प्रदान गर्ने युनिटमा प्रति शैयाको अनुपातमा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने । सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम प्राप्त चिकित्सक चौबिसै घण्टा उपस्थित रहनु पर्ने र सम्बन्धित कन्सल्ट्याण्ट अनकलमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (छ) मेजर ओ.टी. भएको जुनसुकै अस्पतालमा आई.सि.यू. अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।
- (ज) आई.सि.यू. युनिटमा भर्ना भएका विरामीहरूको अवस्थाबारे चौबिस घण्टामा कम्तिमा दुई पटक विरामीका आफन्तलाई विरामीको अवस्थाको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (झ) कडा सरुवारोग भएका विरामीलाई सघन उपचार आवश्यक परेका विरामीलाई छुट्टै आइसोलेसनमा उपचारको प्रवन्ध मिलाएको पर्नेछ ।
- (ञ) सघन उपचार कक्ष वातानुकूलित हुनु पर्नेछ ।

- (४) ओ. टी. (अपरेशन थिएटर) (Operation Theater) :
- (क) प्रति पचास शैया क्षमता बराबर एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइनर ओ.टी.को व्यवस्था भएको हुनु पर्ने । सो का अतिरिक्त प्रत्येक पच्चीस शैया सर्जिकल बेडका लागि एक मेजर ओ.टी. र आवश्यक माइनर ओ.टी. को थप व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रति पचास शैया क्षमता बराबर एउटा एनेस्थेसिक तयारी कक्षको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) ओ. टि., श्वास-प्रश्वास तथा हेमोडाइलाईसिस युनिटसँग पहुँच भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) अक्सिजन आपूर्तिको नियमित व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) ओ. टी. वातानुकूलित गराईएको हुनु पर्नेछ ।
- (च) अत्यावश्यकिय सेवा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ ।
- (छ) ओ. टी. को बाहिर विरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ज) प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लागि पोष्ट अपरेटिभ वार्डको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
- (५) एलाईड हेल्थ सेवा (Allied Health Services):
- (क) एक्सरे मेशिन Install गर्नको लागि कम्तिमा २२५ स्क्वायर फीटको कोठा हुनु पर्नेछ ।
- (ख) एक्सरे गर्ने कोठाको wall thickness (१) ९इन्च with plaster of paris वा (२) 6Inches with 0.2 mm lead barrier वा (३) 2.0 mm lead Thickness मध्ये कुनै एक हुनु पर्नेछ । साथै भ्याल, ढोका तथा भित्ताबाट विकिरणको चुहावट नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) X-ray Expose गर्ने व्यक्तिको लागि एक्सरे कोठाभित्र 0.5 mm को lead Aprone or Equivalent Radiation Protective Material प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने छ ।
- (घ) पचास बेड भन्दा माथिका अस्पतालमा कम्तिमा एक वटा मोवाइल एक्सरे मेसिन हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) एन्टीनेटल, न्यूरोलोजी र नेफ्रोलोजी जस्ता विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा डिप्लोमेटिक जस्ता परिक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (च) माइक्रो-बायोलोजी सम्बन्धी प्रयोगशाला वातानुकूलित भएको हुनु पर्नेछ ।
- (६) सूचना सप्रेषण :
- (क) आधुनिक सूचना प्रविधि सहितको अस्पताल सूचना केन्द्रको स्थापना भएको हुनु पर्ने छ ।
- (ख) अस्पताल प्रवेश गर्नासाथ अस्पतालको ले-आउट देखिने नक्साद्वारा कुन सेवा कुन ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी देखिने विरामी बडापत्रको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ग) सूचना-पाटी, टि.भि.स्क्रिन, वेभसाइट, ब्रोसियरजस्ता माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा र यसको लागि आवश्यक शुल्क सम्बन्धी जानकारी समेत दिने व्यवस्थाका लागि नागरिक वडापत्र सहजरूपमा देखिने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।
- (घ) प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले पाउनुपर्ने सूचना व्यवस्थित रूपले प्रदान गर्न यस्तो सूचना प्रणालीलाई अस्पतालको सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) वार्ड तथा अन्य सम्बेदनशील कोठाहरू जस्तै लेवर-रुम, डेलिभरी-रुम, आइ.सी.यू. सी.सी.यू. अपरेशन थिएटर, आपतकालीन कक्षमा शीघ्र सूचना दिने पद्धति स्थापना भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताको अस्पतालको लागि :
- (१) अन्तरंग विभाग : अन्तरंग विभागमा लागि देहायको मापदण्ड पुगेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) महिला र पुरुषको लागि अलग-अलग वार्डको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ख) अस्पतालमा वार्डको सुविधा हुनेगरी ड्रेसिङ रुम, TT Room, काउन्सिलिङ रुम आदिको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।
- (ग) अपांगहरूको व्यक्तिगत सरसफाई र लुगा फेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने र अस्पताल भवन बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने ।
- (घ) एक जनरल वार्डमा अधिकतम पच्चीस शैया भन्दा बढी राख्न नपाईने ।
- (ङ) प्रत्येक कमन रुममा छ शैया भन्दा बढी राख्न नपाईने ।
- (च) प्रत्येक वार्डमा सिंगल, डबल र क्याबिन सहितको शैया भएका कोठाहरूको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने ।

- (छ) ठूला र जटिल प्रकारका शल्यक्रिया (Major Surgery) सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा कार्डियाक मनिटर भेन्टिलेटर समेतका पोष्ट अपरेटिभ रिक्भरी शैया अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (ज) प्रत्येक वार्डको लागि अलग-अलग नर्सिङ स्टेशन हुनुपर्ने ।
- (झ) अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार चेन्जिङ रुम, शौचालय, बाथरुम, नर्सिङ स्टोर, तथा ड्युटी रुमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने ।
- (ञ) लेबर रुम र प्रसूति कक्षमा कार्डियो-टोकोग्राफी मेशिन जडान भएको हुनु पर्ने ।
- (ट) यस्तो प्रविधि अस्पतालको सूचना प्रविधिमा जोडिएको हुनुपर्ने ।
- (२) एलाइड हेल्थ: एलाइड हेल्थको लागि देहायको मापदण्ड पुगेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) बायोकेमेष्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी सेवाहरु सञ्चालन भएको हुनुपर्ने ।
- (ख) कम्तिमा एक जना फिजियोथेरापिष्ट सहितको फिजियोथेरापी युनिट भएको हुनुपर्ने । त्यसमा फिजियोथेरापी तथा स्पिच थेरापीको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
- (ग) प्रयोगशाला परीक्षणको लागि कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरी न्यूमेट्रिक ट्युब प्रणालीबाट नमुनाको संकेत र प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने ।
- (घ) थेरापेटिक (Therapeutic) औषधि अनुगमनको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।
- (ङ) नमुना संकलन, रिपोर्ट वितरण र सोधपुछको लागि अलग-अलग कोठाहरू भएको हुनुपर्ने ।
- (च) Radiologyमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि Radiation Dose monitor गर्ने Monitor (Thermo Luminescent Dosimeters- TLD badges) उपलब्ध गराउनुपर्ने र समय समयमा Radiation survey Monitoring गर्नुपर्ने Eye, Gonadal, Thyroid gland आदिको Protection को लागि Lead glass/Gloves & Lead Apron को व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (छ) X-ray expose गर्ने कोठा, डार्करुम र प्रतीक्षा कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने ।
- (ज) Radiology विभागमा जनसाधारणले देखे ठाउँमा X-ray विकिरणले स्वास्थ्यमा खराब असर पर्नसक्छ भन्नेवारे सूचना टाँस्ने । साथै सूचनामा गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई अनावश्यक विकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्ने ।
- (झ) एम.आर.आई./सि.टी.स्क्र्यान राख्ने कोठाको साइज कम्तिमा १६×२० फिटको हुनुपर्ने ।
- (ञ) सि.टी.स्क्र्यानको लागि रेडियसन लिकेज हुन नदिनका लागि माथि एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- (ट) एम.आर.आई को कोठाको लागि External Magnetic असर हुन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- (ठ) कन्ट्रोल रुम कम्तिमा १० × १२ फीटको हुनु पर्ने ।
- (ड) सि.टी.स्क्र्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त र Spiral (Helical) हुनु पर्ने ।
- (ढ) एम.आर.आई. 0.5 Tesla or 0.2 Tesla भएमा M.R. Angiography सुविधा भएको हुनु पर्ने ।
- (३) ब्लड बैंक (Blood Bank) : एक शैया वा सो भन्दा बढीको अस्पतालमा रक्त सेवाको व्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्नेछ साथै अर्थोपेडिक, कार्डियाक सर्जरी, गाइने तथा अक्स, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलोजी सेवा दिने एक सय शैया भन्दा कम भएका अस्पतालले पनि आवश्यकता अनुसार रक्त सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबाट रक्त संचारसेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।
- (४) शव गृह (Mortuary):
- (क) शवगृह अस्पताल कम्पाउण्डभित्र तर अलगगै स्थानमा हुनु पर्ने ।
- (ख) शवगृहमा राखिने शव नसड्ने गरी राख्न सकिने खालको प्रविधियुक्त हुनु पर्ने ।
- (ग) अस्पतालमा रहेको शव गृहले छर छिमेकमा असर नपु-याउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अस्पतालले गर्नु पर्ने ।
- (५) फोहरमैला व्यवस्थापन (Waste Management) :
- (क) फोहरको सेग्रिगेशन, कलेक्सन, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रिटमेन्ट र अन्तिम विसर्जन छुट्टै योजना तयार गरी उपयुक्त प्रविधिबाट पोहरव्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।

- (ख) मर्करीयुक्त उपकरणहरूको सट्टामा डिजिटलाइज्ड उपकरण प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने ।
- (ग) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० ले तोके बमोजिम हुनु पर्ने ।
- (घ) एक सय शैया भन्दा माथिका अस्पतालमा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यको नियमित अनुगमन गर्न जनस्वास्थ्य कक्ष/वातावरणविद सहितको स्यानिटेसन यूनिट र कर्मचारी व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (६) सरसफाई व्यवस्था :
- (क) विरामी तथा कुरुवाको लागि नुहाउने घरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ख) महिला तथा पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय तथा नुहाउने घरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ग) अस्पताल परिसर तथा वार्डहरू हमेसा सफा राख्नु पर्ने ।
- (७) सुरक्षा व्यवस्था :
- (क) अस्पताल भवनमा चट्याङ्ग छल्ने (Anti-Lightening) प्रविधिको जडान, वैकल्पिक भन्डको व्यवस्था, आगो निभाउने संयन्त्र, अटोफायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर जडान गरिएको हुनु पर्ने ।
- (ख) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई विपद व्यवस्थापनका लागि (आगजनी, भुकम्प, हुलदंगा आदि) र आपत्कालीन उद्धार तथा उपचार गर्ने प्रभावकारी विधिको कार्य योजना बनाई सो सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कम्तिमा वर्षको दुई पटक र नमूना अभ्यास (Drill practice) कम्तिमा एक पटक गराउनु पर्ने ।
- (८) बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभाग : बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभागमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा (Specialized Services) को लागि देहाय बमोजिम मापदण्ड पुगेको हुनु पर्नेछ :-
- (क) पच्चिस देखि पचास शैयासम्म क्षमताको अस्पतालमा सामान्य चिकित्सा, जनरल सर्जरी, बालरोग र प्रसूती तथा स्त्रीरोग सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने ।
- (ख) एकाउन्न देखि एक सय शैया क्षमताका अस्पतालहरूमा खण्ड (क) मा उल्लिखित सेवाका अतिरिक्त अर्थोपेडिक्स, डेन्टल, नाक, कान तथा घांटी, यौन तथा छालारोग, साइकियाट्रिक जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू मध्येबाट थप दुई सेवा समेत हुनुपर्ने ।
- (ग) सय शैया देखि दुइ सय शैया क्षमताका अस्पतालहरूमा माथि (ख)मा समावेश भै बांकी रहेका थप दुई सेवा हुनु पर्ने ।
- (घ) दुइ सय देखि तीन सय शैया सम्मका अस्पतालमा माथि (ग)मा समावेश गर्न बांकी रहेका सेवा समेत थप तीन वटा विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ङ) तीन सय देखि पाँच सय शैयासम्मका क्षमताका अस्पतालका लागि खण्ड (घ)मा समावेश भएका बाहेक थप तीन वटा विशेष विशेषज्ञ सेवा (Super Speciality Service) हुनुपर्ने ।
- (च) पाँच सय शैयाभन्दा माथिका क्षमताका अस्पतालहरूमा खण्ड (ङ) मा उल्लेख भएका सेवामा कम्तीमा थप पाँच विशेष विशेषज्ञ सेवा थप भएको हुनुपर्ने ।
- (छ) दुई सय शैयाभन्दा बढीका अस्पतालको अन्तरंग विभागमा कुनै एक डायोलाइसिस सेवा हुनु पर्ने ।
- (ज) खण्ड (क) देखि (छ) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक मात्र विशेषज्ञ सेवा दिने गरी खोलिने अस्पतालको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी हुने छैन ।
- (ग) यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्डका अतिरिक्त अस्पतालले देहाय बमोजिमको मापदण्डहरू तथा पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-
- (१) अस्पतालका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार

| सि.न. | जनशक्ति | २५ शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | ५० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | ७५ शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | १०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | १०१-२०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | २०१-३०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा | ३०० शैया भन्दा माथी सेवा |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| १ | जग्गा क) ५५ बर्ग मिटर प्रतिशैया ख) भुइतला जग्गामा कम्तिमा १) भवन संहिता मापदण्ड अनुसार खाली जग्गा हुनुपर्ने २) २५ प्रतिशत जग्गा पार्किङका लागि छुट्याउनु पर्नेछ/३ शैयाको अनुपातमा १कार पार्क हुनुपर्ने (फरक पर्न आएमा जुनले बढी हुन्छ सोहीलाई आधार मान्नु पर्नेछ) । नोट: खाली जग्गामा निर्माण गर्न नपाइने | | | | | | | |
| २ | आकस्मिक सेवा र सामाग्री उपकरण यस निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । | | | | | | | |
| ३ | औषधि सम्बन्धमानिर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम २४ सै घण्टा हुनेछ । | | | | | | | |
| ४ | बहिरङ्ग सेवा सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । | | | | | | | |
| ५ | अन्तरङ्ग सेवा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ६ | शल्यक्रिया कक्ष | १ माइन्तर १ मेजर | १ माइन्तर १ मेजर | १ माइन्तर १ मेजर+ |
| ७ | आइ.सि.यू | स्वेच्छिक | अनिवार्य कुल शैयाको कम्तीमा ५ प्रतिशत | | | | | |
| ८ | प्रतिकारात्मक प्रबंधनात्मक सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा |
| ९ | शव गृह | कोठा | कोठा | गृह | गृह | गृह | गृह | गृह |
| १० | क्यान्टिन सेवा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ११ | मर्मत सेवा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

+ प्रति ५० शैयाका लागि थप १ मेजर ओ.टी. हुनुपर्नेछ।

२) आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न देहायको बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।

| सि. न | विवरण | २५ शैया विशेषज्ञ सेवा | ५० शैया विशेषज्ञ सेवा | ७५ शैया विशेषज्ञ सेवा | १०० शैया विशेषज्ञ सेवा | १००-२०० | २००-३०० | ३००-५०० | ५०० भन्दा माथि |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| १ | सवारी साधन जान सक्ने र सडक संग बाटो जोडिएको | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| २ | सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३ | प्रवेश मार्ग र बाहिर निस्कने मार्ग अलग अलग | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| ४ | प्रतिक्षालय | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ५ | सोधपुछ सम्पर्क गर्ने कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ६ | क्लीन चेयर,ट्रली, स्ट्रेचर राख्ने ठाउँ र काम गर्ने व्यक्ती | १,१,१,१ | २,२,२,२ | ३,३,३,३ | ४,४,४,४ | ५,५,५,५ | ६,६,६,६ | ७,७,७,७ | ८,८,८,८ |
| ७ | बिरामी छनौट गर्ने ठाउँ (TRIAGE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ८ | परीक्षण गर्ने कक्ष * | २* | ३* | ५* | ५* | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ९ | उपचार शैया * | ३* | ५* | ७* | ११ * | " | " | " | " |
| १० | अवलोकन कक्ष शैया)* | १(०) * | १(१) * | १(२) * | १(४) * | " | " | " | " |
| ११ | आकस्मिक | १ | १ | १ | १ | " | " | " | " |

| सि. न | विवरण | २५ शैया विशेषज्ञ सेवा | ५० शैया विशेषज्ञ सेवा | ७५ शैया विशेषज्ञ सेवा | १०० शैया विशेषज्ञ सेवा | १००-२०० | २००-३०० | ३००-५०० | ५०० भन्दा माथि |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | शल्यकृया कक्ष | | | | | | | | |
| १२ | सञ्चार सुविधा(टेलिफोन, इन्टरनेट, आदि) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| १३ | शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| १४ | शौचालय र शौचालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्था | निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम | | | | | | | |
| १५ | सार्वजनिक टेलिफोन सेवा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| १६ | आकस्मिक सेवाको लागि छुट्टै प्रयोगशाला सेवा | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| आवश्यक उपकरण: | | | | | | | | | |
| १ | सक्सन मेसिन प्रत्येक उपचार कक्षमा | १ | २ | ३ | ५ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| २ | सुचर सेट - प्रत्येक उपचार कक्षमा) | १ | २ | ३ | ५ | " | " | " | " |
| ३ | एम्बु ब्याग (Resuciation bag with Laryngoscope) | २ | ३ | ४ | ५ | " | " | " | " |
| ४ | अक्सिजन - प्रत्येक उपचार कक्षमा) | २ | ४ | ५ | ७ | " | " | " | " |
| | ई सी जी मेशिन | १ | १ | १ | २ | " | " | " | " |
| | Cardic Monitor | १ | १ | १ | २ | " | " | " | " |
| | डीफीब्रीलेटर (Automatic Electric Defibrillator) | १ | १ | १ | १ | " | " | " | " |
| | भेन्टीलटर (Portable) | १ | १ | १ | २ | " | " | " | " |
| | वी पी सेट-प्रत्येक उपचार कक्षमा) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | आइ भी स्टेण्ड(उपचार शैयाको अनुपातमा) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | प्लाष्टर गर्ने | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| सि. न | विवरण | २५ शैया विशेषज्ञ सेवा | ५० शैया विशेषज्ञ सेवा | ७५ शैया विशेषज्ञ सेवा | १०० शैया विशेषज्ञ सेवा | १००-२०० | २००-३०० | ३००-५०० | ५०० भन्दा माथि |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | सामग्री | | | | | | | अनुसार | अनुसार |
| | डाईग्नोस्टिक सेट | १ | २ | २ | ४ | ” | ” | ” | ” |
| | आकस्मिक कार्यको लागि औषधि सहितको कार्ट (ट्रली) | १ | १ | १ | २ | ” | ” | ” | ” |
| | ट्राकियोस्टोमी सेट | १ | १ | १ | १ | ” | ” | ” | ” |
| | Intra ocious | १ | १ | १ | २ | ” | ” | ” | ” |
| | भेनस सेक्सन सेट | १ | १ | १ | २ | ” | ” | ” | ” |
| | CVP Line Set | १ | १ | १ | २ | ” | ” | ” | ” |
| | निवुलाईजर सेट | १ | १ | १ | १ | ” | ” | ” | ” |
| | वाटरसील ड्रेनेज सेट | १ | १ | २ | २ | ” | ” | ” | ” |
| | सूचना पाटी | १ | १ | १ | १ | ” | ” | ” | ” |
| | ह्वील चियर, ट्रली, स्ट्रेचर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Foot step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ग्यास्ट्रिक ट्युब/ N/G tube Aspirationset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | डुस सेट (Enema) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | खुट्टाले चलाउने सक्सन मेसिन (Non Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Area Room(Beds) | R1,Y+G =2 OB1,Bo | R1,Y+G =3 OB2,Bo | R1,Y1,G3 ,OB3,B1 | R2,Y2,G 3 OB4, | तल दिएको अनुपातमा | तल दिएको अनुपातमा | तल दिएको अनुपातमा | तल दिएको अनुपातमा |

Red(R) = अति सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया = १ %
Yellow (Y) . सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया = २ %
Green (G) = सामान्यविरामीको सेवा दिने शैया = ३ %
Black(B) = मृत्यु भईसकेका विरामीलाई राख्ने शैया = १ %
Observation Room /Bed = 3%

(३) बहिरंग सेवा सञ्चालनको लागि अस्पतालले देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरूको पालना गरेको हुनु पर्नेछ -

| S N | Description | 25 beds | 50 beds | 75 beds | 100 beds | 100-200 beds | 200-300 beds | >300 beds |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Inquiry counter/ Cash | 1(28) | 1(28) | 1(56) | 1(75) | * | * | * |
| 2 | Medical record(sq.m) | 1(10.5) | 1(10.5) | 1(10.5) | 1(10.5) | * | * | * |
| 3 | Janitor's closet(sq.m) | 1(3.5) | 1(3.5) | 1(3.5) | 1(3.5) | * | * | * |
| 4 | Waiting room(sq.m) | 1(28.0) | 1(29.0) | 1(29.0) | 1(50.0) | * | * | * |
| 5 | Public Telephone (Self Operating) | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * |
| 6 | Toilets (Male and Female) | 2(17.5) 1+1 | 2(28) 2+1 | 3(35) 2+2 | 4(42) 2+2 | * | * | * |
| B | Medical Clinic | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 1 | Consultation room (each 14 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Sub Waiting room | 1(14.0) | 1(21.0) | 1(28) | 1(35.0) | * | * | * |
| C | Surgical Clinic | | | | | | | |
| 1 | Consultation room (each 14 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Treatment and Dressing room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 3 | Sub Waiting room | 1(14.0) | 1(21.0) | 1(28) | 1(35.0) | * | * | * |
| D | Obs/Gyne.Clinic | | | | | | | |
| 1 | Consultation room (each 14 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Treatment room | 1(17.5) | 1(17.5) | 1(17.5) | 1(17.5) | * | * | * |
| 3 | Toilet com cleaning room (attached to treatment room) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 4 | Waiting room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| E | Pediatric Clinic | | | | | | | |
| 1 | Consultation room (each 14 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Treatment room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 3 | Immunization room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 4 | Recreation & Play room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 5 | Waiting room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| F | Orthopedic Clinic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 1 | Consultation room (each 14 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Plaster and Splint storage room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 3 | Treatment room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 4 | Recovery & Plaster Cutting room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 5 | Waiting room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 6 | Physiotherapy room | 1(28) | 1(28) | 1(28) | 1(28) | * | * | * |
| G | ENT Clinic | | | | | | | |
| 1 | Consultation room (each 8sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Treatment room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Audiometry room Speech | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * | * |
| 4 | Waiting room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| H | Dental Clinic | | | | | | | |
| 1 | X-ray room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Consultation room (each 8 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 3 | Workshop/Lab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 4 | Recovery room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| I | Skin & STD clinic | | | | | | | |
| 1 | Consultation room (each 8 sq.m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |
| 2 | Treatment room | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * |

| S N | Description | 25 beds | 50 beds | 75 beds | 100 beds | 100- 200 beds | 200 300 bed |
|--------|------------------|---------|---------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| 3 | Skin Lab | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Waiting room | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Counselling room | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* Patient load र सेवाको प्रकृति थप गर्न सकिने ।

(४) अन्तरंग सेवाको लागि देहायका पुर्वाधार तथा मापदण्डहरूको पालना गरेको हुनुपर्नेछ :

| SN | Inpatient (General Ward) | 25 beds | 50 beds | 75 beds | 100 beds | 200 beds | 300 b |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| 1 | Ward Area (Per bed /7sqm)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Nursing station | 1(17.5) | 1(17.5) | 1(21) | 1(21.0) | * | * |
| 3 | Nurse's changing room | √ | 21 √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Treatment room | 1(10.5) | 1(14) | 1(21) | 1(21) | * | * |
| 5 | Clean Utility room | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | * | * |
| 6 | Ward Kitchen /Pantry | 1(10.5) | 1(14) | 1(21) | 1(21) | * | * |
| 7 | Sluice room (धोई पखाली) | 1(10.5) | 1(14) | 1(21) | 1(21) | * | * |
| 8 | W.C/L.S. | 1(10.5) | 1(14) | 1(21) | 1(21) | * | * |

| SN | Inpatient (General Ward) | 25 beds | 50 beds | 75 beds | 100 beds | 200 beds | 300 b |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| G | Ambulance | | | | | | |

* Patient load र सेवाको प्रकृती अनुसार थप गर्न सकिने
(स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०)

परिच्छेद ५ मानव संशाधन व्यवस्थापन

१७. **जनशक्ति विकास योजना** : अस्पतालको शैया क्षमताका आधारमा देहाय बमोजिमका न्यूनतम जनशक्तिको व्यवस्था भएकोहुनु पर्नेछ :-
- (क) प्रति पच्चीस शैयाका लागि एक जना एम.डी.जी.पी. चिकित्सक हुनुपर्नेछ । तर एम.डी.जी.पी. चिकित्सक नपाईने अवस्थामा पच्चीस शैयाका अस्पतालमा प्रसूती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र बाल रोग विशेषज्ञ ।
 - (ख) शल्यक्रिया प्रदान गर्ने कक्षमा प्रति शैया कम्तीमा एक जना शल्यचिकित्सक, एक जना एनेस्थेटिक्स, एक जना ईन्चार्ज, एक जना शल्यक्रिया सहायक र एक जना नर्स ।
 - (ग) जनरल कक्षा (General Ward) मा प्रति चार देखि छ शैयामा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था भएको।
 - (घ) ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षा (Post Operative Ward) मा प्रति दुई शैयामा एक जना नर्स ।
 - (ङ) सघन उपचार कक्षा (आई.सी.यू., एन.आई.सी.यू. सी.सी.यू. आदि) मा प्रति शैयामा एक जना स्टाफ नर्सका व्यवस्था ।
 - (च) प्रसूती कक्षका लेबर वेडमा प्रति वेड दुई एस.बी.ए. (Skill Birth Attendants) तालिम प्राप्त नर्स वा मीडवाइफ्रीको व्यवस्था ।
 - (छ) अस्पतालमा कम्तीमा एक जना मेडिकल रेकर्डर ।
 - (ज) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी फर्मासिष्ट लगायत आवश्यक संख्यामा जनशक्तिको व्यवस्था ।
 - (झ) अस्पतालमा कम्तीमा दुई तिहाइ पूर्णकालीन स्वास्थ्यकर्मी ।
 - (ञ) सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृत पत्र ।
 - (ट) हरेक स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित व्यवसायिक काउन्सिलबाट दर्ता नम्बर लिएको ।
 - (ठ) विदेशी स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयम्सेवकले मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित काउन्सिलबाट स्वीकृत लिएको ।
१८. **जनशक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण** : जनशक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण : (१) शिक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड बमोजिम र बाकीका हकमा देहायको शैया क्षमताको अस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

| सेवा/स मूह | पद/नाम | २५शैया | ५०शैया | ७५शैया | १०० शैया |
|---------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | फिजिसियन | 1* | 1+1 [#] | 2 | 2+1 [#] |
| 2 | सर्जन | 1* | 1 | 1+1 [#] | 2+1 [#] |
| 3 | बालरोग विशेषज्ञ | 1* | 1 | 1+1 [#] | 2+1 [#] |
| 4 | हाड तथा जोर्नी विशेषज्ञ | 1* | 1* | 1 | 1+1 [#] |
| 5 | स्त्रीरोग विशेषज्ञ | 1* | 1 | 2 | 2+1 [#] |
| 6 | यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ | 1* | 1* | 1* | 1+1* |
| 7 | प्याथोलोजिष्ट/बायोकेमिष्ट/माइक्रोबायोलोजिष्ट | 1* | 1* | 1 | 1+1* |

| | | | | | |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट | 1 [#] | 1 [#] | 1 | 1+1 [#] |
| 9 | ल्याव टेक्निसियन | 1 | 1+1 [#] | 1+2 [#] | 2+2 [#] |
| 10 | ल्याव असिस्टेन्ट | 1 | 1+1 [#] | 2+1 [#] | 3+1 [#] |
| 11 | रेडियोलोजिष्ट | 1* | 1 [#] | 1 | 1+1* |
| 12 | रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट/रेडियोग्राफी अधिकृत/वरिष्ठ रेडियोग्राफर | 1 | 3+1 [#] | 4+2 [#] | 5+2 [#] |
| 13 | नाक,कान, घाटीरोग सर्जन | 1* | 1* | 1* | 1 [#] |
| 14 | नेफ्रोलोजिष्ट | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 15 | अप्यल्मोलोजिष्ट | 1* | 1* | 1* | 1 [#] |
| 16 | एनेस्थेसिस्ट | 1* | 1 | 1+1* | 1+1 [#] |
| 17 | डेंटल/बि.डि.एस. | 1* | 1 [#] | 1 | 1 |
| 18 | मुटुरोग विशेषज्ञ | 1* | 1* | 1* | 1 [^] |
| 19 | स्नायुरोग विशेषज्ञ | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 20 | मानसिक रोग विशेषज्ञ | 1* | 1* | 1* | 1 [#] |
| 21 | एम.डि.जी.पी. | 1*! | 1*! | 1+1* | 1+2* |
| 22 | मेडिकल अधिकृत (एम.बी.बी.एस) | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 23 | मे.सू/निर्देशक | 1* | 1* | 1 | 1 |
| 24 | मेट्रोन | 1* | 1 | 1 | 1@ |
| 25 | सहायक मेट्रोन | 1* | 1* | 1 | 2 |
| 26 | सिष्टर/बि.एन. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | स्टाफ नर्स | 5 | 10 | 15 | 25 |

| सेवा/स मूह | पद/नाम | २५शैया | ५०शैया | ७५शैया | १०० शैया |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28 | अनमी | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 29 | हे.अ/ सिअहेव | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | अहेव | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 31 | फिजियोथेरापिष्ट | 1* | 1* | 1* | 1 |
| 32 | दन्त सहायक | 1* | 1* | 1 | 1+1* |
| 33 | हाउस किपर | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | अस्पताल प्रशासक | 1* | 1 | 1 | 1 |
| 35 | सहायक प्रशासक | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 36 | लेखा अधिकृत | | 1 | 1 | 1 |
| 37 | मेडिकल रेकर्डर | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | लेखापाल/स.लेखापाल | 1 | ~ | ~ | ~ |
| 39 | रिसेप्सोनिष्ट | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 40 | स्टोर किपर | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 41 | फार्मासिष्ट/फार्मसि सहायक | 1 [#] | 1 | 1 | 2 |
| 42 | इसिजी टेक्निसियन | 1* | 1* | 1+1* | 1+1 [#] |
| 43 | डाइटिसियन | 1* | 1* | 1* | 1+1* |
| 44 | वार्ड एटेंडेन्स महिला/पुरुष | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 45 | सुरक्षा गार्ड | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 46 | अडियोलोजी असिस्टेन्ट | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 47 | स्पिच थेरापिष्ट | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 48 | एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट | 1* | 1 | 1+1* | 2 |
| 49 | ईमर्जेन्सी फिजिसियन | | 1* | 1+1 [#] | 1+2 [#] |
| 50 | ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स | 1+1 [#] | 2+2 [#] | 3+2 [#] | 3+3 [#] |
| 51 | ईमर्जेन्सी नर्स | 1+1 [#] | 2+2 [#] | 3+2 [#] | 3+3 [#] |

* = Desirable

= Part time

^ = If ICU with ventilator

! = If other (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not available then mandatory

@ = Masters in Nursing

~ = As per need

नोट : २५ शैया क्षमता अस्पतामा अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध नभएतापनि एक जना एम. डी. जी. पी. अनिवार्य ।

(२)पचास शैया देखि एक सय शैया सम्मको क्षमता भएको (विशेषज्ञ अस्पताल)अस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

| सेवा/समूह | पद/नाम | ५०-७५ शैया | १०० शैया |
|-----------|--|------------|------------------|
| 1 | फिजिसियन | 2 | 3 |
| 2 | सर्जन | 2 | 3 |
| 3 | वालरोग विशेषज्ञ | 2 | 3 |
| 5 | स्त्रीरोग विशेषज्ञ | 2 | 3 |
| 7 | प्याथोलोजिष्ट/बायोकेमिष्ट/माइक्रोबायोलोजिष्ट | 1 | 1 |
| 8 | मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट | 1 | 1 |
| 9 | ल्याव टेक्निसियन | 2 | 2 |
| 10 | ल्याव असिस्टेन्ट | 2 | 2 |
| 11 | रेडियोलोजिष्ट | 1 | 1 |
| 12 | रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफिक अधिकृत | 1+2 | 1+3 |
| 18 | एनेस्थेसिष्ट | 1 | 2 |
| 19 | मुटुरोग विशेषज्ञ | 2 | 2+1 [#] |
| 20 | स्नायूरोग विशेषज्ञ | 2 | 2+1 [#] |
| 21 | मेडिकल अफिसर | 10 | 12 |
| 22 | मे.सू/निर्देशक | 1 | 1 |

| सेवा/समूह | पद/नाम | ५०-७५ शैया | १०० शैया |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 23 | मेट्रोन | 1 | 1 |
| 24 | सहायक मेट्रोन | 2 | 2 |
| 25 | सिष्टर | 4 | 5 |
| 26 | स्टाफ नर्स | 18 | 25 |
| 27 | अनमी | 1 [~] | 1 [~] |
| 28 | हे.अ/ सिअहेव | 5 | 8 |
| 29 | अहेव | 1 [~] | 1 [~] |
| 30 | फिजियोथेरापिष्ट | 1 | 2 |
| 31 | दन्त सहायक | 2 | 3 |
| 34 | हाउस किपर | 1 | 2 |
| 35 | मेडिकल रेकर्डर | 2 | 2 |
| 36 | अस्पताल प्रशासक | 1 | 1 |
| 37 | सहायक प्रशासक | ~ | ~ |
| 38 | लेखा अधिकृत | ~ | ~ |
| 39 | लेखापाल/स.लेखापाल | ~ | ~ |
| 40 | रिसेप्सनिष्ट | ~ | ~ |
| 41 | स्टोर किपर | ~ | ~ |
| 42 | फर्मासिष्ट | 3 | 4 |
| 43 | इसिजी टेक्निसियन | 2 | 3 |
| 44 | डाइटिसियन | 1 | 1 |
| 45 | वार्ड कुल्ली महिला/पुरुष | ~ | ~ |

* = Desirable

= Part time

^ = If ICU with ventilator

! = If other (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not available then mandatory

@ = Masters in Nursing

~ = As per need

नोट: माथि उल्लेखित विशेषज्ञ सेवाको हकमा अस्पतालले जुन विषयको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हो सो बाहेकको विशेषज्ञ सेवा स्वैच्छिक हुनेछ ।

(३)एक सयएक शैया देखि एक हजार शैया सम्मको जनरलअस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

| सेवा / समूह | पद / नाम | १०१ देखि २०० | २०१ देखि ३०० | ३०१ देखि ५०० | ५०१ देखि ७५० | ७५० देखि १००० ⁺ |
|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| मेडिकल डाक्टर | अस्पताल सुपरीटेन्डेण्ट | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | सहायक अस्पताल सुपरीटेन्डेण्ट | - | - | 1 | 2 | 3 |
| | फिजिसियन | 3+1* | 5+1* | 6+2# | 7+3# | 10+5# |
| | सर्जन | 3+1* | 5+1* | 6+2# | 7+3# | 10+5# |
| | एनेस्थेसिष्ट | 2 | 4+1# | 5+1# | 6+1# | 7+2# |
| | रेडियोलोजिष्ट | 2 | 2 | 3 | 4+1# | 6+1# |
| | प्याथोलोजिष्ट | 2 | 3 | 4 | 5+2# | 7+3# |
| | माइक्रोबायोलोजिष्ट | 1 | 1 | 2 | 2+1# | 2+2# |
| | बायोकेमिष्ट | 1 | 1 | 2 | 2+1# | 2+2# |
| | वालरोग विशेषज्ञ | 2+2# | 4+1# | 5+1# | 6+2# | 8+2# |
| | हाड तथा जोर्नी विशेषज्ञ | 2+1# | 3+1# | 4+1# | 6+2# | 8+2# |
| | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 4 | 6 | 7 | 8+2# | 10+2# |
| | यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | मुटुरोग विशेषज्ञ | 1 | 2 | 3 | 3+1# | 3+2# |
| | स्नायू रोग विशेषज्ञ | 1 | 2 | 2+1# | 2+2# | 2+3# |
| मानसिक रोग विशेषज्ञ | 1 | 2 | 3 | 3+1# | 4+1# | |

| सेवा / समूह | पद / नाम | १०१ देखि २०० | २०१ देखि ३०० | ३०१ देखि ५०० | ५०१ देखि ७५० | ७५० देखि १००० ⁺ |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | अन्य विषयगत विशेषज्ञ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ईमर्जेन्सी फिजिसियन | 2+1# | 2+2# | 3+2# | 4+2# | 5+2# |
| | मेडिकल अधिकृत | 10+2# | 12+2# | 15+7# | 20+14# | 30+20# |
| प्यारामेडिकल / प्राविधिक | ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स | 4+1# | 4+2# | 5+2# | 6+2# | 7+2# |
| | ल्याव टेक्नोलोजिष्ट | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| | ल्याव टेक्निसियन (ल्याव, ब्लड वैक) | 5 | 7 | 11 | 14 | 21 |
| | ल्याव सहायक टेक्निसियन | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| | रेडियोथेरापि टेक्नोलोजिष्ट | 1 | 1+1* | 2+1# | 3+1# | 4+2# |
| | रेडियोथेरापि टेक्निसियन | 1 ⁺ | 2 ⁺ | 3 ⁺ | 4 ⁺ | 5 ⁺ |
| | मेडिकल फिजिसिष्ट | 1* | 1# | 1+1# | 1+1# | 1+2# |
| | सहायक मेडिकल फिजिसिष्ट | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | रेडियोग्राफीक अधिकृत | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| | रेडियोग्राफर | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| | फिजियोथेरापिष्ट | 1 | 1 | 2 | 2 | 2+1# |
| | फिजियोथेरापि टेक्निसियन | 1 | 2 | 3 | 3+1# | 4+1# |
| | फिजियोथेरापि सहायक | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| | अप्यलमोलोजिष्ट | 1 | 2 | 3 | 3+1# | 4+1# |
| | फुड एण्ड न्यूट्रीसनिष्ट | 1 | 2 | 2+1# | 3+1# | 4+1# |
| | फुड एण्ड न्यूट्रीसन सहायक | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | अनुसन्धान तथा परामर्श अधिकृत (जनस्वास्थ्य) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | फार्मिसिष्ट | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | साइटोटेक्निसियन | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ईसिजि टेक्निसियन | 2 | 2 | 3 | 4 | 5+1# |
| | ईको टेक्निसियन | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | ओ.टी. सहायक | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| | मेडिकल रेकर्ड अधिकृत | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | मेडिकल रेकर्ड सहायक | - | - | - | - | - |
| | सूचना प्रविधि अधिकृत | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | सूचना प्रविधि सहायक | - | - | - | - | - |
| | एन्टेन्डेण्ट (ल्याव, ब्लड वैक, वार्ड, ओ.पी.डी.) | - | - | - | - | - |
| सरसफाई सहायक | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | बायोमेडिकल इन्जिनियर | 1* | 1 | 1+1* | 2 | 2+1* |
| | बायोमेडिकल टेक्निसियन | 1 | 1+1* | 3 | 4 | 4+2* |
| | इलेक्टिसियन | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | लिफ्ट अपरेटर | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | प्लम्बर | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | बगैचे | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| नर्सिङ | मेट्रोन | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | सहायक मेट्रोन | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | नर्सिङ सुपरभाईजर | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| | नर्सिङ अधिकृत | 5 | 10 | 15 | 23 | 34 |
| | स्टाफ नर्स/इमर्जेन्सी नर्स | 50+25 [#] | 100+25 [#] | 150+50 [#] | 200+50 [#] | 300+100 [#] |
| प्रशासन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन | अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | सहायक अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 |
| | प्रशासकीय अधिकृत | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | प्रशासन सहायक | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | रिसेप्सनिष्ट | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | ड्राईभर | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

| सेवा/समूह | पद/नाम | १०१ देखि २०० | २०१ देखि ३०० | ३०१ देखि ५०० | ५०१ देखि ७५० | ७५० देखि १००० ⁺ |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | सुरक्षा गार्ड | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | सहयोगि/एटेन्डेन्ट | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | लेखा अधिकृत | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | सहायक लेखा अधिकृत | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | लेखापाल | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | सहायक लेखापाल | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | स्टोर अधिकृत | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | स्टोर सहायक | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

* = Desirable

= Part time

+ = If oncologist service available

~ = As per need

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० ।

परिच्छेद ६

औजार तथा उपकरणहरू

१९. **उपकरण सम्बन्धी मापदण्ड:** शिक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड बमोजिम र अस्पतालमा रहने प्रयोगशाला तथा उपकरणको हकमा देहायमा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरू (Laboratory Instruments)र

| SN | Name of Instruments | Unit | Bed capacity and number of instruments | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|--|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 25 bed | 50 bed | 75-100 bed | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1. | Microscope | pcs | 1-3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Microtome | pcs | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Tissue processor | pcs | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Slide Stainer (Histo) | pcs | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Tissue Floating water bath | set | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Immuno histo-chemistry set | set | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7. | Auto Analyzer (Bio Chemistry) | set | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Semi Auto Alalyzer (Bio Chemistry) | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9. | Elisa reader with Washer | set | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Incubator | set | 1 | 1-2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 11. | Chemical Balance | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Electrolyte Analyzer | set | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13. | Colorimeter | Set | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 14. | Hot air Oven | Set | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 15. | Autoclave | Set | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Refrigerator | Set | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 17. | Coagulometer for coagulation profile | set | - | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Blood cell counter(18 parameters or above) | pcs | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19. | Blood gas analyzer | Set | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Generator | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Centrifuge | pcs | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 22. | Laminar hood | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Counting Chamber | pcs | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 24. | DLC counter | pcs | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Pipettes, Glassware/kits /Consumables | pcs | As per need | | | | | | | |
| 26. | Biosafety Cabinet (Class II) | | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 27. | Incinerator | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Glassware/kits/ reagent consumables | | as per need | | | | | | | |
| 29. | Computer with printer | set | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 6 |
| 30. | Adequate number of Furniture should be available. | | | | | | | | | |

(ख) **Imaging Equipments:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | | | | |
|----|--|-------------|----------|----------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| | | 25 | 50 | 75 | 100 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | 500 ma X-ray with image intensifier | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1+1* | 1+2* | 2+1* |
| 2 | 300 ma X-ray machine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3 | 4 |
| 3 | 100 ma X-ray machine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 3* |
| 4 | 100 ma X-ray machine (MOBILE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Dry View Processor (CR System) | स्वैच्छक | स्वैच्छक | स्वैच्छक | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 |
| 6 | Dental X-ray machine | स्वैच्छक | स्वैच्छक | स्वैच्छक | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ultra-sound machine with color dropler and guided biopsy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Spiral C.T. Scan | - | स्वैच्छक | स्वैच्छक | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | MRI machine | - | स्वैच्छक | स्वैच्छक | * | * | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Mammography Unit | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Echocardiogram | स्वैच्छक | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

As per need.

(ग) **Cardiac Equipments:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|--|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Computerized ECG machine | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Ordinary ECG machine | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | 12 Channel stress ECG test equipments Tread Mill * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Cardiac Monitor | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 5 | Cardiac Monitor with defibrillator | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Ventilators (Adult) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ventilators (Pediatrics) | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Pulse Oximeter | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 9 | Pulse Oximeter with NIB.P* | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Infusion pump | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | B.P.apparatus table model | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 |
| 12 | B.P.apparatus stand model | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 |
| 13 | Stethoscope | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 |

Note: * To be available as per need.

(घ) **Operation Theatre Equipments:**

| SN | Name of the Equipment | No. Of Beds | | | | |
|----|--|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Autoclave HP Horizontal | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | Auto Clave HP Vertical (2 bin) | * | * | * | * | * |
| 3 | Operation Table Ordinary Paediatric | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Operation Table Hydraulic Major | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 5 | Operation Table Hydraulic Minor | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 6 | Operating table non-hydraulic field type | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Operating Table Orthopedic | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Autoclave with burners 2 bin | * | * | * | * | * |
| 9 | Autoclave vertical single bin | * | * | * | * | * |
| 10 | Shadowless lamp ceiling type major | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11 | Shadowless lamp ceiling type minor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Shadowless lamp stand model | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13 | Focus lamp ordinary | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Sterilizer big(Instrument) | * | * | * | * | * |
| 15 | Sterilizer Medium (Instrument) | * | * | * | * | * |
| 16 | Sterilizer Small (Instrument) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 17 | Bowl Steriliser-big | * | * | * | * | * |
| 18 | Bowl steriliser-medium | * | * | * | * | * |
| 19 | Diathermy machine (Electric Cautery) | 6 | 7 | 21 | 23 | 25 |
| 20 | Suction Apparatus- Electircal | 3 | 5 | 16 | 20 | 25 |
| 21 | Suction Apparatus (foot operated) | * | * | * | * | * |
| 22 | Dehumidifier | * | * | * | * | * |
| 23 | Ultra Voilet Lamp | * | * | * | * | * |
| 24 | Ethylene Oxide Sterilizer | * | * | * | * | * |
| 25 | Microwave sterilizer | * | * | * | * | * |

Note: * To be available as per need

* To be available as per no.of OT need.

ड) सय शैया भन्दा माथिको अस्पतालमा Pathology Equipments देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :-

१) **Microbiology, Bacteriology:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Incubator | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Hot Air Oven | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Microscope | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Centrifuge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | CO ₂ Incubator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Anaerobic Incubator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Biosafety Cabinet | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Refrigerator | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Auto pipette | As per need | | | | |
| 10 | Glassware/kits/ reagent consumables | as per need | | | | |

२) **Biochemistry:**

| SN | Name of the Equipment | No. of beds | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Auto Analyzer | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Semi Auto Analyzer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Chemical Balance | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Electrolyte Analyzer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Centrifuge | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Colorimeter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Hot air oven | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Refrigerator | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Micro pipettes | (as per needs) | | | | |
| 10 | pH meter | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Blood Gas Analyzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Glassware/kits/ reagent consumables | as per need | | | | |

३) **Hematology:**

| SN | Name of the equipment | No. of beds | | | | |
|----|---|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Microscope (Binocular) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Blood cell counter (18 parameters or above) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Centrifuge | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Colorimeter | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Hot air oven | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Refrigerator | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Counting Chamber | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Computer with Printer | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Micro pipette | (As per need) | | | | |
| 10 | Coagulometer for coagulation Profile | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Hb Electrophoresis set | | | | 1 | 1 |
| 12 | Distillation Plant | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | CT coagulometer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Glassware/kits/ reagent consumables | as per need | | | | |
| 15 | Water bath | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

(8) **Histopathology:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Microscope | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Microtome (Sliding/Rotatory) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Tissue processor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Stainer (Histo/Cyto) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Incubator | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Chemical Balance | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Centrifuge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Hot air Oven | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Autoclave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Refrigerator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Counting Chamber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Generator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Computer with Printer | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Micro pipettes | As per need | | | | |
| 15 | Cytocentrifuge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Slide Cabinet | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 17 | Block Cabinet | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Tissue Tek-II Embedding centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Immunohisto chemistry | | | | 1 | 1 |
| 20 | Glassware/kits/ reagent consumables | as per need | | | | |

9) **Microbiology, Virology, Serology:**

| SN | Name of the Equipment | No. of beds | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Binocular Microscope | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ELISA reader with Washer) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Water Bath | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Hot air oven | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Refrigerator | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Refrigerated Centrifuge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Multi channle micro pipette | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Variable Micro pipette (As per need) | | | | | |
| 9 | Micro Mixer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Incubator | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Centrifuge | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Weighting balance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Autoclave vertical | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Deep freezer -20°C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Deep freezer -80°C | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | Laminar hood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Biosafety Cabinet Class-2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Vortex mixture | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | Stop watch | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Clean bench hood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Computer with printer | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | Glassware/kits/ reagent consumables | as per need | | | | |
| 23 | Adequate furniture shood be available | | | | | |

च) **Anaesthesia Equipments :**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------------|----------------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Anaesthetic-laryngoscope magills with four blades | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | a) Adult | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | b) Paediatric | | | | | |
| 2 | Endo Tracheal tube sets | 25 | 30 | as per needed | 50 (each size) | 60 |
| 3 | Magills forceps (two sizes) | 25 | 30 | 40 | 50 (each size) | 60 |
| 4 | Connector set of six for E.T.T. (Circuit) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 5 | Tubes connecting for ETT (T-Piece) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 6 | Air way (Female) | 40 | 60 | as per needed | 100 | 120 |
| 7 | Air way (Male) | 40 | 60 | as per needed | 100 | 120 |
| 8 | Mouth Prop | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 9 | Tongue Depressors | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 10 | O ₂ cylinder for boyles | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 11 | N ₂ O Cylinder for Boyls | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 12 | PFT machine | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | Boyles Apparatus with Fluotec and circle absorber | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| 14 | Ventilators | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 15 | Monitors ECG, NIBP, SPO ₂ with IBP | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 16 | Monitors ETCo ₂ / Gas Analyzer IBP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|--|-------------|---------|---------|----------------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 17 | Transport Monitor ECG, SPO ₂ , NIBP | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 18 | Transport Ventilator | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 19 | Fibreoptic Bronchoscope | | | | | |
| | c) Adult | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| | d) Paediatric | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Portable USG for Regional Anesthesia | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Portable Echocardiography for ICU/CCU/OT | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Mac Coy Laryngoscope | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 23 | Intubating LMA 3,4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 24 | Video Laryngoscope | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 25 | Double Lumen Tube | 10 | 15 | 20 | 25 (each size) | 28 |
| 26 | AMBU bag / Mask | 25 | 50 | 80 | 100 sets | 110 |
| 27 | GAS analyser | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Defibrillator | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |

(छ) **Teaching Equipments :**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Slide Projector | x | x | X | x | x |
| 2 | O.H.P. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Screen | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | White / colour boards | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Telivision colour | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Tape recorder (2 in 1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | VCD Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Radio | * | * | * | * | * |
| 9 | LCD Projectors | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Computer | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Note: * To be available as per need
X Not required

(ज) Labour ward, Neonatal and Special Newborn Care Unit (SNCU) Equipment:

| SN | Name of the equipment | 101-200 bedded | 201-300 Bedded | 301-500 Bedded |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Baby Incubators | 1 | 3 (1 for labour room & 2 for neonatal room) | 2 |
| 2 | Phototherapy Unit | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Emergency Resuscitation Kit-Baby | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Standard weighing scale | 1 each for the labor room & OT | 1 each for the labor room & OT | 1 each for the labor room & OT |
| 5 | newborn Care equipment | 1 set each for labor room & OT | 1 set each for labor room & OT | 1 set each for labor room & OT |
| 6 | Double-outlet Oxygen Concentrator | 1 each for the labor Concentrator | 1 each for the labor Concentrator | 1 each for the labor Concentrator |
| 7 | Radiant Warmer | 2 | 3 (1 for labour room & 2 for neonatal room) | 5 |
| 8 | Room Warmer | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Foetal Doppler | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Cardio Toco Graphy Monitor | 2 | 3 | 3 (Desirable) |
| 11 | Delivery Kit | 10 | 15 | 20 |
| 12 | Episiotomy kit | 2 | 10 | 10 |
| 13 | Forceps Delivery Kit | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Crainotomy | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Vacuum extractor metal | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Silastic vacuum extractor | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Pulse Oxymeter baby & adult | 1 each | 2 each | 2 each |
| 18 | Cardiac monitor baby & adult | 1 | 2 | 2 each |
| 19 | Nebulizer baby | 2 | 4 (for ICU & wards) | 2 |
| 20 | Weighing machine adult | 3 | 6 | 4 |
| 21 | Weighing machine infant | 3 | 4 | 4 |
| 22 | CPAP Machine | - | - | 1 |
| 23 | Head box for oxygen | 4 | 6 | 8 |
| 24 | Haemoglobinometer | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Glucometer | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Public Address System | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Wall Clock | 1 | 1 | 2 |
| 28 | BP Apparatus & Stethoscope | 2+2 | 3+3 | 4+4 |

(झ) Equipment for Eclampsia Room (for 300-500 Bedded Hospital):

| SN | Equipment | No. |
|----|---|-----|
| 1 | ICU Beds | 2 |
| 2 | Emergency Resuscitation Tray (Adult) including intubation equipment | 3 |
| 3 | BP Apparatus | 3 |
| 4 | Cardiac Monitor | 2 |
| 5 | Pulse oximeter | 2 |
| 6 | Airway (Female) | 2 |
| 7 | nebuliser | 1 |
| 8 | Oxygen Supply (Central) | 2 |
| 9 | Suction Apparatus (Electrical) | 2 |
| 10 | Suction Apparatus (Foot) | 1 |
| 11 | Wall Clock | 1 |
| 12 | Torch | 1 |
| 13 | Emergency Call Bell | 2 |
| 14 | Stethoscope | 2 |

(८) **Special Newborn Care Unit (SNCU) Equipment**

(९) **General Equipment for SNCU :**

| SN | Equipment | No. |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Electronic weighing scale | 5 (essential) |
| 2 | Infantometer | 5 (essential) |
| 3 | Emergency drugs trolley | 5 (essential) |
| 4 | Procedure trolley | 5 (essential) |
| 5 | Wall clock with seconds hand | 1 for each room |
| 6 | Refrigerator | 1 for the unit |
| 7 | spot lamp | 5 (essential) |
| 8 | Portable x-ray machine | 1 for the unit (essential) |
| 9 | Basic surgical instruments e.g. fine scissors, scalpel with blades, fine artery forceps, suture material & needles, towel, clips etc. | 1 set per bed (essential) |
| 10 | Nebulizer | 1 for the unit |
| 11 | Multi-channel monitor with non-invasive BP monitor (3 size: 0, 1, 2- disposable in plenty-reusable neonatal probe, at least 4) | 4 (desirable) |
| 12 | Room Thermometer | 4 (essential) |

(१०) **Equipment for disinfection of Special Newborn Care Unit:**

| SN | Equipment | No. |
|----|--|--|
| 1 | Electric heater/boiler | 2 (essential) |
| 2 | Washing machine with dryer (separate) | 1 (essential) |
| 3 | electronic fumigator | 2 (essential) |
| 4 | Vacuum Cleaner | 1 (essential) |
| 5 | Gowns for doctors, nurses, neonatal aides, Group D staff & mothers | Adequate number of each size (essential) |
| 6 | Washable slippers | Adequate number of each size (essential) |
| 7 | Vertical Autoclave | 1 (essential) |
| 8 | Autoclave drums (large & medium & small sizes) | At least 6 of each size (essential) |
| 9 | Disinfectant Sprayer | 1 (essential) |
| 10 | Container for liquid disinfectant | 2 (essential) |
| 11 | Formalin Vaporizer | 1 (essential) |
| 12 | Hot Air oven | 1 (desirable) |
| 13 | Ethylene oxide (ETO) Sterilizer | 1 (desirable) |

(८) **Administration Equipments :**

| SN | Name of the Equipment | No of Beds | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection** | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| 2 | Xerox Machine | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Typewriter (Electronic)* | | | | | |
| 4 | Intercom (15 lines)* | | | | | |
| 5 | Intercom (40 lines)* | | | | | |
| 6 | Fax Machine | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Telephone | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 8 | Paging System* | | | | | |
| 9 | Public Address System* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Library facility* | | | | | |

* Note: * To be available as per need.

** At least one for Medical Records and one for IDSP

(९) **Refrigeration & AC:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Refrigerator 165 liters | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 |
| 2 | Blood Bank Refrigerator | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | ILR | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Deep Freezer | * | * | * | * | * |
| 5 | Coolers | * | * | * | * | * |
| 6 | Air Conditioners | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 7 | Central A/C for OT | ** | ** | ** | ** | ** |

Note: * To be available as per need

** To be available as per no. Of Operation Theater

(१०) **Hospital Plants:**

| SN | Name of the Equipment | No of Beds | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000+ |
| 1 | Generator 40 / 50 KV | | | | | |
| 2 | Generator 75 KV | 1 | | | | |
| 3 | Generator 125 KV | | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
| 4 | Portable 2.5 KV | 1 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ |
| 5 | Solar Water heater * | | | | | |
| 6 | Incinerator* | | | | | |
| 7 | Central supply of O2, N2O, Vacuum * | | | | | |
| 8 | Cold storage for mortuary * | | | | | |

Note: * To be provided as per need

+ additional as per need

(११) **Transport:**

| SN | Name of the Equipment | No. of Beds | | | | |
|----|------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| | | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-750 | 751-1000 |
| 1 | Ambulance | 2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
| 2 | Van (Family Welfare) | * | * | * | * | * |
| 3 | Pickup vehicle | * | * | * | * | * |
| 4 | Mortuary Van | 1 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ |
| 5 | Administrative vehicle | * | * | * | * | * |
| 6 | Minidor 3 wheeler | * | * | * | * | * |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|---|---|
| 7 | Bicycle | * | * | * | * | * |
| 8 | Staff Bus | * | * | * | * | * |
| 9 | Programme vehicle | * | * | * | * | * |
| 10 | Motorcycle | * | * | * | * | * |

Note: * To be provided as per need. + additional as per need

(८) List of emergency and essential Drugs/ Instruments:

(९) **List of emergency and essential drugs:**

| SN | Name of Drugs |
|----|---|
| 1 | Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole (Inj) |
| 2 | Adrenaline (Inj) |
| 3 | Chlorpheniramine (Inj) |
| 4 | Aminophylline (Inj) |
| 5 | Atropine (Inj) |
| 6 | Hyoscine Bromide (Inj) |
| 7 | Calcium Gluconate (Inj) |
| 8 | Ciprofloxacin, Ampicillin, Ampiclox, Ceftrizone, etc. (Inj) |
| 9 | Deriphylline (Inj) |
| 10 | Dexamethasone (Inj) |

| SN | Name of Drugs |
|----|--------------------------------------|
| 11 | Dextrose 5% Saline (Inj) |
| 12 | Dextrose 10% Saline (Inj) |
| 13 | Dextrose 25% (Inj) |
| 14 | Dextrose 50% (Inj) |
| 15 | Diazepam, Lorazepam, Amdazolam (Inj) |
| 16 | 5 % Dextrose Saline (Inj) |
| 17 | Dopamine (Inj) |
| 18 | Pentazocine (Inj) |
| 19 | Hydrocortisone (Inj) |
| 20 | Frusemide (Inj) |
| 21 | Mannitol (Inj) |
| 22 | Metronidazole (Inj) |
| 23 | Morphine (Inj) |
| 24 | Nitroglycerine, Labetolol (Inj) |
| 25 | Normal Saline (Inj) |
| 26 | Paracetamol (Inj) |
| 27 | Metachlopramide (Inj) |
| 28 | Pethidine (Inj) |
| 29 | Phenergan (Inj) |
| 30 | Potassium Chloride (Inj) |
| 31 | Phenobarbitone (Inj) |
| 32 | Phenytoin (Inj) |
| 33 | Naloxone (Inj) |
| 34 | Vitamin 'K' (Inj) |
| 35 | Ringer's Lactate (Inj) |
| 36 | Sodium Bicarbonate (Inj) |
| 37 | Diclofenac (Inj) |
| 38 | Dobutamine (Inj) |
| 39 | Noradrenaline (Inj) |
| 40 | Isoprenaline (Inj) |
| 41 | Aminodarone (Inj) |
| 42 | Magnesium Sulphet (Inj) |
| 43 | Digoxin (Inj) |
| 44 | Adenosine, Verapamil (Inj) |
| 45 | Tramostate (Inj) |
| 46 | Antacids (Tab) |
| 47 | Aspirin (Tab) |
| 48 | Diclofenac (Tab) |

| | |
|----|----------------------------|
| 49 | Paracetamol Tablet, gel |
| 50 | Ibuprofen (Tab) |
| 51 | Codeine Phosphate (Tab) |
| 52 | Prednisolone (Tab) |
| 53 | Antidiotics Oral (Tab/Cap) |
| 54 | Povidine Iodine (Sol) |
| 55 | Antidiotics Ointments |
| 56 | Others as per necessary |

(२) List of essential instruments for Emergency:

| SN | Equipment |
|----|---|
| 1 | Ambu bag with mask |
| 2 | Artery Forceps |
| 3 | Salbutamol Inhaler |
| 4 | Povidone Iodine |
| 5 | Blood Transfusion Set |
| 6 | BP Instrument |
| 7 | Clinwax ear drop |
| 8 | Crepe Bandage 4" |
| 9 | Crepe Bandage 6" |
| 10 | Dissection Forceps non tooth |
| 11 | Dissection forceps tooth |
| 12 | Disposable Syringe 3cc, 5cc, 10cc, 20cc |
| 13 | Endo tracheal tube(Pediatric and Adult) 3.0-8.5 |
| 14 | Laryngeal Mask airway 3.0-8.5 |
| 15 | Foley's catheter 6f-20f, 3way |
| 16 | Gloves No.6, 6.5, 7, 7.5 |
| 17 | I.V. Cannula 14G-24G |
| 18 | I.V. Set + Pediatric Burret |
| 19 | I.V. Infusion Set |
| 20 | C.V.P. line Set |
| 21 | Chest Tube (Different Sizes) |
| 22 | Ipratropium bromide inhaler + Solution |
| 23 | Knee hammer |
| 24 | Laryngoscope with blade (Adult, Pediatric sizes) |
| 25 | Leucoplast |
| 26 | Oxymetazoline Nasal drop |
| 27 | Needle holder |
| 28 | Ryle's tube (N/G Tubes) |
| 29 | Scissors (different types) |
| 30 | Silver sulphadiazine cream |
| 31 | Stethoscope |
| 32 | Suction Machine with tubes |
| 33 | Thermometer |
| 34 | Sphygmomanometer |
| 35 | Tongue depressor |
| 36 | Torch Light |
| 37 | Uro bag |
| 38 | Wooden Splint Different sizes |
| 39 | Spinal Board-1 |
| 40 | Cervical Collor 1-5 |
| 41 | Antibiotic Injection (Different) |
| 42 | Pulse Oxymeter -1 |
| 43 | Otoscope-1 |
| 44 | Ophthalmoscope-1 |
| 45 | Glucometer -1 |
| 46 | Digital Clock |

परिच्छेद ७

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२०. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरू:

(क) मुटुरोग :

(१) मुटुरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा यस निर्देशिकामा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको पूर्वाधारहरूको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :-

| विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| १. आकस्मिक सेवा : • Observation ward (Should have direct access to cath lab) • <u>Equipment</u> : • Monitors • Defibrilators • Ventilator • Intubation Set & Emergency Drug Counter • IABP (IntraAorticBalloon Pump) | 10 | 14 | 20 |
| २. अन्तरंग सेवा • SICU • CCU • Intermediate / Monitored Beds Medical • Intermediate / Monitored Beds Surgical • अन्य शैया साधारण • Operating Rooms (Lauminar Flow & Air Filter) | 10 10 30 30 - 3 | 12 12 40 40 - 5 | 14 14 50 50 - 4 |
| ३. कार्यगत विभागहरू (Functional Departments) | | | |
| क. कार्डियोलोजी विभाग : • Non-Invasive • Invasive / Interventional Cardiology • Electro-physiology • Preventive Rehabilitation | √ √ Optional Optional | √ √ √ √ | √ √ √ √ |
| ख. कार्डियाक सर्जरी (Cardiovascular) • Adult • Pediatric • Vascular | √ √ Optional √ | √ √ √ √ | √ √ √ √ |
| ग. Radiology Imaging Services • X-Ray • USG general • CT Scan • MRI for Cardiac Imaging • Nuclear Medicine • Cath Lab. | √ √ √ Optional Optional √ | √ √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ √ |
| घ. Anesthesia | √ | √ | √ |
| ङ. Pathology : • Hematology • Bio-chemistry • Micro-Biology | √ | √ | √ |
| च. नर्सिङ : सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| छ. अस्पताल प्रशासन : सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| ज. Blood Bank | √ | √ | √ |

1

यस परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिमका विशेषज्ञ सेवा बाहेक अन्य सेवा जस्तै: श्वासप्रश्वास, अर्बुदरोग, प्लाष्टिक सर्जरी आदिका

हकमा भौतिक पूर्वाधार र आकस्मिक सेवा कम्तिमा जनरल अस्पताल सरह र अन्य विशेष स्वास्थ्य सेवासुविधाका हकमा प्रचलित ढङ्ग मापदण्ड अनुसार हुनु पर्नेछ ।

| विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-४०० शैया |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| भ. Hospital Pharmacy (own/outsourced) | √ | √ | √ |
| त्र. अन्य विभागहरू सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | - | - | - |
| ट. Additional / Specialty Services : In form of experts | | | |
| • Pediatrics | Optional | √ | √ |
| • Infectious Diseases | Optional | √ | √ |
| • Nephrology | √ | √ | √ |
| • Neurology | √ | √ | √ |
| • General Medicine Survey | √ | √ | √ |
| ४. Key Human Resources : | | | |
| Cardiologist : (Full Time + Part Time) | 5 | 5 | 5 |
| • General / Adult / Pediatric Cardiologist | | | |
| • Specialist in Intervention | Optional | √ | √ |
| • Specialist in Non Invasive | F/P 5 | 5 | 7 |
| • Rehab/Preventive | | | |
| Cardiac / Vascular Surgeons (F/P) | 2 | 4 | 6 |
| - Adult | 5 | 5 | 7 |
| - Pediatric | 4 | 5 | 6 |
| - Vascular | 1 | 2 | 3 |
| • Intensivist : | 1 | 2 | 3 |
| - Anesthesiologist : Full Time / Part Time | 1 | 2 | 3 |
| - Radiologist | 1 | 2 | 3 |
| - Pathologist : Histopathologist | Optional | Optional | Optional |
| Biochemist | | | |
| Micro Biologist | | | |
| Hematologist | | | |
| - Pharmacologist / Pharmacist | | | |
| - Dietician: (Nursing/ Paramedics / Technicians): सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | | | |
| • Appropriate Skill mix of Admin/Nursing/Auxiliary Services/Medical Officers/ Registrars and other relevant personnel (at least the ratio as per general hospitals) | | | |
| • 24 hours coverage by other specialists : | | | |
| - Pediatrician | | | |
| - Infectious diseases Specialist | | | |
| - Nephrologists | | | |
| - Neurologist | | | |
| - General Surgeon | | | |
| ५. Key Equipment (Minimum ECG machines 12 Level) | 10 | 15 | 20 |
| • X-Ray machine 500 MA | 1 | 2 | 3 |
| • Portable X-Ray machine | 2 | 3 | 4 |
| • USG machine – (as per general hospital) | 2 | 2 | 3 |
| • Echocardiography with color doppler and TEE(TransesophagealEchocardiogram) | 3 | 5 | 8 |
| • Cardiac monitors with SPQ2, Temp, IBP, NIBP, CO2, etc | 15-25 | 25-35 | 35-55 |
| • Continuous Cardiac output monitor | 1 | 2 | 3 |
| • Monitor with gas analyzer : Anesthesia Machine | 4 | 6 | 10 |
| • Blood Gas Analyzer | 2 | 3 | 4 |
| • Holter Recorder & analyzer | 2 | 4 | 6 |
| • Intraaortic Balloon Pump (ABP) | 2 | 5 | 8 |
| • Ambulatory BP recorder | 2 | 3 | 5 |
| • TMT | 3 | 5 | 8 |
| • TMT | 2 | 2 | 2 |
| • Auto processor for X-Rays | 2 | 2 | 3 |
| • Defibrillator with internal paddles | 1 | 2 | 3 |
| • Defibrillator with External Pacing function | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | 15 | 17 |

| विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Ventilator (adult & Pediatric) | 10 | 20 | 30 |
| • Infusion Pump | 50 | 75 | 100 |
| • Syringe Pumps | 50 | 75 | 100 |
| • Heart lung machine | 2 | 4 | 6 |
| • Heater Cooler | 2 | 4 | 6 |
| • CT Scan (Multislice= >16) | 1 | 1 | 2 |
| • MRI (with cardiac functions) | Optional | 1 | 1 |
| • Nuclear medicine system | Optional | Optional | 1 |
| • Lab Equipment (as per general hospital guideline) (as per NTSC of BTA guideline) | As per Guideline 1 | As per Guideline 2 | As per Guideline 3 |
| • Blood Bank Equipment (component Separator is a must) | 1 | 2 | 3 |
| • Rehab / Physiotherapy Equipment (Set) | 1 | 2 | 3 |
| • Bronchoscopy | Optional | Optional | 1 |
| • Spirometry | Optional | Optional | Optional |
| • Extra corporeal membrane oxygenation machine (ECMO) | Optional | Optional | Optional |
| • ECCP device [Extra corporeal (compression) counter-pulsation device] | Optional | Optional | Optional |
| • Equipment for Endoscopic Thoracic / cardiac surgery | | | |
| अन्य उपकरणहरू जनरल अस्पतालमा भए सरह हुनुपर्ने | | | |

- (२) मुटु रोगको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात SICU मा १:१ / CCU मा १.५-२:१ हुनु पर्नेछ ।
(३) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुटुरोग अस्पताल पाँच सय शैया भन्दा बढीको हुने छैन ।

(ख) युरोलोजी / नेफ्रोलोजी :

| सि.नं | विवरण | १०० शैया भन्दा कम | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|
| १ | भौतिक सुविधाहरू (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह) | | | |
| २ | आकस्मिक सेवा (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह) | | | |
| ३ | बहिरंग सेवा | | | |
| | • युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | २ |
| | • नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | २ |
| | • गाइनोकोलोजी -अनिवार्य) | १ | २ | २ |
| | • जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • कार्डियाक (अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| ४ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | • न्युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | • नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | • गाइनोकोलोजी (अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | • जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | • कार्डियाक (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |

| सि.नं | विवरण | १०० शैया भन्दा कम | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|
| | ● अपरेशन थिएटर मेजर | १ | २ | ३ |
| | ● अपरेशन थिएटर इन्टरमिडिएट | १ | २ | ३ |
| | ● अपरेशन थिएटर माइनस | १ | २ | ३ |
| | ● सर्जिकल वार्ड | १ | | |
| | ● आइ.सी.यु.-Ventilator, syringe Pump, Infusion Pump, Defibrillator Monitor सहित) | २ | ४ | ४ |
| | ● सक्सन युनिट(Electric & non Electric) | २ | ४ | ४ |
| | ● अक्सिजन कन्सन्ट्रिटर | २ | २ | २ |
| | ● Day Care Center | २ | २ | २ |
| ५ | निदानात्मक उपकरणहरू | | | |
| | ● एक्स-रे जनरल अस्पताल सरह | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ● सी.टी.स्क्रान | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | ● MRI | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | ● हेमोडाइलासिस सम्पूर्ण सेट विस्तृत विवरण (नेफ्रो) | ५ | १० | २० |
| | अल्ट्रासाउण्ड मेशिन | | | |
| | ● Regular | १ | २ | ३ |
| | ● TRUS | | | |
| | ● US Guided Needle Boppsy | | | |
| | Gama Camera: DTPA, DMSA: | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | ● Renal Angiography | स्वेच्छिक | | |
| | ● Immobilization | स्वेच्छिक | | |
| | ● Bone Scan | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | ● Radioisotope | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | ● यूरोलोजी विशेष अस्पतालामाTURS rPCNL Cystometry रUrodynamic Studies | स्वेच्छिक | ✓ | ✓ |
| ६ | शल्यक्रियाका लागि उपकरण | | | |
| | ● भेन्टिलेटर | १ | ३ | ३ |
| | ● युरो सर्जरी सेट | १ | ३ | ३ |
| | ● कार्डियाक मनिटर | १ | २ | ३ |
| | ● ब्वाइल्स एपरेट्स | १ | २ | ३ |
| | ● एनेस्थेटिक मनिटर | १ | २ | ३ |
| | ● माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट | १ | २ | ३ |
| | ● रिससिस्टेशन सेट | २ | ३ | ४ |
| | ● अप्रेटिभ इन्सुमेन्ट माइक्रोस्कोप | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | ● *URS Set, PCNL Set** (Urology) | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | ● अपरेटिभ टेबुल (ब्याक-रेफ्ट भएको) | १ | २ | ३ |
| | ● Endo Urology Set | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | ● अटोक्लेभ मेशिन | १ | २ | २ |
| | ● डायथर्मिक मेशिन Under water cutting (Urology) | १ | २ | ३ |

| सि.नं | विवरण | १०० शैया भन्दा कम | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया |
|-------|--|-------------------|--------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Lithotripsy(ESWL)(Urology) | स्वैच्छिक | २ | २ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अक्सिजन कन्सनट्रेटर | १ | ४ | ६ |
| | <ul style="list-style-type: none"> हाइपोथर्मिया | १ | २ | ४ |
| ७ | अन्य सेवाहरू: सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Uro Flowmetry | | सेवा अनुसार | सेवा अनुसार |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cystometry | स्वैच्छिक | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Uro dynamic studies | स्वैच्छिक | १ | १ |
| | <ul style="list-style-type: none"> फिजियोथेरापी | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| | <ul style="list-style-type: none"> रिह्याबिलिटेशन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | अनिवार्य |
| | <ul style="list-style-type: none"> ल्याबोरेटोरी : जनरल अस्पताल सरह | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> हिस्टोप्याथोलोजी, Renal Function Test, PSA | १ | २ | २ |
| ८ | जनशक्ति: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> युरोलोजी विशेषज्ञ : अस्पतालमा युरोलोजिष्ट | २ | ४ | ५ |
| | <ul style="list-style-type: none"> नेफ्रोलोजी विशेषज्ञ : अस्पतालमा नेफ्रोलोजिष्ट | २ | ४ | ६ |
| | <ul style="list-style-type: none"> रजिष्ट्रार | २ | ४ | ५ |
| | <ul style="list-style-type: none"> मेडिकल अफिसर | १० | १२ | १६ |
| | <ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्ट-टाइमको प्रावधान | २ | ४ | ६ |
| | <ul style="list-style-type: none"> प्रशासनिक कर्मचारी: जनरल अस्पतालको अनुसार | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> नर्सिङ स्टाफ : जनरल अस्पतालको अनुसार | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> एनेस्थेसिस्ट | ४ | ६ | ८ |
| | <ul style="list-style-type: none"> कार्डियोलोजिष्ट | २ | २ | ३ |
| | हेमोडाईलाईसिस नर्स | | | |
| | <p>नोट :</p> <ul style="list-style-type: none"> **PCNL = Per Cutaneous Nephrolithotomy URS = Urethro Renoscopy Set सम्बन्धित विशेषज्ञ आफ्नै वा पार्ट-टाइमको व्यवस्था मिलाउने । Uro Surgery को लागि आवश्यक उपकरणहरू तथा Endourological surgeryको सुविधा पनि हुनुपर्छ । (जस्तै TURP, TURBT, IOU, Cystoscopyइत्यादि । Renal Transplantation: ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने । ESWL = Extra Corporeal Shockwave Lithotripsy PSA = Blood test for Prostate Specific Antigen | | | |

(ग) सामान्य आँखा अस्पताल :आखाँ सेवा सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका अतिरिक्त देहायका मापदण्डहरूको समेत पालना गर्नु पर्नेछ :

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया |
|-------|---|--------------|--------------|
| १ | भौतिक संरचनाहरू :जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |
| २ | उपकरणहरू : | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> भिजन ड्रम | ६ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> रिफ्रेक्शन सेट | ६ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> डाइरेक्ट अफथलमोस्कोप / इनडाइरेक्ट अफथलमोस्कोप | ५ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> Slit lamp | ७ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> टोनोमिटर(Schiotz)Appalanation Tonometer | ७ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अपरेटिङ माइक्रोस्कोप | ६ | ६ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अपरेटिङ टेबुल | ७ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> केराटोमिटर | ५ | ५ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अल्ट्रासाउण्ड मेसिन(A scan/B scan) | ५ | ५ |

| | | | |
|---|------------------------------|----|----|
| | ● लेन्स मिटर | ५ | ५ |
| | ● याग लेजर | ५ | ५ |
| | ● अटोक्लेभ मेशिन | ६ | ६ |
| | ● सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सेट | १५ | १८ |
| ३ | जनशक्ति | | |
| | ● आई सर्जन | ७ | ८ |
| | ● एनेस्थेटिक | २ | २ |
| | ● अफ्थलमिक पारामेडिक | १५ | १८ |
| | ● नर्सिङ्ग स्टाफ (जनरल) | १५ | १८ |

(घ) आँखा विशेषज्ञ सेवा अस्पताल: आखाँ सेवा सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका अतिरिक्त देहायका मापदण्डहरूको समेत पालना गर्नु पर्नेछ :-

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया | ५०१-७५० शैया |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| १ | भौतिक सुविधाहरू : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार जस्तै | | | | |
| २ | उपकरणहरू : | | | | |
| | ● भिजन ड्रम | १० | १५ | २० | ३० |
| | ● रिफ्रेक्शन सेट | ५ | ८ | १२ | १८ |
| | ● डाइरेक्ट अफ्थलमोस्कोप | १५ | २० | २५ | ३५ |
| | ● Slit lamp | ५ | ८ | १२ | १८ |
| | ● टोनोमिटर | ५ | ८ | १२ | १८ |
| | ● अपरेटिङ्ग माइक्रोस्कोप | ३ | ६ | १० | १५ |
| | ● अपरेटिङ्ग टेबुल | ६ | ७ | १० | १५ |
| | ● केराटोमिटर | २ | २ | ३ | ४ |
| | ● अल्ट्रासाउण्ड मेशिन | २ | २ | ३ | ४ |
| | ● लेन्स मिटर | ५ | ८ | १२ | १८ |
| | ● याग लगर | १ | २ | २ | २ |
| | ● अटोक्लेभ मेशिन | ३ | ५ | ६ | ७ |
| | ● सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सेट | २० | ३० | ४५ | ६० |
| | ● Opticle coherence Tomograph | १ | २ | ३ | ४ |
| | ● Prisms, GDx, | | | | |

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया | ५०१-७५० शैया |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Goldmann perimetry, Humphrey Visual Field, Indirect Ophthalmoscope, Vitrectomy Machine, Fundus Camera, synaptophore, Steropsis set, Hertel set, Auto Refractor* | | | | |
| ३ | जनशक्ति | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> आई सर्जन(Fachro surgeon, vitriol - ratinal surgeon, Occuloplastic surgeon) | १२ | २० | ३० | ५० |
| | <ul style="list-style-type: none"> एनेस्थेटिक | १ | २ | २ | ३ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अपर्यात्मिक पारामेडिक | १५ | २५ | ३८ | ६० |
| | <ul style="list-style-type: none"> नर्सिङ्ग स्टाफ (जनरल अस्पतालको अनुसार) | ११ | २० | ३५ | ५० |

* as per need.

- (ड) **मानसिक अस्पताल:** (१) दुई सय शैया सम्मको मानसिक अस्पताललाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ।
(२) एक सय शैयाको क्षमता भन्दा माथिको अस्पताल वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूमा मानसिक रोग विभाग हुनु पर्नेछ।
(३) मानसिक अस्पतालमा Half way home तथा पुनर्स्थापन सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूको प्रावधान हुनु पर्नेछ।
(४) मानसिक अस्पतालको लागि देहायको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया सामान्य सेवा |
|-------|---|--|
| १ | भौतिक सुविधाहरू : जनरल अस्पताल सरह विशेष प्रावधान हुनु पर्ने | |
| २ | वहिरंग सेवा | |
| | <ul style="list-style-type: none"> परीक्षण उपचार दिवा स्याहार केन्द्र बाल वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने |
| ३ | अन्तरंग सेवा: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> महिला वार्ड पुरुष वार्ड बाल वार्ड एक्युइट वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने |
| ४ | साइक्राइटिक इमर्जेन्सी : २४ सै घण्टा साथै CPRको लागि प्रावधान | प्रावधान हुनुपर्ने |
| ५ | निदानात्मक सेवा | |
| | <ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशाला र एक्स-रे जनरल अस्पतालका पूर्वाधार सरह E.E.G. मेशिन C.T. Scan MRI | ३ १ १ |

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया सामान्य सेवा |
|-------|--|---------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Modified ECT | |
| ६ | जनशक्ति | |
| | <ul style="list-style-type: none"> साइक्याट्रिक फिजिसियन पार्टटाइम | ५ २ |

| | |
|--|---------|
| ● क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट (फूलटाइम) | २+२# |
| ● साइक्याट्रिक सोसल वर्कर (प्रति १०० शैया २ का दरले) | ४ |
| ● ड्युटी मेडिकल अफिसर | १२ |
| ● अक्युपेशनल थेरापिष्ट | १ + १ # |
| ● एनेस्थेटिक पार्टटाइम | २ |
| ● न्युरोलोजिष्ट पार्टटाइम | २ |
| ● मेट्रोनि (मानसिकमा तालिम प्राप्त) | २ |
| ● सुपरभाइजर र नर्सिङ सिस्तर | ६ |
| ● स्टाफ नर्स | ३० |
| ● प्रशासनिक कर्मचारी : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | |

: Part time

(च) अर्थोपेडिक विशेषज्ञ सेवा अस्पताल :

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|-------|---|-----------------|--------------|--------------|
| १ | भौतिक सुविधाहरू - जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | | |
| २ | आकस्मिक सेवा : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | | |
| ३ | डिजास्टर व्यवस्थापन+ मासक्याजुअल्टी व्यवस्थापन + पोलीट्रमा व्यवस्थापन | १० | २० | ३० |
| ४ | बहिरंग सेवा: | | | |
| | ● कार्डियोथेरासिक | २ | २ | ३ |
| | ● युरोलोजी | २ | २ | ३ |
| | ● गाइने अब्स | २ | २ | ३ |
| | ● आइसर्जन | २ | २ | ३ |
| | ● जनरल सर्जिकल | २ | २ | ३ |
| | ● अर्थोपेडिक सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | ● डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी | २ | २ | ३ |
| | ● इ.एन.टी. सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | ● फिजियोथेरापी : सम्बन्धित सामग्री सहित | २ | २ | ३ |
| ५ | अन्तरंग सेवा: | | | |
| | ● अपरेशन थिएटर मेजर | ४ | ४ | ५ |
| | ● अपरेशन थिएटर माइनर | ४ | ४ | ५ |
| | ● फिजियोथेरापी | ३ | ३ | ४ |
| | ● आइ.सी.यु. मनिटर सहित | आवश्यकता अनुसार | | |
| | ● सक्सन युनिट, ब्लड ग्यास एनालाइजर, सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेशन | आवश्यकता अनुसार | | |
| ६ | निदानात्मक उपकरणहरू: | | | |
| | ● एक्स रे : जनरल अस्पताल सरह | आवश्यकता अनुसार | | |
| | ● सी.टी. स्क्यान | आवश्यकता अनुसार | | |

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | ● एम.आर.आइ. | आवश्यकता अनुसार | | |
| | ● अल्ट्रासाउन्ड मेथिन | २ | २ | ३ |
| | ● C. Arm | २ | २ | ३ |
| ७ | शल्यक्रियाका लागि उपकरण | | | |
| | ● भेन्टिलेटर | ८ | १० | १२ |
| | ● कार्डियाक मनिटर | १६ | १८ | २२ |
| | ● ब्वाइल अपरेटस | २ | २ | २ |
| | ● एनेस्थेटिक मनिटर | २ | २ | २ |
| | ● माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट | २ | २ | २ |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| | ● रिससिस्टेशन सेट | २ | २ | २ |
| | ● अपरेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट माइक्रोस्कोप | ३ | ३ | ४ |
| | ● स्पाइनल सेट | २ | २ | ३ |
| | ● एयरपावर ड्रिल सेट | २ | २ | ३ |
| | ● अपरेटिभ टेबल र वेड रेस्ट | २ | २ | ३ |
| | ● अटोक्लेभ मेशिन | २ | २ | ३ |
| | ● डायथर्मिक मेशिन | २ | २ | ३ |
| | ● सक्सन युनिट | २ | २ | ३ |
| | ● अक्सिजन कन्सन्ट्रटर | २ | २ | ३ |
| | ● Isotope Scan | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ८ | अन्य सेवाहरू : सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने | | | |
| | ● अर्थोपेडिक | √ | √ | √ |
| | ● फेसियोम्याग्नेलरी | √ | √ | √ |
| | ● फिजियोथेरापी | √ | √ | √ |
| | ● रिह्याबिलिटेशन | √ | √ | √ |
| | ● ल्याबोरेटरी: जनरल अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| | ● हिस्टोप्याथोलोजी | √ | √ | √ |
| ९ | जनशक्ति: | | | |
| | ● कन्सल्ट्यान्ट (१:२५ शैया) | ८ | १२ | २० |
| | ● रजिष्ट्रार | ५ | ५ | ६ |
| | ● मेडिकल अफिसर | १० | १२ | १४ |
| | ● सम्बन्धित विशेषज्ञहरू (पार्टटाइमको प्रावधान) | २ | २ | २ |
| | ● प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | ● नर्सिङ स्टाफ | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | ● एनेस्थेसिस्ट | ५ | ६ | ६ |
| | ● अर्थोपेडिक | २ | २ | ३ |
| | ● फिजियोथेरापिष्ट | √ | √ | √ |

(छ) **न्यूरोलोजी अस्पताल** : दुई सय शैया सम्मको न्यूरोलोजी अस्पताललाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ । न्यूरोलोजी अस्पतालले देहायका मापदण्डहरूको पालना गर्नु पर्नेछ :-

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया सामान्य सेवा |
|-------|--|--|
| १ | भौतिक सुविधाहरू | अस्पतालको मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार |
| २ | आकस्मिक सेवा | अस्पतालको मापदण्डका अतिरिक्त निम्नानुसार हुनुपर्ने |
| | | कार्डियाक मनिटर डिफिब्रिलेटर अन्य आकस्मिक न्यूरो सेवाका |
| ४ | बहिरंग सेवा : (OPD) | |
| | ● मेडिकल न्यूरोलोजी | √ |
| | ● सर्जिकल न्यूरोलोजी | √ |
| | ● अर्थोपेडिक सर्जरी | √ |
| | ● डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी सर्जरी | √ |
| | ● इ.एन.टी. सर्जरी | √ |
| | ● फिजियोथेरापी: सम्बन्धित सामग्री सहित | √ |
| ५ | अन्तरंग सेवा : | |
| | ● आइ.सी.यु. मनिटर सहित | १० |
| | ● सक्सन युनिट | १० |
| | ● ब्लड ग्यास एनालाइजर | १ |
| | ● सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर | १ |
| | ● अक्सिजन कन्सन्ट्रटर | १ |

| | | |
|---|---|-----------------|
| | ● सर्जिकल वार्ड | ५० |
| | ● मेडिकल वार्ड | ५५ |
| | ● अपरेशन थिएटर मेजर | ३ |
| | ● अपरेशन थिएटर इन्टरमिडियट | आवश्यकता अनुसार |
| | ● अपरेशन थिएटर माइनर | ४ |
| ६ | निदानात्मक उपकरणहरू: | |
| | एक्स रे : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार जस्तै | |
| | ● सी.टी. स्क्यान | १ |
| | ● इ.सी.जी. मेशिन | १ |
| | ● इ.एम.जी. | १ |
| | ● एम.आर.आइ. | १ |
| | ● एन्जियोग्राम | १ |
| | ● अल्ट्रासाउन्ड मेशिन | १ |
| | ● C. Arm Portable X-Ray | १ |
| | ● शल्यक्रियाका लागि उपकरण | |
| | ● भेन्टिलेटर | ८ |
| | ● कार्डियक मनिटर | १५ |
| | ● ब्वाइल्स अपरेटस | ५ |
| | ● एनेस्थेटिक मनिटर | ३ |
| | ● इलेक्ट्रिक ड्रिल सिस्टम (Air Powered) | २ |
| | ● माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट | २ |
| | ● रिससिस्टेशन सेट | २ |
| | ● अपरेटिभ इन्सुमेन्ट माइक्रोस्कोप | ३ |
| | ● क्रयानियोटोमी सेट | २~ |
| | ● स्पाइनल सेट | २~ |
| | ● न्यूरोअपरेटिभ टेबल र हेडरेस्ट | २ |
| | ● अपथलिमिक इन्स्ट्रुमेन्ट | २ |
| | ● अटोक्लेभ मेशिन | २ |
| | ● डायथर्मिक मेशिन | ३ |
| | ● सक्सन युनिट | ४ |
| ७ | अन्य सेवाहरू : सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने : | |
| | e) अर्थोपेडिक | स्वैच्छिक |
| | ● फेसियो म्याग्जिलरी | स्वैच्छिक |
| | ● अपथलमोलोजी | स्वैच्छिक |
| | ● फिजियोथेरापी | आवश्यक |
| | ● रिट्याविलिटेसन | स्वैच्छिक |
| | ● ल्याबोरेटरी : जनरल अस्पताल सरह | आवश्यक |
| | ● हिस्टोप्याथोलोजी : जनरल अस्पताल सरह | स्वैच्छिक |
| ८ | जनशक्ति | |
| | ● न्यूरो कन्सल्ट्यान्ट (१:२५ शैया) | ४ |
| | ● रजिष्ट्रार | ३ |
| | ● मेडिकल अफिसर | ८-१० |
| | ● सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्टटाइमको प्रावधान | २ |
| | ● प्रशासनिक कर्मचारी : जनरल अस्पतालको अनुसार | |
| | ● नर्सिङ स्टाफ : | |
| | ● मेट्रोन | १ |
| | ● सिस्टर | १० |
| | ● स्टाफ नर्स | १०० |
| | ● एनेस्थेसिस्ट | १~ |
| | ● अर्थोपेडिक | १ |

~ = as per need

(ज) स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ अस्पताल :

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|-------|--|------------------|--------------|--------------|
| १ | भौतिक संरचना | जनरल अस्पताल सरह | | |
| २ | बहिरंग सेवा: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> अन्य पूर्वाधारहरू जनरल अस्पताल जस्तै | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> पूर्व प्रसूति सेवा | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> सुत्केरी सेवा | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> खोप सेवा | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> परिवार नियोजन | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> गाइनोकोलोजी साधारण उपचार सेवा | √ | √ | √ |
| ३ | विशेष क्लिनिक सेवा (कुनै २ अनिवार्य) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> सबफर्टिलिटी | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अडोलेसन्ट हेल्थ(Adolescent Health) | √ | √ | √ |
| ४ | STD/STI | √ | √ | √ |
| ५ | Post Abortion Care & CAC | √ | √ | √ |
| ६ | Family Planning | √ | | |
| ७ | इमेर्जेन्सी | √ | | |
| ८ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> प्रसूति सेवा कक्ष (सम्पूर्ण शैयाको ७%) | ५ % | ६ % | ७ % |
| | <ul style="list-style-type: none"> जनरल वार्ड | ५ % | ६ % | ८ % |
| | <ul style="list-style-type: none"> शल्यक्रिया सेवा शैया | ४ | ५ | ७ |
| | <ul style="list-style-type: none"> एम.आइ.सी.यु. (सम्पूर्ण शैयाको ३ | ५ | ७ | ८ |

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | प्रतिशत) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> एन.आइ.सी.यु. (सम्पूर्ण शैयाको १० प्रतिशत) | ५ | ७ | ८ |
| | <ul style="list-style-type: none"> CTG Rooms (4% of the total beds) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> नियोनेटल युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> फिजियोथेरापी युनिट | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ९ | निदानात्मक सेवा | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशाला | १ | १ | १ |
| | <ul style="list-style-type: none"> एक्स- रे (अल्ट्रासाउण्ड अनिवार्य) | २ | २ | ३ |
| | <ul style="list-style-type: none"> Colposcopy | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hysteroscopy | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> Laparescopy | √ | √ | √ |
| १० | युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> गहन मातृ सेवा (MICU) | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> नवजात शिशु स्याहार युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> टिचिङ्ग र तालिम युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> रिसर्च युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> अंकोलोजी युनिट | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> रेडियोलोजी युनिट (Imaging Unit) | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> X-Ray | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> U.S.G. | √ | √ | √ |
| | <ul style="list-style-type: none"> CT/MRI | | स्वैच्छिक | |

| | | | | |
|----|---|--|----|----|
| | ● ल्याबोरेटोरी (with Blood Transfusion) | √ | √ | √ |
| | ● फिजियोथेरापी | स्वैच्छक | | |
| | ● नर्सिङ्ग | √ | √ | √ |
| | ● हाउस किपिङ्ग | √ | √ | √ |
| | ● गाइनो अब्स युनिट | √ | √ | √ |
| | ● जनरल गाइनो अब्स | √ | √ | √ |
| | ● गाइनो अंकोलोजी | √ | √ | √ |
| | ● सब - फर्टिलिटी | √ | √ | √ |
| | ● युरोगाइनोकोलोजी | √ | √ | √ |
| | ● सोसल सर्भिस | √ | √ | √ |
| ११ | जनशक्ति | | | |
| | गाइनो अब्स कन्सल्ट्यान्ट (१:२५ शैया) | ८ | १२ | १६ |
| | सिनियर : (रेजिष्ट्रार लेभल) १:२५ | ५ | ७ | ८ |
| | मिड लेभल (मेडिकल अफिसर लेभल) ५:२५ | १२ | १४ | १८ |
| | | २० | २४ | ३० |
| | एनेस्थेसिस्ट | ६ | ८ | ८ |
| | पिडियट्रिसियन (नियमित) | ३ | ३ | ४ |
| | प्याथोलोजिष्ट | ३ | ३ | ३ |
| | फिजिसियन (नियमित) | आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हुनु पर्ने | | |
| | जनरल सर्जन (नियमित) | आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हुनु पर्ने | | |
| | ल्याव टेक्निसियन | १० | १२ | १२ |
| | ल्याव असिष्टेन्ट | १० | १२ | १२ |
| | मेट्रोन | २ | ३ | ३ |

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५०० शैया |
|-------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | सुभरभाइजर नर्सिङ्ग | ६ | ८ | १० |
| | सिस्टर | १२ | १६ | २२ |
| | स्टाफ नर्स | ६० | १०० | १५० |
| १२ | उपकरण | | | |
| | ● शल्यक्रिया: जनरल अस्पताल सरह | आवश्यकता अनुसार | | |
| | ● अन्कोलोजी युनिट (Coloposcope, Hysteroscope, Cryotherapi Unit) | | | |
| | ● हिस्टेरोस्कोप | | | |
| | ● इन्डोस्कोपी | | | |
| | ● लेप्रोस्कोपी | | | |
| | ● Labor room मा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू | | | |

(भ) बालरोग अस्पताल :

| सि.नं | विवरण | १०१-२०० शैया | २०१-३०० शैया | ३०१-५००शैया |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| १ | जग्गा (क) ५० वर्गमिटर* कभर्ड एरिया प्रतिशैया | √ | √ | √ |
| | (ख) भुईतल्ला जग्गामा कम्तिमा : १) १/३ जग्गा खाली हुनुपर्ने २) ३ शैयाको अनुपातमा एक कार पार्क | √ | √ | √ |
| २ | आकस्मिक सेवा र सामग्री उपकरण | | | |
| ३ | औषधि सम्बन्धी विवरण | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा |
| ४ | बहिरंग सेवा सम्बन्धी विवरण (मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक, इएन्टी, डेन्टल, छाला, आखा) | थप ५ विशेषज्ञता सेवा | थप ७ विशेषज्ञता सेवा | थप १० विशेषज्ञता सेवा |
| ५ | अन्तरंग सेवा (मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक, इएन्टी, डेन्टल, छाला, आखा) | १०० शैयामा थप सेवा | २०० शैयामा थप सेवा | ३०० शैयामा थप सेवा |
| ६ | शल्यक्रिया कक्ष | (१) मेजर २ (२) माइनर २ | (१) मेजर २ (२) माइनर ३ | (१) मेजर ३ (२) माइनर ३ |
| ७ | आइ.सी.यु. | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |

| | | | | |
|----|---|--|----------|----------|
| ८ | रोग निदान: रेडियोलोजी विस्तृत विवरण अस्पताल | सम्बन्धित मापदण्डमा उल्लेख भए बमोजिम | | |
| ९ | जनशक्ति | | | |
| १० | प्रयोगशाला विवरण | | | |
| ११ | एम्बुलेन्स : नीति अनुसार | २ | ३ | ३ |
| १२ | प्रतिकारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक सेवा | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| १३ | शवगृह | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| १४ | क्यान्टिन सेवा | अनिवार्य (आवश्यकता अनुसार ठेक्कामा दिन सकिने) | अनिवार्य | अनिवार्य |
| १५ | मर्मत सेवा | अनिवार्य (आवश्यकतानुसार ठेक्कामा दिन) | अनिवार्य | अनिवार्य |

(ख) **रेडियोलोजी सेवा** : रेडियोलोजी सेवा सञ्चालन गर्दा दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) मा उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(ट) **दन्तरोग** :Dental Hospital, Specialized Dental Service Center, Dental Clinic and Dental Department for General Hospital (INGOS, NGOs and Public)

Category of Hospitals

- **Genera Dental Hospital-** to provide Dental Services under one roof.
- **Specialized Dental service Center-** to provide spcialized dental service by NMC registered specialist.
 - Ora and Maxillofacial Center
 - Orthodontic Center
 - Prosthodontic Center
 - Periodontic Center
 - pedodontic Center
 - Restorative Center
 - Dental Implant Center

Dental Clinic/Polyclinic- to provide general dental services.

Dental Dept. of General Hospital- to provide general dental services.

- Dental Hospital and Specialized Center should be registered as per as the Governments rules and regulation in four types as
 - Private Limited Company
 - Public Limited Company
 - NGO
 - INGO

General Dental Hospital - 15 Dental Chair

The basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under one roof. The general dental hospital should have the following facilities:

● **Infrastructure**

Administrative

Reception, Waiting Room, Account Room, Maintenance Room, Store, Doctor's Meeting Room, Changing Room, Ambulance, Director's Room, Library Room

Clinical

Capacity of minimum 15 dental chairs should have at least five separate dept. namely-

- **Oral Surgery:** Minor OT with 2 beds and 2 dental chairs (Oral Surgeon visit on call and twice a week regular visit)
- **Orthodontic Dept-** 1 dental Chairs (Specialist's visit at least twice a month)
- **PosthodonticDept-** 2 dental Chairs (Specialist's visit at least once a week)
- **Conservative Dept** – 2 dental chairs (Specialist's visit at least once a week)
- **Periodontics Dept** - 2 dental chairs (Specialist's visit at least once a week)

General- 10 dental chairs (Integrated system) 24 hrs

Emergency Dental services

Other facilities

Sterilization room, Radiology- OPG and CEPH, Dental Laboratory, Pharmacy, Pathology- Routine test,

Waste disposal System, Water Storage, Toilets (Male/Female), Canteen
 (Space= One dental chairs should have Minimum 50 sqft. and total hospital should have minimum 5000 sqft. Hospital complex may be rented, leased or own house, One should have minimum of five years of agreement with the house owner)

For Minor OT

- Anesthetist Service- On call
- Minor OT Equipment
- Operating table
- Operating lights
- Suction Units
- Electro-cautery Unit
- Instrument holding tables
- Infusion Stands
- X-ray viewers
- weighing machines (swab weighing)

Staffs

| | |
|-----------------------------|----|
| • Graduate dental surgeons- | 10 |
| • Staff Nurses- | 2 |
| • Dental Hygienist- | 3 |
| • Dental Assistant- | 8 |
| • x-ray Technician- | 1 |
| • Lab Technician- | 1 |
| • Maintenance Technician- | 1 |
| • Manager- | 1 |
| • Receptionist- | 1 |
| • Accountant- | 1 |
| • Store Keeper- | 1 |
| • Guard- | 1 |
| • Sweeper- | 3 |

General Dental Hospital 25 Dental chairs :

The basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under services under one roof.

Infrastructre Administrative

Reception, Waiting Room, Account Room, Maintenance Room, Store, Drs. Meeting Room, Changing Room, Ambulance, Director's Room, Library Room

Clinical

Capacity of minimum 25 dental chairs should have at least five separate department namely-

- 1 Oral and Maxillofacial Surgery Unit/Oral Medicine Radiology
 - Minor and Major OT with ICU
 - 5 general beds, 2 ICU
 - 5 Dental chairs

Major equipments for OT and ICU.

- Boyle's Anesthesia Machine
- Pulse Oxymeter
- Ventilator
- ECG Monitor
- Defibrillator
- Laryngoscope
- Endo-tracheal Tube for nasal and oral intubation
- IV fluid warmer
- operating table
- operating Light

- Suction unit
 - Electri-cautry Unit
 - Instrument holding table
 - Infusion stand
 - X-ray viewer
 - Weighing machines (swab weighing)
- 2 Team of graduates' dental surgeons headed by Oral and Maxillofacial (regd. with NMC as Specialist) visit every day and on call.
 - 3 Orthodontic Dept.- 2 dental chairs (specialist's visit at least twice a month)
 4. Postodontic Dept .- 2 dental chairs (specialist's visit at least once a week)
 5. Restorative/Pedo. dept - 2 dental chairs (specialist's visit at least once a week)
 6. Perio/Community Dept - 2 Dental Chairs (specialist's visit at least once a week)
 7. General -12 dental chair (General Integrated System)

Other Facilities

- Sterilization Room
- Radiology- OPG and CEPH and IOPA
- Dental Laboratory
- pharmacy
- pathology- routine test
- Waste disposal system
- Water storage
- Toilets (Male/ Female)
- canteen
- 24 hrs Ambulance Service
- 24 hrs emergency services

Space= One dental chair should have minimum 50 sqft. and total hospital should have minimum 12,000 sq.ft. Hospital Complex may be in rented, leased or own house; should have minimum of five years of agreement with the house owner. The building must have sufficient open space to cater the need of parking, emergency escape, rescue in case of emergency etc.

Staff

- Graduates dental surgeons- 15
- Anesthetist –on call
- Nursing staff- 5
- Quality Manager- 1
- Dental Hygienist- 3
- Dental Assistant- 10
- X-ray Technician- 2
- Lab Technician- 2
- Maintenance-Technician- 1
- Receptionist- 2
- Store Keeper- 1
- Guard- 1
- Sweeper- 4
- Infection control and Waste disposal system expert- 1

General Dental Hospital 50 Dental chairs

the basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under one roof.

Infrastructure

- Administrative
 - Reception
 - Waiting Room
 - Account room
 - Administration Room
 - Maintenance Room
 - Store
 - Doctor's Meeting Room
 - Changing Room
 - Seminar Hall

- Ambulance Garage
- CEO Room
- Library Room

Clinical

Capacity of Minimum 50 dental chairs, should have at least 7 separate departments namely

- f) Oral and Maxillofacial Surgery Unit/ Oral Medicine Radiology Minor and Major OT with ICU-10 general beds 2 ICU, 7 Dental chairs Major equipment for OT and ICU
- Boyle's Anesthesia Machine
 - Pulse Oxymeter
 - Ventilator
 - ECG Monitor
 - Defibrillator
 - Laryngoscope
 - Endotracheal Tube for nasal and oral intubation
 - IV fluid warmer
 - operating table
 - operating Light
 - Suction unit
 - Electri-cautry Unit
 - Instrument holding tables
 - Infusion stand
 - X-ray viewer
 - Weighing machines (swab weighing)
- g) Team of graduates' dental surgeons headed by Oral and Maxillofacial (regd. with NMC as Specialist) visit every day and on call.
- h) Orthodontic Dept.- 4 dental chairs (specialist's visit at least twice a month)
- i) Postodontic Dept.- 5 dental chairs (specialist's visit every day)
- j) Restorative-5 dental chairs (specialist's visit everyday)
- k) Pedo. dept-3 dental chairs (specialist's visit everyday)
- l) Perio-3 dental chairs (specialist's visit everyday)
- m) Community Dept- 2Dental Chairs (specialist's visit everyday)
- n) General -22 dental chair (General Integrated System)

Other Facilities

- Sterilization Room
- Radiology- OPG and CEPH and IOPA
- Dental Laboratory
- pharmacy-24 hrs
- pathology- routine test,oral pathology/ General pathology
- Waste disposal system
- Water storage
- Toilets (Male/ Female)
- canteen
- 24 hrs Ambulance Service
- 24 hrs emergency services
- Parking areas

Staff

- Graduates dental surgeons- 15
- Anesthetist – on call
- Nursing staff- 5
- Quality Manager- 1
- Dental Hygienist- 3
- Dental Assistant- 10
- Radiographer 2
- Dental Lab Technician- 2
- Maintenance-Technician- 1
- Receptionist- 2
- Store Keeper- 1
- Guard- 1

- Sweeper- 4
- Infection control and Waste disposal system expert- 1

Specialized Services Center

Any hospital or clinic can convert its department or unit to a specialized center once it fulfill the following criteria of that particular services requirement. They should provide only specialized treatment of their field.

Oral and Maxillofacial services center- only Surgical Dental Treatment

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for minor oral surgery)

Major equipment for OT and ICU

- Boyle's Anesthesia Machine
- Pulse Oxymeter
- Ventilator
- ECG Monitor
- Defibrillator
- Laryngoscope
- Endotracheal Tube for nasal and oral intubation
- IV fluid warmer
- operating table
- operating Light
- Suction unit
- Electri-cautry Unit
- Instrument holding tables
- Infusion stand
- X-ray viewer
- Weighing machines (swab weighing)

Infrastructure

- Reception
- Waiting Room
- radiology-OPG,IOPA-X-ray and CEPH
- Pathology Lab.
- Toilet
- Ward
- Patient Record Keeping System
- Infection control and waste disposal system/Protocol
- Library Room

Staff-

- Oral and maxillofacial surgeon- 1 everyday
- Graduates Dental surgeon- 3
- Nursing Staff- 6
- General Anesthetic – On call

Orthodontic service center- Work Only Orthodontic

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for orthodontia)
 - separate clinic for ortho patient
 - Sterilization Room/Area
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - Intra Oral camera + computer
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room
 - Orthodontic laboratory

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Pisoscaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray and OPG and CEPH
- Separate Lab Micromotor
- Orthodontic Pliers/Materials
- Spot welder
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter

Staff

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Orthodontic specialist service - | everyday |
| <input type="checkbox"/> | Graduates Dental Surgeon- | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Receptionist- | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Trained Assistant- | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Cleaner- | 1 |

• Prosthodontic Service Center- Work Only Prosthodontia

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Prosthodontia)
- separate clinic for Prosthodontia patient
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- Intra Oral camera + computer
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room
- Prosthodontic laboratory

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Staff

- Prosthodontic Specialist service everyday

- Receptionist
- Trained assistant cleaner
- Waste disposable System
- Sterilization Room/Area and Protocol
- **Periodontic Service Center- Work Only Perio (Gum Disease)**
 - Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Perio)
 - separate clinic for Perio patient
 - Sterilization Room/Area
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - Intra Oral camera + computer
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airtor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- Electrocuatry
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Staff

- Perio Specialist service everyday
- Receptionist
- Trained assistant cleaner
- Waste disposable System
- Sterilization Room/Area and Protocol
- **Pedodontic (Child) Service Center- Work Only with Pedo patients**
 - Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Pedo)
 - separate clinic for Pedo patient
 - Sterilization Room/Area
 - Nitrous oxide System
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airtor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler

- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- Orthodontic Pliers/Materials
- Spot welder
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator
- Dental Lab
- Intra Oral Camera+ Computer

Staff

- Pedo Specialist service everyday
- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert

Sterilization Room /Area and Protocol Recovery Room
+ One bed

● **Restorative & Endodontic Service Center-**

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Restorative and Endodontics)
- separate clinic,
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airtor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Endodontic Microscope
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator
- Intra Oral Camera+ Computer

Staff

- Endo Specialist service everyday
- two graduates dental surgeons

- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert

● **Implant Service Center- Implant and general**

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Implant)
- separate clinic ,
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room

Equipments

- Electric Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply
- High Vacuum Suction
- Implant Surgical and Prosthetic kit

- Physio Dispenser (Implant Micromotor)
- Fiber Optic Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Ultrasonic cleaner
- Intra Oral Camera+ Computer
- Generator
- Patient Record keeping system

Staff

- Oral Implant trained Dental Surgeons (Oral Implantologist) with the Minimum 5 years experienced graduate or 2 years experienced post graduate dental surgeons having official training on Oral implantology from University or the Original Implant Manufacture about the system
- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert
- Sterilization Room/ Area and Protocol

Dental Clinic

The aim of the clinic is to provide general dental service in a clean and hygienic environment. Any graduate dental surgeons having permanent reg. from NMC can open dental clinic. The dental clinic should have minimum following facilities.

Infrastructure

- Reception
- Waiting
- Clinic

- Toilet
- Cleaning and Sterilization area

Equipment

- Electric Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply
- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- X-ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Dental Dept. for General Medical Hospital

The aim of the dental department of any general hospital is to provide general dental service in an clean and hygienic environment. The dental department should have minimum following facilities.

Infrastructure-

Reception , Waiting ,Clinic ,Toilet ,Cleaning and Sterilization area

Equipment

Three dental chairs (two for Drs and one for Hygienist) with Halogen light Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Oil free Medical Grade Compressor ,electrocautry
- IOPA-X-Ray ,X-ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Dental Hospital

| SN | Details | 15D. Chairs (DC) | 15D.Chairs | 50 D. Chairs |
|----|---------------------------------|------------------|------------|--------------|
| | Infrastructure (administrative) | | | |
| | Reception | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) |
| | Waiting room | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) |
| | Account room | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) |
| | Store | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) |
| | Maintenance room | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) |
| | Drs. meeting room | 1(16 Sq.M) | 1(16 Sq.M) | 1(16 Sq.M) |
| | Changing Room | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|
| | Directors Room | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) | 1(10 Sq.M) |
| | Library Room | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) |
| | CEO Room | 0 | 1(14 Sq.M) | 1(14 Sq.M) |
| | Seminar Room | 0 | 1(16 Sq.M) | 1(16 Sq.M) |
| | Clinical | | | |
| | Oral and maxillofacial Surgery | (Oral surgeon visit on call and twice a week regular visit) Minor OT-2 Beds-2 DC-2 | Minor OT-2 Major OT-1 General Beds-5 DC-5 ICU beds-2 | Minor OT-2 Major OT-1 General Beds-10 DC-7 ICU beds-2 |
| | Orthodontic Department | (specialist's visit at least twice a month) DC-1 | (specialist's visit at least twice a month) DC-2 | (specialist's visit at least twice a month) DC-4 |
| | Prosthetic Department | (specialist's visit at least once a week) DC-1 | (specialist's visit at least once a week) DC-2 | (specialist's visit everyday) DC-5 |
| | General | (Integrated System) DC-10 | (Integrated System) DC-12 | (Integrated System) DC-22 |
| | Periodontic Department | Specialist visit at least once a week | (specialist's visit at least once a week) DC-2 | (specialist's visit everyday) DC-5 |
| | Restorative/Pedo Dept. | Specialist visit at least once a week | (specialist's visit at least once a week) DC-2 | (specialist's visit everyday) DC-5 |
| | 24 hrs Emergency Dental services | | | |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | Staff | | | |
| | Graduate dental surgeon | 10 | 15 | 25 |
| | Staff Nurses | 2 | 5 | 7 |
| | Anesthetist | on call | on call | on call |
| | Dental Hygienist | 3 | 3 | 5 |
| | Dental Assistant | 8 | 10 | 20 |
| | Radiographer | 1 | 2 | 2 |
| | Lab Technician | 1 | 2 | 2 |
| | Maintenance Technician | 1 | 1 | 1 |
| | Receptionist | 1 | 2 | 2 |
| | Store Keeper | 1 | 1 | 1 |
| | Security Guard | 1 | 1 | 2 |
| | Sweeper | 3 | 4 | 4 |
| | Accountant | 1 | 2 | 2 |
| | Manager | 1 | 1 | 1 |
| | Other Facilities | | | |
| | Sterilization room | 1(14 Sq. m.) | 1(14 Sq. m.) | 1(14 Sq. m.) |
| | radiology-OPG,IOPA and CEPHDental laboratory | | | |
| | dental Laboratory | 1(14 Sq. m.) | 1(14 Sq. m.) | 1(16 Sq. m.) |
| | Pharmacy-24hrs | | | |
| | Pathology-oral pathology | | | |
| | General Pathology | | | |
| | Waste Disposal System | | | |
| | Water storage | | | |
| | Toilets (male/female) | 2 | 2 | 4 |
| | Canteen | | | |
| | 24hr ambulance service | | | |
| | Parking areas | 1/3 open space | 1/3 open space | 1/3 open space |

Specialists are those who are registered with Nepal Medical Council under Specialist criteria.

२२. स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू : (१)
- स्वास्थ्यक्लिनिक/पोलीक्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सक कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि MBBS वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- (२) परामर्श सेवा दिने व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रमाणपत्रतह उत्तिर्ण गरी परामर्श सेवा तालीम प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
- (३) पोलिक्लिनिकमा रेडियोलोजी इमेजिङ्ग सेवा, प्रयोगशाला तथा औषधि उपचार सेवा संचालन गर्नु परेमा छुट्टाछुट्टै सेवा सम्बन्धी निर्धारित पूर्वाधार पुरा गर्नु पर्नेछ ।
- (४) स्वास्थ्यक्लिनिक/पोली क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि देहाय बमोजिमको आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरू हुनुपर्नेछ :-
- | | | |
|-----|--|---|
| (क) | विरामीको जाँच गर्ने Ventilated वा AC कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने | |
| | (कम्तिमा १४ वर्ग मिटरको) | १ |
| (ख) | विरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ) | १ |
| (ग) | विरामी जाँच्ने टेबुल | १ |
| (घ) | चिकित्सकको लागि टेबुल | १ |
| (ङ) | चिकित्सकको लागि कर्सी | १ |
| (च) | विरामी बस्ने टुल | १ |
| (छ) | शौचालयको व्यवस्था | १ |
| (ज) | टेलिफोन (स्वैचिछक) | |
| (झ) | स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सूचनामूलक पोष्टर तथा अन्य सामाग्री | |
| (ञ) | पानीको आपूर्ति भएको हुनुपर्ने । | |
- (५) सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (६) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि कम्प्युटर वा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।
- (७) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरू अनिवार्यरूपमा निर्मलीकृत गर्ने व्यवस्था हुनु
- (५) क्लिनिकमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिको योग्यताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित परिषद्मा अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- (६) सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।
- (७) मासिक प्रतिवेदन जिल्लाको जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यलयमानिकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
२३. रेडियोलोजी वा डाईग्नोस्टिक एण्ड इमेजिङ्ग सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा शर्तहरू : (१) रेडियोलोजी वा डाईग्नोस्टिक सेवा अन्तरगत देहायका प्रविधिहरू पर्दछन् :-
- X-Ray
 - Computed Tomographic Scan (CT Scan)
 - Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 - Ultra Sonogram (USG)
 - Nuclear Medicine
 - PET Scan
- (२) रेडियोलोजी डाईग्नोस्टिक तथा इमेजिङ्ग सेवाबाट पर्ने विकिरणको दूष्प्रभावलाई कम गर्नको लागि उक्त सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा वा सिफारिस गर्दा निम्न मापदण्डलाई आधार मानिनेछ :-
- (क) एक्सरेको लागि :
- (१) एउटा एक्सरे मेसिन Install गर्नको लागि कम्तीमा २२५ स्क्वायर फिटको कोठा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
- (२) एक्सरे गर्ने कोठाको Wall Thickness
- (क) ९ ईञ्च With Plaster of Paris वा
- (ख) ६ Inch with with .20 mm lead barrier वा

- (ग) २.० एम एम lead thickness हुनु पर्ने । साथै भयाल, ढोका तथा भित्ताबाट हुने विकीकरणको चुहावट हुन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनपर्ने ।
- (३) Xray सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिकोलागि एक्सरे कोठा भित्र ०.५mm को एप्रोन तथा radiation protective measures को व्यवस्था हुनपर्ने ।
- (४) Radaiology मा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि radiation dose monitor उपलब्ध हुनु पर्दछ, र समय समयमा Radiation Survey Monotoring गर्नुपर्ने ।
- (५) Eye Gonadal, Thyroid Gland आदिको Protection को लागि Lead glass/gloves/lead apron को व्यवस्था हुनपर्ने ।
- (६) X-ray एक्सपोज गर्ने कोठा डार्करुम र प्रतीक्षा गर्ने कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनपर्ने ।
- (७) Radiology विभागमा जनसाधारणले देख्ने ठाउँमा Xray विकिरणले स्वास्थ्यमा खराब असर पर्न सक्छ भन्नेबारे सुचना गर्ने । साथै सुचनामा गर्भवती महिला तथा बालबालिलाई अनावश्यक विकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्ने
- (घ) स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति वेगर Radiologyसम्बन्धी मेशिन नेपाल भित्र ल्याउन र सञ्चालन गर्न नपाइने ।

(ख) **सी टी स्क्यान (CT Scan) एम आर आई(MRI) :** यस्ता उपकरण जडान गर्दा उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको निर्देशिकाको पूर्णरूपेण पालना गर्नु पर्ने र न्यूनतम पूर्वाधारहरु देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ :-

- (१) एम आर आई/सी टी स्क्यान राख्ने काठाको साईज कम्तिमा १६×२० फीटको हुनु पर्नेछ ।
- (२) सी टी स्क्यानको लागि विकिरण लिकेज हुन नदिनका लागि माथी एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (२) एम आर आई को कोठाको लागि वाह्य चुम्बकीय असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (४) कन्ट्रोल रुम कम्तिमा १०×१२ फीटको हुनु पर्नेछ ।
- (५) सी टी स्क्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त र Spiral (Helical) हुनु पर्नेछ ।
- (६) एम आर आई ०.५ Tesla वा ०.२ Telsa भएमा MRI/Angiography सुविधा भएको हुनुपर्नेछ ।
- (७) मेशिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति वेगर ल्याउन र सञ्चालन गर्न पाईने छैन ।

(ग) **रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यता :** रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :-

- (१) रेडियोलोजिष्ट : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी रेडियोलोजी विषयमा एम डी, डी एम आर डी, एफ आर सी आर वा सो सरह कोर्ष उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (२) रेडियोलोजी एण्ड ईमेजिङको रिपोर्टिङ्ग रेडियोलोजिष्टहरुले मात्र गर्न पाउने साथै Radiological Interventional Procedureहरु पनि यथासम्भव रेडियोलोजिष्टले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (३) रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति वा योग्यता निम्न बमोजिम हुनु पर्नेछ,
- (क) Medical Physicist M. Medical Physics विषयमा वा Msc उत्तीर्ण गरेको
- (ख) वायोमेडिकल ईन्जीनीयर, बायोमेडिकल ईन्जीनीयरिङ्ग विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) सिनियर रेडियोग्राफीक टेक्नोलोजिष्ट- सम्बन्धित विषयमा MSc.Radiography गरी कम्तिमा स्नातक तहमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ ।
- (घ) रेडियोग्राफीक अधिकृत (रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट) - चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान यस रेडियोग्राफीक विषयमा (BSc. MIT, Bsc. RT स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने । साथै NHPC (Nepal Health Professional Council)मा दर्ता हुनु पर्ने ।
- (ङ) रेडियोग्राफर: चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाबाट रेडियोग्राफी विषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने ।

(घ) **Radiation Measurement and Protection सम्बन्धी व्यवस्था :** Radiation Protection व्यवस्थित गर्न /X ray Unit हरूको गुणस्तर नाप गर्न लाई चाहिने आवश्यक उपकरण खरीद गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको निकायमा राख्ने र अनुगमन तथा निरीक्षणमा प्रयोग गर्ने र गुणस्तर, Dose Monior गर्ने । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै काम गर्ने व्यक्तिको radiationsfdose 20 Milisievert per year (WHO) को सन २००२ को मापदण्ड अनुसार देखिएमा उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ ।

(ड) **Ultrasonogram (USG) USG :** Ultrasonogram (USG) USG को प्रयोग सम्बन्धमा रेडियोलोजिष्टहरू बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थवाद् कम्तीमा घ महिनाको USG तालिम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले गर्न पाउनेछन्। सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निम्न बमोजिमको उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :-

- (१) इमर्जेन्सी सेवामा चाहिने औषधि लगायत औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (२) स्ट्रेचर, ह्वील चियरको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (३) शाचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (४) रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (५) बैकल्पिक विद्युतको लागि जेनेरेटरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (६) बिरामीको लागि र बिरामी कुरुवा बस्नको लागि कोठा लगायत बेञ्चको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (७) स्टोर, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्युसनको लागि छुट्टाछुट्टैकोठाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (८) १०० शैया भन्दा माथीका स्वास्थ्य संस्थामा Medical Physicist र Electrical Engineer को नियमित सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (९) Medical Equipment repair & maintenance गर्दा वायोमेडिकल ईन्जिनियर वा डेडियोलोजिकल उपकरण सम्बन्धी विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्ने ।
- (१०) A/C Machine को व्यवस्था र एक जना कम्तीमा PCL गरेको व्यक्ति व्यवस्था हुनुपर्ने । विकिरण क्षेत्रमा कामगर्नेलाई अनिवार्य रूपमा रेडियेसन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(च) रेडियोलोजी सेवाको लागि न्यूनतम उपकरण तथा जनशक्ति पूर्वाधारहरु :

१

| सि.न. | विवरण | क्लीनीक | २५ शैया | ५० शैया | ५० शैया भन्दा माथी |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| १ | एक्सरे मेशन | १०० एम ए - १ | ३०० एम ए - १ | ३०० एम ए - १ | ५०० एम ए - १* ३०० एम ए - १ |
| २ | एक्सरे मेशन पोर्टेबल मोबाईल | स्वेच्छिक | १०० एम ए - १ | १०० एम ए - १ | १०० एम ए - १ |
| ३ | अल्ट्रासाउण्ड मेशन | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | एक | एक |
| ४ | जनशक्ति रेडियोलोजिष्ट | आंशिक समय | आंशिक समय | एक | एक |
| | सिनियर रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट | | | १ | २ |
| | रेडियोग्राफिक अधिकृत | १ | १ | २ | २ |
| | रेडियोग्राफर | दूई | दूई | तीन | तीन |
| | रेडियोग्राफिक अधिकृत | एक | एक | दूई | दूई |

(२)

| सि.न. | विवरण | १०१ शैया देखि ३०० शैया सम्म | ३०१ शैया देखि ५०० शैया सम्म | ५०१ शैया देखि माथी |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| १ | एक्सरे मेशन | ३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -१+१ | ३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -२ +२* | ३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -३+२* |
| २ | एक्सरे मेशन Image Intensifier | एक | एक | एक |
| ३ | एक्सरे मेशन पोर्टेबल (मोबाईल) | १ | २ | २ |
| ४ | अल्ट्रासाउण्ड मेशन With colour doppler & Guided Biopsy | २ | २ | २+१ |
| ५ | CR/DR Processer | १+१ | १+२ | १+३ |
| ६ | Spiral CT Scan | १ * | १ | १** |
| ७ | 0.5 Tesla MRI Machine | १ * | १ | १ ** |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|
| ८ | PET Scan * | | | |
| ९. | Mammography Machine | १ | १ | १ |
| ७ जनशक्ति र CR System | | | | |
| १ | रेडियोलोजिस्ट | २ | ३ देखि ५ | कम्तीमा ५ |
| २. | रेडियोग्राफिक अधिकृत | २ | ४ | ६ |
| ३. | रेडियोग्राफिक अधिकृत | २ | ४ | ६ |
| ३ | रेडियोग्राफर | य देखि १० | ८ देखि १५ + ५ | कम्तीमा १५ + ३ |
| ४ | वायोमेडिकल ईन्जनीयर | १ | १ | कम्तीमा २ |
| ५ | मेडिकल फिजिसिस्ट | आसिक समय | १ | कम्तीमा १ |

** CT Scan should be minimum of 128 slic, MRI should be minimum of 1.5 Tesla *As per need

२४. **निजी प्रयोगशाला सेवा:** (१)निजी प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोगशालाहरुको स्तर, विभाजन र जनशक्ति देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :-

नेपाल स्वास्थ्य सेवा प्याथोलोजी समूह :

(क) **जनरल प्याथोलोजी :** योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एम वि वि एस वा सो सरह उतीर्ण गरी MD Path. MRC Path, DCP वा सो सरह उतीर्ण गरको हुनु पर्नेछ ।

(ख) **हिस्टोलोजी/साईटोलोजी:**

योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Pathउपाधि प्राप्त वा DCP वा(Diploma in Clinical Pathology) सो सरह उतीर्ण गरी हिस्टोलोजी/साईटोलोजी मा विशेष तालिम वा DCP उपाधी प्राप्त हुनु पर्नेछ ।

(ग) **माईक्रोबायोलोजी :**

योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Microbiology उपाधी प्राप्त ।

(घ) **हेमाटोलोजी :**

योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Hameatology उपाधी प्राप्त ।

(ङ) **MD Biochemistry :**

योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry उपाधी प्राप्त ।

माथि उल्लेखित जनशक्तिहरुले योग्यता हासिल गरेको विषयको पाठ्यक्रममा उल्लेखित सम्बन्धित परीक्षण गर्न पाउनेछन ।

मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह

(क) **मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट:** मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाटमेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त गर्न पाउने परिक्षणहरु: Histopatholoty,Cytopathology & Bone Marrow Study बाहेकका सबै परीक्षणहरु ।

(ख) **विशेषज्ञमेडिकल टेक्नोलोजिस्ट:** मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाटमेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि MMLT प्राप्त ।

MMLT/M.Sc.Microiology, MMLT/M.Sc.Haematology, MMLT/M.Sc.Biochemistry, MMLT/M.Sc. Cytology गरेकोहरुले जुन विषयमा आफुले उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही विषयमामात्र प्रयोगशाला सञ्चालन गरी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न पाउने छन ।

(घ) **ल्याव टेक्नीशियन:** मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उतीर्ण ।

गर्न पाउने परिक्षणहरु: जिल्ला अस्पताल देखि केन्द्रीय अस्पतालहरुमा गरिने प्रयोगशाला सम्बन्धी आधारभूत देखि साधारण परिक्षणहरु ।

(ङ) **ल्याव असिष्टेण्ट:** मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा एक वर्ष वा १५ महिनाको ल्या.अ तालिम पुरा गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको ।

गर्न पाउने परिक्षणहरु: हेल्थ पोष्ट देखि जिल्ला अस्पतालहरुमा गरिने प्रयोगशाला सम्बन्धी आधारभूत परिक्षणहरु ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित जनशक्तिले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा निजी प्रयोगशाला खोली सञ्चालन गर्न पाउने छन् र ल्याब असिष्टेण्टको हकमा आफू भन्दा माथिल्लो उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोगशालामा काम गर्न पाउनेछन् ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लेखित जनशक्तिले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसाय गर्न नेपाल सरकारले तोकेको परिषद्बाट सदस्यता लिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालको साथै केन्द्रीय अस्पतालहरूमा हुने विशेष प्रकारका परीक्षणहरू (Highly Specelized Test)सो परिक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूले मात्र गर्न पाउने छन् ।

परिच्छेद ८

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड

२५. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरूका मापदण्ड : (१) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निजी स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाका स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्दा देहायका मापदण्डहरूका पालना गर्नुपर्नेछ :-

(क) आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा :

- (१) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा वा चिकित्सा व्यवसाय गर्दा सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारका वहालवाला कर्मचारी भएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
- (२) पञ्चकर्म सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा बि.ए.एम.एस वा सो सरह उपाधि प्राप्त व्यक्तिबाट वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनवासन वस्ति र रक्तमोक्षण प्रयोग गर्नुपर्ने र उत्तर वस्तिका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञबाट गर्नुपर्नेछ ।
- (३) आयुर्वेद अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संक्रमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ ।
- (४) आयुर्वेद अस्पताल जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, आजार-उपकरण र सेवाका गुणस्तरीयतामा मात्र संस्था विस्तार गर्न स्वीकृतिका लागि माग गर्न र उपयुक्त ठहर भएमा शाखा विस्तारका स्वीकृति दिन सकिनेछ ।
- (५) बिरामीका उपचारका सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक समक्ष वा उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रेफर) गर्नुपर्नेछ ।
- (६) रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरू संचालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित विषयका जनशक्ति र सा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण नीति नियमका पालना गर्नुपर्नेछ ।
- (७) इन्टिग्रेटेड क्लिनिक, नर्सिङ होम वा अस्पताल भनी स्वीकृतिका लागि माग भएमा कुन कुन विषय र सेवा दिन उद्देश्य राखिएका हो? सो प्रष्ट उल्लेख गरि सोही बमोजिमका जनशक्ति, औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
- (८) आयुर्वेद चिकित्सा विधामा स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण, औषधि द्रव्य काष्ठौषधि, रसौषधिक प्रयोग गरिने चिकित्सा सेवा, विना औषधि दिइनेसेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखित पूर्वकम अन्तर्गतका निराग्नी स्वेद (जल, वायु, सूर्यकिरण, पार्थिव तत्वको प्रयोग), अग्नि स्वेदन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्वावजय चिकित्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदि) का माध्यमबाट रोगको रोक थाम वा दीर्घजीवनका लागि सञ्चालन गरिन संस्थाहरूले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरू, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक औजार उपकरण र तोकिएका मापदण्ड पुरा गरि जुन सुकैनाममा संचालन भएतापनि आधार ग्रन्थ सहित अनुमति प्रदान गर्नेनिकायबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नपाइनेछ ।

(ख) आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत रहन सेवाहरू:

चिकित्सा सेवा :

१. रोग उपचार (आतुर विकार प्रशमन)

- (क) युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा
- (ख) संशमन (औषधि चिकित्सा)
- (ग) संशोधन (वमनादि पञ्चकम शोधन चिकित्सा)
- (घ) दैव व्यापाश्रय
- (ङ) सत्वावजय
- (च) शस्त्र-प्रणिधान
- (छ) योगाभ्यास

२. स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा
- (क) प्रकृति विनिश्चय र परामर्श
 - (ख) स्वस्थवृत्त पालन-ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य, आहार विहार
 - (ग) रसायन
 - (घ) वाजीकरण
 - (ङ) पञ्चकर्म
 - (च) योगाभ्यास

(ग) (ग) आयुर्वेद अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधार: (१) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निजीस्तरमा सञ्चालन गर्ने अस्पताल एवं नर्सिङ्ग होमहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार क्रमशः एक वा एकभन्दा बढी तपसिलमा उल्लेखित विभाग/शाखाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन् :-

आयुर्वेद चिकित्सा सेवा अन्तर्गत विभाग वा शाखाहरु:

- (क) कायचिकित्सा
- (ख) बालरोग चिकित्सा
- (ग) प्रसूति तथा स्त्रीरोग चिकित्सा
- (घ) शल्य चिकित्सा
- (ङ) शालाक्य
- (च) रसायन
- (छ) वाजीकरण ।

(२) आयुर्वेद अस्पतालले देहाय बमोजिमको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ :-

| सि.नं. | बिवरण | १०-१५ शैया सम्म | १६-२५ शैया सम्म | २६-५० शैया सम्म |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| १. | भौतिक पूर्वाधार | | | |
| | (क) जग्गा मापदण्ड : सडकसंग जोडिएको हुनुपर्ने (प्रति शैया ५० व.मि.)। | ✓ | ✓ | ✓ |
| | (ख) सवारी साधन आवत जावत तथा पार्किङ्गको लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने । | ✓ | ✓ | ✓ |
| | (ग) प्रवेशद्वार र निकासद्वार - गेट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने । | | ✓ | ✓ |
| | (घ) सञ्चार, बिजुली , शौचालय तथा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने । | ✓ | ✓ | हुनुपर्ने |
| २. | सेवा | | | |
| | बहिरङ्ग | ✓ | ✓ | ✓ |
| | अन्तरङ्ग | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३. | जनशक्ति | | | |
| | आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातकोत्तर उपाधि (M.D./M.S.Ay.) | आवश्यकता अनुसार | २ जना | य जना |
| | चिकित्सक (B.A.M.S.)सो सरह) | ३ जना | ५ जना | ८ जना |
| | आयुर्वेद सहायक (P.C.L.)सो सरह) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | आयुर्वेद सहायक कार्यकर्ता (AAW)सो सरह) | २ जना | ३ जना | य जना |
| | पञ्चकर्म सह-सहायक | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | अभ्यङ्गकर्ता | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | B.N.(B.Sc.Nursing) | | १ जना | १ जना |
| | Staff Nurse | १ जना | २ जना | २ जना |

| सि.नं. | बिबरण | १०-१५ शैया सम्म | १६-२५ शैया सम्म | २६-५० शैया सम्म |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | अ.न.मि. | ३ जना | ५ जना | ६ जना |
| | ल्याव टेक्नोलोजिष्ट | | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | ल्याव टेक्निसियन | स्वैच्छिक | १ जना | १ जना |
| | ल्याव असिस्टेण्ट | आवश्यकता अनुसार | १ जना | १ जना |
| ४. | Radiology/USG | | | |
| | रेडियोलोजिष्ट | | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | रेडियोग्राफर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | सहायक रेडियोग्राफर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | हेल्पर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ५. | कर्मचारी प्रशासन | | | |
| | प्रशासन अधिकृत | | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | नायव सुब्बा | आवश्यकता अनुसार | १ जना | १ जना |
| | खरिदार (लेखा) प्रशासन | १ जना | १ जना | १ जना |
| | कम्प्यूटर प्राविधिक खरिदार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | पियन पाले | ३ जना | ३ जना | ३ जना |
| | भान्छे/टहलुवा | २ जना | २ जना | २ जना |
| | माली | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | डाइभर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | कूचिकार | २ जना | २ जना | ३ जना |
| ६. | उपकरण | | | |
| | स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार कक्षमा) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | B.P.Set (प्रत्येक उपचार कक्षमा) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Thermometer (आवश्यकता अनुसार) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Weighing Machine | २ | ३ | ४ |
| | उचाई नाप्ने साधन | १ | १ | १ |
| | Torch light | १ | ३ | ६ |
| | Cotton, Gauze, Bandage | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | Apron | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | Gloves | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | X-ray view box | आवश्यकता अनुसार | १ | १ |
| | Oxygen set | १ | २ | २ |
| | Durm set | ३ | ४ | ८ |
| | Autoclave | ३ | ३ | ४ |
| | Surgical Set | १ | १ | २ |
| | Sliding | | १ | १ |
| | Suture Material (different size) | ४ | ६ | ८ |
| | Needle (different size & shape) | १० | २० | २५ |
| | Forceps | १२ | २४ | २४ |
| | Artery forceps | १२ | २४ | २४ |
| | Cutting scissors | २ | ४ | ६ |
| | Cutting set | २ | २ | २ |
| | Blunt scissors | १ | १ | १ |
| | Sharp Scissors | १ | २ | २ |
| | Lancet | | | |
| | Scalpel & kitle holder etc. | २ | ३ | ३ |
| | Dressing set | | | |
| | Kidney tray, small tray, large bowel | ४ | ६ | ६ |
| | Dissecting forceps, Thumb forceps (toothed & untoothed) | ४ | ६ | ६ |
| | Dressing trolley, dressing materials, cotton. | २ | ३ | ४ |

| सि.नं. | बिबरण | १०-१५ शैया सम्म | १६-२५ शैया सम्म | २६-५० शैया सम्म |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Gauge, bandage/teucoplest/xylocain etc. | ७ | १० | १२ |
| | Catherer set | | | |
| | Plain, folley's & matlicot cather | १० | २० | २० |
| | Diagnostic set | २ | ३ | ३ |
| | General | | | |
| | Tongue Spatula | २ | ३ | ३ |
| | Torch light/emergency light | २ | ३ | ४ |
| | Specific | | | |
| | ENT set | २ | २ | २ |
| | Gynecological Examination Set, D & C Set, Cucus, Sim's Speculum, emema set | १ | २ | ३ |
| | Neonatal care set | १ | १ | २ |
| | Macintos sheet, Kally's pad | ५ | ६ | ८ |
| | Other | | | |
| | Proctoscope/Laryngoscope/ Ophthalmoscope | २ | ४ | ४ |
| | Tonometer/Rhinoscope | १ | १ | १ |
| | Sterilizer/Autoclave drum set | १ | २ | २ |
| | Equipments & Materials for emergency case management | २ | २ | ३ |
| | Nebulizer | १ | १ | १ |
| | Ryle's Tube | | | |
| | Gastric Lavage set | २ | २ | ३ |
| | Bed screen | ३ | ३ | ४ |
| | Mask | २५ | २५ | ३० |
| | Cap | १० | ३० | ३० |
| | Ear syringing set | २ | २ | २ |
| | Wooden splint | | ४ | ६ |
| | Urobag | २ | ४ | ४ |
| | अन्तरङ्ग सेवा(Indoor) | | | |
| | वार्ड: पुरुष कोठा १० X २० स्क्वायर फिट | २ | ३ | ४ |
| | महिला कोठा १० ह २० स्क्वायर फिट | २ | ३ | ४ |
| | चिकित्सा कोठा १० ह १० स्क्वायर फिट | १ | २ | २ |
| | शौचालय (पुरुष तथा महिलाका लागि छुटाछुटै) वास वेशिन तथा पानी पर्याप्त | ४ | ४ | ४ |
| | धजभर्भा अजबष्च/स्टेचर/टूली | १ | ३ | ३ |
| | चार्ट/लकर/फाइल केवीनेट | १५ | २५ | ५० |
| | वेड प्यान/शैया संख्याको आधारमा | ✓ | ✓ | ✓ |
| | कुरुवा बस्ने टुल (शैया संख्याको आधारमा) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | |
| | चिकित्सक कक्ष | १ | २ | २ |
| | नर्सिङ ड्यूटी रुम १०X१५ स्क्वायर फिट | १ | २ | ४ |
| | बिरामी ओसाने एम्बुलेन्स | | १ | १ |
| | औषधी स्टोरको पूर्वाधार | | | |
| | भेन्टिलेशनयुक्त १०X१५ स्क्वायर फिट साइजको कोठा | १ | १ | १ |
| | बिरामी पूर्जा दर्ता गर्ने कक्ष | १ | १ | १ |
| | औषधी वनाउने टेबुल कुर्सी | १ | १ | १ |
| | बिरामीकालागी सोधपुछ तथा सहयोग कक्ष | १ | १ | १ |
| | भान्साघर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ७. | बहिरंग विभाग (OPD) | | | |

| सि.नं. | बिबरण | १०-१५ शैया सम्म | १६-२५ शैया सम्म | २६-५० शैया सम्म |
|--------|--|---|---|---|
| | विरामी दर्ता कक्ष विरामी जाँने कोठा लेखा प्रशासन कक्ष | १ वटा १ वटा २ वटा | १ वटा २ वटा २ वटा | १ वटा २ वटा २ वटा |
| ८. | आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट आकस्मिक सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण बिशेषज्ञ सेवाको हकमा सोहि अनुसारका जनशक्ति कक्ष र आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने । | २ सेट हरेकका २/२ सेट आवश्यकता अनुसार | ३ सेट हरेकका ३/३ सेट आवश्यकता अनुसार | ४ सेट हरेकका ४/४ सेट आवश्यकता अनुसार |
| ९. | प्रयोगशाला कोठा | २ | ३ | ३ |
| १०. | मनोपरामर्श एवं जीवनशैली कोठा | १ | १ | १ |
| ११. | योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लागि (१६X ३२) | १ | १ | १ |
| १२. | पूर्वकर्म सेवाको लागी प्रत्येक सेवाको अलग अलग कक्ष | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | a) स्नेहन कक्ष b) अभ्यङ्ग कक्ष c) स्वेदन कक्ष(नाडि स्वेद लगायत १३ प्रकारकम स्वेदनकालागी अलग अलग कक्ष d) अभ्यङ्ग टेबुल e) सर्वाङ्ग स्वेदन यंत्र f) नाडि स्वेदन यंत्र लगायत विविध १३ प्रकारकम स्वेदनकालागी अलग अलग आवश्यक यन्त्र g) कटि तथा जानु स्वेदन यन्त्र h) अवगाह स्वेदन यन्त्र i) निरानी स्वेद को लागी कम्मल, मृदिका ,प्रस्तर,जल,तेज ,प्रथिव तत्व आदिको व्यवस्था j) पञ्चकर्म सेवाको लागी सामाग्री k) वमन टेबुल सहित वमन कक्ष l) विरेचननीय आशन m) शिरोविरेचनको लागी कक्ष तथा साधन n) शिरोधारा टेबुल सहित सेट o) शिरो बस्ति यन्त्र | १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ २ | १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ २ | १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ १ २ |
| १३. | पञ्चकर्म सेवा (५ वटै सेवाका लागी अलग अलग कक्ष हुनुपर्ने) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १४. | पुर्नस्थापन कक्ष | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १५. | फुल फल सहित स्वच्छ वातावरण र औषधि युक्त हर्वेरियम समेत हुनुपर्ने । | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | १ |

(घ) **आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु:** आयुर्वेद पोलिक्लिनिक सेवा सञ्चालनगर्दा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रही तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेर औषधि सेवाको व्यवस्था समेत हुनुपर्नेछ ।स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि BAMS वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

(१) एक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछ :-

(क) विरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ । -कम्तिमा १४×१० वर्ग फिट)

- (ख) विरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ(ग) विरामी जाँच्ने टेबुल
- (घ) चिकित्सकको लागि कुर्सी
- (ङ) चिकित्सकको लागि टेबुल
- (च) विरामी बस्ने कुर्सी/टुल
- (छ) विरामी कुर्न बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था
- (ज) शौचालयको व्यवस्था
- (झ) टेलिफोन (स्वैच्छिक) ।

(२) आवश्यक औजार उपकरणहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछ:-

- (क) थर्मोमिटर -१
- (ख) तौल लिने मेशिन -१
- (ग) उचाई नाप्ने मेशिन -१
- (घ) टंग डिप्रेसर - १
- (ङ) ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेशिन -१
- (च) स्टेथोस्कोप -१
- (छ) आँखा, नाक, कान जाँच्ने सेट -१
- (ज) प्रोक्टोस्कोप -१
- (झ) प्रोव
- (ञ) सिरिन्ज
- (ट) टर्च लाइट
- (ठ) पञ्जा
- (ड) मास्क, एप्रोन
- (ढ) किडनी ट्रे
- (ण) बाल्टीन ।

(३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

- (क) विशेषज्ञ सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (ख) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि एउटा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।
- (ग) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्य रुपमा निर्मलकृत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
- (घ) क्लिनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।

(ङ) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

(घ) आयुर्वेद पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा केन्द्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु :

(१) **भौतिक पूर्वाधार :** आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र, हेल्थ क्लव र हेल्थ रिसोर्टहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अभ्यङ्ग, स्वेदन, स्नान, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, बस्ति आदि उपचार कक्षहरु र सोका लागि देहायका सामग्रीहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यसका साथै औषधि निर्माण कक्ष, प्रकृति परीक्षण, सत्वावजय चिकित्सा, योग ध्यान एवं अन्य सहायकहरुका लागि आवश्यक कक्षहरु हुनुपर्नेछ । साथै उपयुक्त किसिमका पुस्तकालय, शौचालय आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

- (क) अभ्यङ्ग कक्ष
- (ख) स्वेदन कक्ष (ग्यास सिलिण्डर कक्ष बाहिर हुनु पर्ने)
- (ग) अभ्यङ्ग टेबुल
- (घ) सर्वाङ्ग स्वेदन बक्स
- (ङ) नाडि स्वेदन यंत्र
- (च) बस्ति यंत्र सेट
- (छ) वमन टेबुल सहित वमन कक्ष
- (ज) शौचालय संलग्न रहेको विरेचन कक्ष
- (झ) विरेचन कुर्सी
- (ञ) नस्य कुर्सी
- (ट) शिरोधारा टेबुल सहित सेट
- (ठ) शिरो बस्ति सेट
- (ड) जानु बस्ति, कटि बस्ति आदि सेट

- (ढ) कटि स्वेदन टब
- (ण) अवगाह स्वेदन टब
- (त) संसर्जन कर्मका लागि भोजनालय
- (थ) अन्य पूर्वाधार तथा आत्याधिक चिकित्सा सामाग्री

नोट : पंचकर्मको प्रधानकर्म संचालनका लागि अन्तरंग सेवा संचालन स्वकृति अनिवार्य हुने छ ।

- (२) **पञ्चकर्म सेवाहरु:**यी सेवा केन्द्रहरु व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित गरिनुपर्नेछ । यी केन्द्रहरुबाट दिइने सेवाहरु आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार रसायन, वाजीकरण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्रतिरोधात्मक, पुनर्स्थापन एवं

उपचारात्मक कर्ममा आधारित रहनुपर्नेछ । रसायन, वाजीकरण सेवा पनि दिनुपर्नेछ । पञ्चकर्म र सो सम्बन्धी सेवाहरु निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः—

(क) पञ्चकर्म

- (१) पूर्वकर्महरु: स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, पिण्डस्वेद, नाडी र पिचु आदि ।
- (२) संसर्जन, रसायन कर्म
- (३) प्रधानकर्महरु: वमन, विरेचन, वस्ति (अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण (जलौका) ।
- (४) पश्चात् कर्म ।

(ख) अन्य कर्म

- (१) अभ्यङ्ग, स्वेदन, २३ प्रकार स्वेद वाह्य वस्ति, नेत्र तर्पण, शिरोधारा, शिरो वस्ति, तेल, स्नान, लेप, कटिस्नान, पादस्नान आदि कर्महरु ।
- (२) सत्वावजय कर्म: सत्वावजय,

(३) **आवश्यक जनशक्तिहरु:** आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत पञ्चकर्म र सम्बन्धित कुनै पनि कर्महरु दक्ष अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकहरुको मातहतमा रहेर मात्र दिइनु पर्नेछ । निम्नानुसार योग्यता भएका जनशक्तिहरुबाट उपरोक्त सेवाहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछः—

- (क) आयुर्वेद चिकित्सक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त ।
- (ख) पञ्चकर्म चिकित्सा सहायक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह वा आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक तह उत्तीर्ण गरी न्यूनतम ३ महिनाको पञ्चकर्म तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
- (ग) पञ्चकर्म सह-सहायक : कम्तिमा एस.एल.सी.पास गरी आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा रही सो सम्बन्धी आवश्यक कर्महरुको तालिम सहितको २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।
- (घ) अभ्यङ्गकर्ता (महिला र पुरुष दुवै) : कम्तिमा आठ कक्षा पढी २ वर्षसम्म आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा वसी अभ्यङ्गकर्ताको रूपमा अनुभव प्राप्त गरेको ।
- (४) आयुर्वेद अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिइने केन्द्रहरुबाट विश्रान्ती अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिन सक्नेछन् र सो कर्मका लागि न्यूनतम सुपरिवेक्षण प्राविधिक निरीक्षण टोलीद्वारा समय समयमा गरिनेछ ।
- (५) पूर्वकर्म पञ्चकर्म चिकित्सा गर्दा प्रयोग हुने औषधि तथा अन्य द्रव्य :
 - (क) क्वाथ, फाण्ट, अर्क, स्वरस
 - (ख) अवलेह, पाक, खण्ड, किसरा
 - (ग) स्नेह, प्रस्तर, मृदिका, जल, तेज, धुम्र, वास्प, कम्बल, वस्त्र, पट्ट, जल आदि ।

(६) **पश्चात्कर्ममा प्रयोग हुने द्रव्य तथा निर्मित औषधि व्यवस्था :**

- (क) सात्विक आहार, ऋतु तथा दिनचर्या, ब्रम्हचर्या पालन
- (ख) औषधि-चूर्ण, वटी, फान्ट, अवलेह
- (ग) आसव, अरिष्ट
- (घ) लौह, मण्डुर
- (ङ) तेल, घृत
- (च) रस, रसायन
- (छ) लेप, मलहम
- (ज) भष्म, पिष्टी

(७) **होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड :**

- (१) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने
- (ख) सहायक होमियोप्याथिक चिकित्सक -१ (कम्तिमा होमियोप्याथिकमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह)
- (ग) होमियोप्याथिक सहायक -१ (मान्यता प्राप्त संस्थाबाट होमियोप्याथिकमा तालिम प्राप्त गरेको

सेवा:

(क) उपचार

(ख) परामर्श

(च) होमियोप्याथिक इमर्जेन्सी सेवा :

(१) होमियोप्याथिकमा इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सीमित सेवा खुल्ला राख्न सकिनेछ ।

(२) भौतिक पूर्वाधार:

- २०×१५ साईजको भेन्टिलेशन तथा शौचालययुक्त कोठा
- चिकित्सक बसने टेबुल र कुर्सी -१ थान
- स्टाफ नर्स बस्ने कुर्सी -१ थान
- बिरामी बस्ने कुर्सी, टुल -१ थान
- अपरेशन टेबुल -१ थान
- Hanging light (100 wt) -१ थान
- च्याक -१ थान
- हिटर -१ थान
- Sterilization set -१
- शौचालयमा पर्याप्त मात्रामा पानी उपलब्ध भएको ।

(३) उपकरण:

- स्टेथोस्कोप
- BP set
- Globes
- X-ray view Box
- Thermometer
- Weighing Machine
- उचाइ नाप्ने साधन
- Plastic Apron
- Dressing set
- Stitching set
- Torch
- Mask
- Cap
- Cotton, Gauze, bandage
- Stab, stand + oxygen cylinder, suction machine

(४) सेवा सम्बन्धी:

- Dressing
- Stitching
- साधारण Injury

(५) जनशक्ति:

- चिकित्सक -१ जना
- स्टाफ नर्स -१ जना
- कार्यालय सहयोगी -१ जना

(६) औषधि:

होमियोप्याथीमा प्रयोग हुने केही इमर्जेन्सी औषधिहरु

(छ) निजी स्तरको होमियोप्याथिक अस्पतालका पूर्वाधार :

| | | | | | |
|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| सि.न. | विवरण | १०-१५ शैया | १६-२० शैया | २१-२५ शैया | २६-५० शैया |
|-------|-------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| १ | भौतिक पूर्वाधारहरु : अस्पताल भवन आफ्नै वा भाडामा, पार्किङ्ग स्थल, खुल्ला जग्गा, अस्पताल प्रवेशमार्ग, यातायातको सुविधा, प्रतिक्षालय, सोधपुछ कक्ष आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएको | | | | |
| २ | सेवा | | | | |
| | क) बहिरङ्ग सेवा | | | | |
| | ख) अन्तरङ्ग सेवा | | | | |
| ३ | जनशक्ति | | | | |
| | चिकित्सक (स्नातकोत्तर तह) | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ | २ |
| | चिकित्सक (स्नातक तह) | ४ | ५ | ६ | ८ |
| | सहायक चिकित्सक | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | स्टाफ नर्स | स्वैच्छिक | १ | १ | ३ |
| | अ.न.मी. | २ | ३ | ४ | ५ |
| | ल्याब टेक्नोलोजिष्ट | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| | प्याथोलोजिष्ट, ल्याब टेक्निसियन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ | १ |
| | ल्याब एसिस्टेन्ट | १ | १ | २ | ३ |
| | रेडियोलोजिष्ट, रेडियोग्राफर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ | १ |
| | वार्ड ब्वाई | १ | १ | २ | ३ |
| | प्रशासन अधिकृत | — | — | १ | १ |
| | नायब सुब्बा | १ | १ | १ | १ |
| | सहलेखापाल | १ | १ | १ | १ |
| | कम्प्युटर सहायक | १ | १ | १ | २ |
| | पियन/पाले | ४ | ४ | ५ | ५ |
| | भान्छे/टहलुवा | ३ | ३ | ३ | ३ |
| | माली | १ | १ | १ | १ |
| | सवारी चालक | १ | १ | १ | १ |
| | कुचीकार | २ | २ | ३ | ४ |
| ४ | उपकरण | | | | |
| | स्टेथेस्कोप | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
| | B.P. Set | " " | " " | " " | " " |
| | X-ray view box | " " | " " | " " | " " |
| | Thermometer | " " | " " | " " | " " |
| | Weighing Machine | " " | " " | " " | " " |
| | उचाई नाप्ने साधन | " " | " " | " " | " " |
| | Apron | " " | " " | " " | " " |
| | Gloves | " " | " " | " " | " " |
| | Oxygen set | " " | " " | " " | " " |
| | Catheterization set | " " | " " | " " | " " |
| | Torch | " " | " " | " " | " " |
| Cotton, gauze, bandage | " " | " " | " " | " " | |
| र अन्य आवश्यक सामग्रीहरु | " " | " " | " " | " " | |
| ५ | अन्तरङ्ग सेवा | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | पुरुष कोठा | 17×10' | 17×10' | 17×12' | 17×12' |
| | महिला कोठा | 17×10' | 17×10' | 17×12' | 17×12' |
| | चिकित्सा कोठा | 14×10' | 14×10' | 14×10' | 14×10' |
| | शौचालय, वास बेशिन तथा पानी प्याप्त | २ | २ | ३ | ३ |
| | Wheel Chair/ स्ट्रेचर/ट्रली | २ | २ | ३ | ३ |
| | चार्ट/लकर/फाइल | ५ | १० | १५ | २५ |
| | बेड प्यान (शैया संख्याको आधारमा) | ५ | १० | १५ | २५ |
| | कुरुवा बस्ने टुल | ५ | १० | १५ | २५ |
| | चिकित्सक आराम गर्ने बेड | १ | १ | १ | १ |
| | नर्स ड्युटी रुम १४ × १० | १ | १ | १ | १ |
| | बिरामी आसार्ने एम्बुलेन्स | १ | १ | १ | १ |
| | कम्प्युटर तथा प्रिन्टर | ३ | ३ | ४ | ४ |
| ६ | औषधि स्टोरको पूर्वाधार | | | | |
| | भेन्टिलेशनयुक्त १४ × १० साईजको कोठा | १ | १ | १ | १ |
| | बिरामीको पुर्जा दर्ता गर्ने टेबुल, कुर्सी | | | | |
| | औषधि बनाउने टेबुल, कुर्सी | | | | |
| | बिरामी पुर्जा दर्ता गर्ने रजिष्टर | | | | |
| | बहिरङ्ग सेवाको | 25×14' | 25×14' | 30×14' | 30×14' |
| | लागि बिरामिहरुको पर्खने कोठा | | | | |
| | बहिरङ्ग सेवाको लागि बिरामी जाँच्ने कोठा | 14×10' | 14×10' | 14×10' | 14×10' |

(ज) (ज) **एक्यूप्रेसर** : अनेक रोगको उपचार गर्ने एक्यूप्रेसर क्लिनिक वा पोलि एक्यूप्रेसर (प्राकृतिक चिकित्सा) क्लिनिक सञ्चालन गर्न निम्न लिखित न्यूनतम व्यवस्था हुपर्नेछ :-

(१) दक्ष जनशक्ति:

(क) कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा आवश्यक योग्यता (डाक्टर उपाधि) प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु ।

(ख) कुनै पनि मान्य प्राप्त संघ संस्थाबाट आवश्यक तालिम (डाक्टर वा सो सरहको उपाधि) प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु ।

(२) अर्ध दक्ष जनशक्ति:

(क) कुनै पनि मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू ।

(ख) दक्ष जनशक्तिका साथमा न्यूनतम तीन वर्षसम्म अनुभव प्राप्त गरेको कुरा दक्ष जनशक्तिले प्रमाणित गरेको व्यक्तिहरू ।

(३) बिरामी जाँच गर्ने कोठा

(४) एक्सप्रेसर थेरापिष्टहरूको लागि मेच र टेबुल

(५) दक्ष एक्सप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक)

(६) अर्धदक्ष एक्सप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक) -१ जना

(७) कार्यालय सहायक -१ जना

(८) स्वीपर -१ जना

(९) आवश्यक उपकरणहरू:

(क) एक्सप्रेसर जाँच गर्ने मेशिन

(ख) तौल लिने मेशिन

(ग) एक्सप्रेसर गर्ने जिमका मेशिनहरू

(घ) शक्ति सञ्चार गर्ने उपकरणहरू

(ङ) इलेक्ट्रोनिक एक्सप्रेसर मेशिन

(च) स्पाइनल रोलर

(छ) फेसियल रोलर र अन्य व्यायामका उपकरणहरू ।

(१०) संस्थागत रूपमा खोलिने क्लिनिक:

(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकायको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(ख) स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न माथि उल्लेखित व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।

(ग) चिकित्सक उपचारक लगायत काम गर्ने जनशक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।

(११) बिरामी भर्ना गरेर पनि उपचार गर्न सकिनेछ ।

(१२) बिरामी भर्ना गर्न स्वास्थ्य क्लिनिकमा निम्नलिखित थप व्यवस्था हुनुपर्दछ:—

(क) बिरामी राख्ने कोठा

(ख) बिरामी सुत्ने बेड, आवश्यक ओड्ने ओछ्याउने सामान

(ग) सफा र प्रदूषणमुक्त कोठा

(घ) स्नान घर

(ङ) सफा पानी

(च) सन्तुलित भोजन आदि

(छ) बिरामी सुत्ने बेड एकले अर्कालाई नछुने गरी कम्तिमा २-३ फिटको दूरीमा राख्ने

(ज) शौचालय ।

(१३) नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै एक्सप्रेसर स्वास्थ्य क्लिनिकले आयुर्वेद विभागमा वैकल्पिक चिकित्सामा संस्था दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।

(१४) एक्सप्रेसर प्राकृतिक चिकित्सा विषयमा प्रचार/प्रसार तथा अनुसन्धान मात्र गर्ने उद्देश्यले पनि संस्था खोली सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

(क) सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान गर्ने आवश्यक योग्यता प्राप्त गरेको जनशक्ति हुनु पर्नेछ ।

(ख) प्रचार गर्दा एउटा विषयसंग अर्को विषय बाभ्ने गरी तथा एकले अर्कालाई हानी पुऱ्याउने प्रचार गर्नु हुँदैन ।

(१५) एक्सप्रेसरको लागि नेपाल सरकार सरकारको स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट वा वैकल्पिक चिकित्साबाट प्रमाणित गरेर मात्र यस सम्बन्धी विक्री वितरणमा बजारमा ल्याउनु पर्नेछ । जस्तै: जोगाड, अन्य जिम आईटमका सामग्रीहरू ।

(१६) समय परिस्थिति र स्थान अनुसार उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणको विकासक्रम अनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछ।

(भ) **एक्यूपञ्चर सेवा अस्पतालका पूर्वाधार र मापदण्डहरू** : एक्यूपञ्चर सेवा सञ्चालनको लागि देहायको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पालना गरेको हुनु पर्नेछ :-

| सि.नं. | विवरण | ५ शैया | १० शैया | १५ शैया |
|--------|--|--------|---------|---------|
| १ | भौतिक पूर्वाधारहरू जनरल अस्पताल सरह | ✓ | ✓ | ✓ |
| २ | सेवा a) मोक्सिबुसन b) एक्यूपञ्चर | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३ | जनशक्ति | | | |
| | क) स्नातकोत्तर | ० | १ | २ जना |
| | ख) स्नातक | १ | २ | ३ जना |
| | ग) एक्यूपञ्चर सहायक | २ | ३ | ६ जना |
| | घ) नर्सिङ्ग स्टाफ | ० | २ | ३ जना |
| | ड) प्रशासनिक कर्मचारी जनरल अस्पताल सरह | | | |
| | च) कार्यालय सहयोगी | १ | २ | य जना |
| ४ | उपकरण | | | |
| | क) एक्यूपञ्चर निडिल | | | |
| | ख) मोक्सा स्टिक | | | |
| | ग) कपिङ्ग | | | |
| | घ) अटोक्लेभ | | | |
| | ड) स्टेथोस्कोप | | | |
| | च) थर्मामिटर | | | |
| | छ) रेकर्ड रजिष्टर | | | |
| | ज) अन्य व्यवस्था जनरल अस्पताल सरह | | | |

नोद : अस्पताल स्थापना तथा संचालनका नीति तथा नियमहरू जनरल अस्पताल सरह हुने अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा स्वास्थ्य क्लिनिक आयुर्वेद विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

(ज) **प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालका पुर्वाधारहरू** :

| सि.नं. | विवरण | १० शैया | १५ शैया | २० शैया | २५ शैया | कैफियत |
|--------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| १. | आवश्यक अस्पताल भवन एवं खुल्ला जग्गा (५५ वर्ग मी. प्रति शैया) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| २ | प्रवेश मार्ग :-अस्पतालसम्म मोटर सजिलै जाने, फर्कने र रोक्न सक्ने सुविधा हुनुपर्ने | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ३. | प्रतिक्षालय सोधपुछ/सम्पर्क र सूचना/टेलिफोन सेवा हुनुपर्ने प्रतिक्षालयमा बस्ने ठाउँ पर्याप्त पानीको व्यवस्था भएको शौचालय महिला र पुरुषको लागि (अलग) ट्वील चियर/ट्रली/स्टेचर | २ वटा १ वटा | २ वटा २/२ वटा | ५ वटा ३/३ वटा | ६ वटा ४/४ वटा | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| ४. | बहिरंग विभाग (OPD) बिरामी जाँचे कोठा व्यवस्थापन कक्ष | १ वटा १ वटा | २ वटा १ वटा | ३ वटा १ वटा | ५ वटा २ वटा | सेवा प्रदान गर्ने कोठा अनुसार |
| ५. | आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट IV Set आकस्मिक सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण | आवश्यकतानुसार | | | | |
| ६. | प्रयोगशाला कोठा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| | उपचारका सामग्री (माटो, पानी आदिको गुणस्तर जाँच गर्ने कोठा) | | | | | |
| ७. | मनोपरामर्श एवं जीवनशैली र स्वास्थ्य प्रशिक्षण कोठा | १ वटा | १ वटा | २ वटा | ३ वटा | |
| ८. | योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लागि आवश्यक हल | २० जना | ४० जना | ६० जना | १०० जना | आवश्यक तानुसारको कोठा |
| ९. | Physiotherapy Unit | १ वटा | १ वटा | १ वटा | १ वटा | आवश्यक तानुसारको कोठा |
| १०. | उपचार सेवाका कोठा (जल चिकित्सा, माटो चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, चुम्बक चिकित्सा, मालिस एवं अन्य प्राकृतिक चिकित्सा सेवाका लागि) | १० वटा | १५ वटा | २० वटा | २० वटा | उपचारको प्रकृति अनुसार साना ठूला |
| ११. | भोजनालय (चिकित्सकले दिएको भोजन तालिमका अनुसारको भोजन दिन सक्ने भोजनालय, भोजन एवं पोषण विशेषज्ञका लागि आवश्यक कोठा) | ३ वटा | ३ वटा | ३ वटा | ३ वटा | संस्था अनुसार बनाईएका कोठाहरु |
| १२. | पुनर्ताजगी कक्ष - चिकित्सक, सहायक चिकित्सक आदिको लागि | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | महिला/पुरुष छुट्टाछुट्टै |
| १३. | शैया/कोठा विशेष सघन उपचार कोठा (१ जना बिरामी मात्र राख्ने) २/२ जना बिरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा ४/४ जना बिरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा ६/६ जना बिरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा | २ २ १ - | २ २ २ १ | २ ४ २ २ | ६ ८ ४ २ | शौचालय, स्थान सुविधा सहित |
| १४. | शौचालय एवं स्नान कोठा | ५ वटा | ६ वटा | ७ वटा | ९ वटा | |
| १५. | फुल विरुवा प्रशस्त भएको बगैँचा | | | | | |
| १६. | <u>उपकरण</u> सम्पूर्ण शरीरको वाष्पस्नान यन्त्र स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र कटिस्नान टव रीढस्नान टव एनीमा (Enema) विभिन्न प्रकारका पट्टिहरु (चिसो पट्टि) सेकका यन्त्रहरु माटो चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरु सूर्य किरण चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरण षट्कर्ममा प्रयोग हुने उपकरणहरु मालिसमा प्रयोग हुने उपकरणहरु पानीलाई विभिन्न तापक्रममा ल्याउने एवं वाफ बनाउने यन्त्र थर्मोमिटर (पानीको तापक्रम र शरीरको तामक्रम नाप्न) | २ वटा २ वटा ५ वटा ३ वटा २ वटा २० वटा ३/३ वटा ५/५ वटा १०/१० वटा १०/१० वटा १० सेट १/१ वटा १०/१० | ३ वटा ३ वटा ७ वटा ५ वटा ५ वटा ३० वटा ५/५ वटा १०/१० वटा २०/२० | ३ वटा ३ वटा ९ वटा ७ वटा ५ वटा ४० वटा ७/७ वटा १०/१० वटा २० सेट २ वटा १ वटा ३०/३० वटा १० वटा | ५ वटा ५ वटा १५ वटा ९ वटा ६ वटा ४० वटा ११/११ वटा १५/१५ वटा २५ सेट ३ वटा ३०/३० वटा १५ वटा | बिभिन्न आकार एवं किसिमका हुने हुनाले छुट्टै निर्धारण गर्नु पर्ने । |

| | रक्तचाप नाप्ने यन्त्र (BP Set) नाक,कान, घाँटी जाच्ने यन्त्र (ENT Set) तौल नाप्ने यन्त्र (Weighing Machine) | वटा ५ वटा २ वटा | वटा ५ वटा ३ वटा | य वटा | ६ वटा | |
|-----|--|---|--|---|---|---|
| १७. | जनशक्ति चिकित्सक सहायक चिकित्सक उपचारक सहायक उपचारक लेखा अधिकृत लेखापाल प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय सहायक सुपरभाईजर Receptionist कार्यालय सहयोगी (पियन) माली चौकीदार | २ जना २ जना १० जना २ जना - १ जना - १ जना १ जना १ जना १ जना ३ जना १ जना ३ जना | २+२ ^४ जना २ जना १५ जना ३ जना - १ जना १ जना १ जना १ जना १ जना १ जना य जना १ जना य जना | ३+३ ^४ जना a) जना २ जना b) जना - १ जना १ जना १ जना १ जना २ जना २ जना ५ जना २ जना य जना | ३+४ ^४ जना ६ जना २५ जना ५ जना १ जना १ जना १ जना २ जना २ जना ३ जना ६ जना ३ जना ५ जना | प्राविधिक प्राविधिक प्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक |

* as per need.

परिच्छेद १०

अभिलेख तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२६. **अभिलेख तथा प्रतिवेदन** : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेका सेवाहरु पालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त एकिकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली अनुसार अभिलेख राख्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा आफुले प्रदान गरेको सेवाको प्रतिवेदन पालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त एकिकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणालीको ढाँचामा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख नराख्ने र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नगरपालिकाले सचेत गराउनुका साथै अनुमति खारेज गर्नसमेत सक्नेछ।

(२) सूचना व्यवस्थापन गर्नेकर्मचारीलाई नगरपालिकाको कार्यालयबाट एकिकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धि तालिम लिने व्यवस्था गराउनुपर्नेछ।

(४) स्वास्थ्य संस्थालेसेवा प्रदान गरेका विरामीहरुको रोगको विवरण ICD 10 अनुसार coding गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ।

(५) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा भएको जन्म तथा मृत्युको घटना विवरण प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई मासिक रूपमा दिनुपर्नेछ।

(६) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको notifiable diseases का विरामी पत्ता लागेको वा शंका लागेको खण्डमा वा कुनै रोगको महामारीको शंका लागेमा तुरुन्तै नगर पालिकाको कार्यालयमा सुचना गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद ११

सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था

२७. **सञ्चालन अनुमति नवीकरण नहुने** : (१) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएको भएतापनि देहायका अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाका सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिनेछैन :-

(क) नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएका गुणस्तर वा पूर्वाधार पुरा नगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मा उल्लिखित शर्तहरु पालना नगरेको पाईएमा,

- (ग) अस्पतालले प्रदान गरेका सेवाको तोकिएको ढाँचामा अभिलेख नराखेमा, तोकिएको ढाँचा र समयमा नियमित प्रतिवेदन नगरेमा र वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिकाको कार्यालयमा पेश नगरेमा,
- (घ) स्वास्थ्य संस्थाबाट सिर्जित अस्पतालजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाईएमा,
- (ङ) मन्त्रालय वा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा सम्बन्धित निकाय वा पालिकाको कार्यालयले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गरेमा,
- (च) भवन संहिता अनुरूप भवन निर्माण नभएको वा पुराना भवनकोहकमा तोकिएका समयभित्र भुक्तम्पीय दृष्टिकोणले भवन प्रबलीकरण गरेको नपाईएमा ।

२८. **खारेजी गर्न सकिने** : (क)यो निर्देशिका प्रारम्भ हुन अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाइ सञ्चालन अनुमति खारेजीका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनुमति खारेजी गर्नसक्नेछ ।

(ख) गैर कानूनी क्रियाकलाप गरेको पाईएमा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित सेवा निलम्बन वा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनुमति खारेजी गर्नसक्नेछ ।

(ग) दफा २७ र २८ मा तोकिएका कार्यहरू उलंघन गरेमा ।

परिच्छेद १२

विविध

२९. **सेवा शुल्क निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाले एउटा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्नेछ र उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) का प्रयोजनका लागि सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार वस्नेछ ।

(३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३०. **अनुगमन समिति** : (१) नगरक्षेत्र भित्र रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, प्रयोगशाला सेवा औषधि पसल समेतको अनुगमनका लागि देहायको अनुगमन समिति गठन गरिनेछ :

| | | |
|------|---------------------------------|--------|
| (क) | उप प्रमुख | संयोजक |
| (ख) | मेडिकल अफिसर | सदस्य |
| (ग) | सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ | सदस्य |
| (घ) | उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ङ) | सामाजिक समितिको संयोजक वा सदस्य | सदस्य |
| (च) | स्वास्थ्य संयोजक | सदस्य |

(२) अनुगमनको क्रममा उद्योग वाणिज्य संघ, प्रेससंग व्यक्तिहरूलाई समेत संलग्न गराउन सकिनेछ ।

३१. **मापदण्ड तथा अनुसूचीमा हेरफेर नगर कार्यपालिकाले यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्ड तथा अनुसूचीहरू आवश्यकता अनुसार हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ ।**

३२. **व्याख्या गर्ने अधिकार** : यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डका कुनै प्रावधानको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा बाधा आई परेमा नगर कार्यपालिकाले सो मापदण्डको व्याख्या गर्नेछ ।

३३. **स्वतः अमान्य हुने** :यस निर्देशिकामा लेखिएका कुनै कुरा प्रचलित कानून कोकुनै व्यवस्था संग बाभिएमा बाभिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

अनुसूची १

पूर्वाधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृतिको प्रयोजनको लागि अनुगमन समिति सम्बन्धी व्यवस्था
(दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

| | | |
|----|-------------------------------------|------------|
| १. | मे.सु./मेडिकल अधिकृत - | संयोजक |
| २. | ल्याब टेक्नीसियन/अधिकृत (एक) - | सदस्य |
| ३. | रेडियोग्राफर/अधिकृत (एक) - | सदस्य |
| ४. | पब्लिक हेल्थ नर्स/अधिकृत (एक) - | सदस्य |
| ५. | (सब) इन्जिनियर (सिभिल)(एक) - | सदस्य |
| ६. | नगरपालिकाबाट मनोनित विज्ञ (एक) | सदस्य |
| ७. | जनस्वास्थ्य अधिकृत/स्वास्थ्य संयोजक | सदस्य सचिव |

पूनाशचः नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सबै सदस्यहरु नभएको अवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्लामा अवस्थित सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुबाट सदस्य कायम गर्ने ।

नोट : समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिका सदस्यका रूपमा थप गर्न सक्नेछ ।


अनुसूची २

भवन सम्बन्धी मापदण्ड (दफा २ कोखण्ड (प) सँग सम्बन्धित)

काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर निर्माण गरिने स्वास्थ्य संस्थाका हकमा मापदण्डमा उल्लेख गरिएका भए सोही अनुसार तथा नभएका हकमा देहायका मापदण्ड अनुसार कायम गरिनुपर्नेछ ।

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज - ४० प्रतिशत
- Floor Area Ratio (FAR) - २.५
- न्युनतम पार्किङ स्थल - जम्मा जग्गाका २५ प्रतिशत
- भवनका सेट ब्याक (Set Back) - कम्तिमा ३ मिटर भवनका चारैतिर
- लाईट प्लेन

(Light Plane)– ६३.५ डिग्री



अनुसूची ३
पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि निवेदन फाराम
(दफा ४ कोउपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

श्री

..... ।

निम्नानुसार प्रस्तावित अस्पतालका संचालन तथा पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि देहाय अनुसार कागजात सहित निवेदन फाराम पेश गरेका छु/छौं ।

निवेदन फाराम:

कार्यकारी अधिकृत/संचालन समितिका तर्फबाट

१. अस्पतालको

नाम :-

शैया संख्या :-

२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उल्लेख गर्ने:-

३. अस्पतालको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना) :-

पालिका :

वडा नं. :-

टोल :-

ब्लक नं. :-

टेलिफोन :-

मोबाइल :-

पो.ब.नं. :-

४. अस्पताल खोल्न व्यक्तिहरु (५ प्रतिशत भन्दा बढी शेय र धारण गर्नेहरुको मात्र) :-

नाम :-

ठेगाना :-

नागरिकता नः :-

मोबाइल नं. :-

फोन नं. :-

५. अस्पतालका लागि आवश्यक जग्गा र स्वामित्वका

(क) जग्गाका कित्ता, क्षेत्रफल र स्वामित्वका प्रकार:

(ख) लिजमा भए कबुलियतनामा पेश गर्ने:

६. अस्पतालका वित्तीय स्रोत :-

(क) निजी लगानी

(ख) बैंक कर्जा

(ग) सरकारी

घ) अनुदान सहयोग

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कर्जालिइ संचालन गर्नेभए सोको विवरण

(च) अन्य

वित्तीय लगानी :- (स्थीर पूँजी लागत) रु.

(क) भवन तथा जग्गाको लागि :- रु.

(ख) औजार उपकरणको लागि :- रु.

वित्तीय लगानी (चाल पूँजी लागत) रु.

रोजगार संख्या :-

अनुमानित आम्दानी :- रु.

अनुमानित मुनाफा :- मासिक :- रु. त्रैमासिक :- रु.

वार्षिक :- रु.

७. देहायका विषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना

(क)स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गन सेवाहरूका विवरण :

| निदानात्मक सेवा | प्रतिकारात्मक सेवा | उपचारात्मक सेवा |
|--------------------|--------------------------|---|
| • एक्स-रे | • खोप | • प्रसूति तथा स्त्री रोग |
| • अल्ट्रासाउण्ड | • गर्भवती, सुत्केरी जाँच | • जनरल मेडिसिन |
| • इन्डोस्कोपी | • परिवार नियोजन | • जनरल सर्जिकल |
| • इसीजी, ट्रेड मिल | • | • विशेषज्ञ सेवा : जस्ता प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, आँखा, हाडजोर्नी, मानसिक सेव । |
| • प्रयोग शाला | • | |
| • | • | |
| • | • | |
| • | • | |

(ख) संस्थामा प्रयोग हुन आवश्यक उपकरणहरूका विवरण (संलग्न):

- १).....
- २).....
- ३).....
- ४).....

(ग) संस्थामा सेवा पुऱ्याउनका लागि आवश्यक पन जनशक्तिका विवरण (संलग्न गर्ने):

(१) विशेषज्ञ :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

(२) प्राविधिक :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

(३) प्रशासनिक :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

नोट :

- (१) संस्थामा कार्य गर्न प्राविधिक कर्मचारीहरू सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने । सम्बन्धित परिषदको प्रमाण पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- (२) कर्मचारीहरूको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै कार्यगर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने।
- (३) सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू संलग्न हुने भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारको स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने ।
- (४) प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफै कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरूका समेत विवरण खुलाउने ।

अनुसूची ४

स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि अनुमति प्राप्त गर्न दिने निवेदन फाराम
(दफा ५ कोउपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाका नाम :-

शैया संख्या :-

२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा कुन हो उल्लेख गर्ने:-

३. संस्थाका ठेगाना (पत्राचार गन ठेगाना) :-

अञ्चल :-

वडा नं. :-

टोल :-

जिल्ला :-

व्लक नं. :-

टेलिफोन नं. :-

४. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु :-

नाम :-

नागरिकता नं. :-

ठेगाना :-

फोन नं. :-

मोबाइल नं. :-

५. संस्थाको वित्तीय स्रोत :-

क. निजी :-

ख. शेयर कर्जा :-

ग. सरकारी :-

घ. गैर सरकारी संस्थाबाट कर्जा लिइ संचालन गर्न भए सो उल्लेख गर्न :-

वित्तीय लगानी :- (लागत) रु.

क. भवन तथा जग्गाको लागि :-

औजार उपकरण :-

जनशक्ति :-

अनुमानित आम्दानी :-

आम्दानी

स्वदेशी:-

विदेशी:-

अचल सम्पत्तिको स्रोत :- अनुमानित मुनाफा :-

मासिक :-

त्रैमासिक :-

वार्षिक :-

६. नर्सिङ्ग होम तथा निजी अस्पतालका वर्गीकरण अनुसार प्रदान गर्ने सेवाहरुको विवरण कुन-कुन सेवा पुऱ्याउने हो? खुलाउने ।

निदानात्मक सेवा

प्रतिकारात्मक सेवा

उपचारात्मक सेवा

अन्य सेवा

एक्स-रे

खोप

प्रसूति तथा स्त्रीरोग

एम.सि.एच क्लिनिक परिवार

प्याथोलोजी ल्याव

आहार विहार

जनरल मेडिसिन

नियोजन

अल्ट्रासाउण्ड

जनरल सर्जिकल विशेषज्ञ सेवा जस्त :- इण्डोस्कोपी

प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, दन्त,

ई.सी.सी., ट्रेडमिल प्रयोगशाला

सर्जिकल सेवा तथा रुजाहर व्यवस्थापन

७. संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक मुख्य उपकरणहरुको विवरण तथा स्रोत :-

(क)

(ख)

(ग)

- (घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउने कर्मचारीहरुका विवरण सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार :-

(क) विशेषज्ञ :-

| नाम | पद | योग्यता | पार्टटाईम | फुलटाईम |
|-----|----|---------|-----------|---------|
|-----|----|---------|-----------|---------|

(ख) प्राविधिक :-

| नाम | पद | योग्यता | पार्टटाईम | फुलटाईम |
|-----|----|---------|-----------|---------|
|-----|----|---------|-----------|---------|

(ग) प्रशासनिक :-

| नाम | पद | योग्यता | पार्टटाईम | फुलटाईम |
|-----|----|---------|-----------|---------|
|-----|----|---------|-----------|---------|

नोट :

- सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भएपश्चात मात्र सेवा संचालन गर्न पाईनेछ ।
- उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरुका संस्थामा संलग्न हुने हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने ।
- सबै शुल्क विवरण विस्तृत रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने।
- संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित परिषदको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने।
- कर्मचारीहरुको योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै कार्यगर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने।
- नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरु संलग्न हुनेभएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारका स्वीकृत पत्र अनिवार्यरुपमा संलग्न हुनुपर्ने।
- प्राविधिक कर्मचारीहरुल आफै कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरुको समेत विवरण खुलाउने।

नोट: स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि निवेदन दिदा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

- निवेदन फारम
- कम्पनी दर्ता/ संस्था दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि
- संस्था/कम्पनीको विधान/प्रवन्ध पत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि
- स्थायी लेखा दर्ता प्रमाण-पत्रका प्रतिलिपि
- स्थापना गर्न लागिएका ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र
- अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति सम्बन्धी विवरण

(क) बायोडाटा

(ख) शैक्षिक योग्यता, तालिमको प्रमाणित प्रतिलिपि

(ग) प्राविधिक कर्मचारीहरुल सम्बन्धित काउन्सिलका दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

(घ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

(ङ) जनशक्तिहरुको काम गर्न समय (पार्टटाईम/फुलटाईम किटान गर्नुपर्नेछ)

(च) मञ्जुरीनामा/कबुलियतनामा

७. औजार उपकरणका विवरण तथा स्रोत

८. सम्पूर्ण सेवा शुल्क विवरण

९. भौतिक सामग्रीको विवरण
१०. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत पत्रका प्रतिलिपी
११. अस्पतालको विस्तृत सर्भेक्षण सहितको प्रस्ताव
१२. अस्पतालको आर्थिक नियमावली
१३. अस्पतालले लिन सेवा शुल्क विवरण र गरीब तथा असहायलाई छुट दिने नीति
१४. प्रदान गरिन सेवाका विवरण
१५. जग्गा/घरका स्वामित्व
१६. घर/कोठा बहालमा लिइ सञ्चालन गर्नेभए घर बहाल सम्झौता-पत्र र भवन स्वास्थ्य संस्था संचालन गन राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धि सिफारिश पत्र
१७. भवनका स्वीकृत नक्सा
१८. संस्थाका चल अचल सम्पत्ति विवरण तथा वित्तीय स्रोत
१९. संस्थाका कार्ययोजना (Scheme)
२०. PAN मा दर्ता नम्बर:
२१. कर चुक्ता प्रमाण पत्र (लागुहुने अवस्थामा मात्रै)
२२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (लागु हुने अवस्थामा मात्रै)
२३. विरामी बडापत्रका नमुना
२४. सम्बन्धित निकायका भवन संहिता सम्बन्धी स्वीकृत पत्र
२५. रु. ५ को हुलाक टिकट
२६. मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकरमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र
२७. भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र
२८. सम्बन्धित निकायबाट भवनका नक्सा डिजाइन र निर्माण राष्ट्रिय भवन संहिताका मापदण्ड बमोजिम भएका स्वीकृत पत्र ।

अनुसूची ५

स्वास्थ्य क्लिनिक/रेडियो ईमेजिङ सेवा/पोलिक्लिनिक सञ्चालन अनुमति माग गर्ने निवेदन फाराम
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाको नाम :- शैया संख्या :-
२. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना):-
- अञ्चल :- पालिका :- ब्लक नं :-
जिल्ला :- वार्ड नं :- टेलिफोन नं :-
पो.व.नं :-
३. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु :-
- नाम :- नागरिकता :-
ठेगाना :- फोन नं :-
४. संस्थाको वित्तीय स्रोत :-
- क. निजी :- ख. शेयर कर्जा :- ग. वैदेशिक :-
घ. गैर सरकारी :- ड. सामुदायिक :- च. अन्य
५. संस्थाको क्षमता तथा विस्तृत कार्य योजना :-
सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रहरु :
- | निदानात्मक सेवा | प्रतिकारात्मक सेवा | उपचारात्मक सेवा |
|--|--------------------|--|
| एक्स-रे | खोप एम.सि.एच. | प्रसूति तथा स्त्रीरोग अल्ट्रासाउण्ड जनरल मेडिसिन |
| इण्डोस्कोपी ई.सी.सी., ट्रेडमील प्रयोगशाला | परिवार नियोजन सेवा | जनरल सर्जिकल विशेषज्ञ सेवा जस्तै:- आँखा, नाक, मुटु, मृगौला, स्नायुरोग ईत्यादि |
| अन्य सेवा:- फार्मसी | | |
६. सेवा शुल्क (अलग र स्पष्टसँग) खुलाउन :-
७. संस्थामा सेवा हुन आवश्यक उपकरणहरुका विवरण तथा स्रोत :-
८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउन जनशक्ति विवरण :-
- | संख्या/योग्यता/अनुभव/पार्टटाईम /फूलटाईम /अन्य सुविधा | संख्या/योग्यता/अनुभव/पार्टटाईम /फूलटाईम /अन्य सुविधा | संख्या/योग्यता/अनुभव/पार्टटाईम /फूलटाईम /अन्य सुविधा |
|--|--|--|
| सामान्य चिकित्सक : | विशेषज्ञ चिकित्सक : | अन्य प्राविधिक : |
- नोट :
- १) सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भए पश्चात मात्र सेवा संचालन गर्न पाईनेछ ।
- २) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरु संस्थामा संलग्न हुन हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने ।
- ३) संस्थामा काम गर्न कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएका हुनुपर्ने, सम्बन्धित परिषदका प्रमाणपत्रहरु अनिवाय रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- ४) कर्मचारीहरुको योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न हुनुपर्नेछ ।
- ६) नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारिहरु संलग्न हुन भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारका स्वीकृति पत्र अनिवार्यरुपमा संलग्न हुनुपर्ने ।

अनुसूची ६
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर
(दफा ८ र ९ कोउपदफा (२) संग सम्बन्धित)

| सि.नं. | संस्थाका किसिम | शुल्क निर्धारण इकाइ | स्थापनाका लागि | | नवीकरणका लागि दस्तुर |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | दस्तुर रकम रु. | |
| १ | अस्पताल तथा नर्सिङ होम | शैया संख्या | प्रति शैया | रु ४०००१- | प्रति शैया रु ५००१- |
| २ | डायग्नोस्टिक सेन्टर | शैया संख्या | प्रति शैया | रु १०,०००१- | प्रति शैया रु १०००१- |
| ३ | पोलिक्लिनिक | शैया संख्या | प्रति शैया | रु १०,०००१- | प्रति शैया रु १०००१- |
| ४ | आयुर्वेद अस्पताल | शैया संख्या | प्रति शैया | रु ४,०००१- | प्रति शैया रु ५००१- |
| ५ | आयुर्वेद क्लिनिक | सवा प्रकार | | रु २,०००१- | प्रति सेवा रु ५००१- |
| ६ | क्लिनिक | शैया संख्या | | रु ५,०००१- | प्रति शैया रु १०००१- |

नोट: नेपाल सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा बिस्तार गरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि माथि उल्लिखित दस्तुरमा क वर्गका लागि पचहत्तर प्रतिशत, ख वर्गका लागि पचास प्रतिशत र ग वर्गका लागि पच्चिस प्रतिशत छुट दिईनेछ ।

अनुसूची ७

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको विरामी बडापत्रको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बुदाँ (ट) संग सम्बन्धित

| स.न. | शाखा | प्रदान गरिने सेवा विवरण | प्रक्रिया | दस्तुर | लाग्ने समय | सम्पर्क ब्यक्ति | |
|------|------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

अनुसूची ८

स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवाको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरणको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बुदा (थ) संग सम्बन्धित

मिति:

| क्र.सं | स्वास्थ्यकर्मीको नाम | पद | समय | कैफियत |
|--------|----------------------|----|-----|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

आज्ञाले

पुरुषोत्तम घिमिरे

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उप-सचिव)